लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या ९१ से ९३, ९७ और ९४ से ९६ . . ४०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १२० . ४२२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २५५, २५७ से २८३, २८६, २८८ से ३४१ और ३४३ से ३४५ ४३५–७६

मंत्री का परिचय ४७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७६–७९

राज्य सभा से सन्देश . ४७९

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक . ४७९–४८४

कार्य मंत्रणा समिति ४८४

बीसवां प्रतिवेदन ४८४–८५

आय-कर (संशोधन) विधेयक . ४८५–९६

विचार करने का प्रस्ताव

श्री दी० चं० शर्मा . ४८५–८६

श्री व० बा० गांधी . . ४८६–८७

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ४८७–८८

श्री गौरी शंकर कक्कड़ ४८८–९०

श्री शिव नारायण ४९०–९१

श्री ब० रा० भगत ४९१–९५

खण्ड २ तथा १ ४९५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ब० रा० भगत ४९६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

२१ नवम्बर, १९६३ । ३० कार्तिक, १८८५ (शक)

का शुद्धि-पत्र

१. मुख पृष्ठ, प्रथम पंक्ति, 'शुक्रवार' के स्थान पर 'गुरुव

२. पृष्ठ ४२२, ऊपर से दूसरी पंक्ति, 'मंत्रालय' के स्थान
पढ़िये ।

३. पृष्ठ ४४३, अतारांकित प्रश्न संख्या २७१, सदस्य का न
गोपालन' के स्थान पर 'श्री ए० क० गोपालन' पढ़िये ।

४४४, अतारांकित प्रश्न संख्या २७३, शीर्षक में
"इलेक्ट्रानिक्स" और "कार्यक्रम" शब्दों के बीच में
"नूतन" शब्द पढ़िये ।

४५२, अतारांकित प्रश्न संख्या २६०, सदस्य का नाम "डा० पू० मा०"
के स्थान पर "डा० पू० ना० सां" पढ़िये ।

लोक-सभा

गुरुवार, २१ नवम्बर, १९६३

३० कार्तिक, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में 'सी' बिजली घर (पावर स्टेशन)

*९१. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री गोकरन प्रसाद।
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 'सी' बिजली घर (पावर स्टेशन) चालू हो गया है और उसका और विस्तार किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है;

1569 (Ai) LS—1.

(ग) इससे कितने गावों को बिजली मिलेगी; और

(घ) इसकी क्या क्षमता होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा/सचिव (श्री सैं० अ० मेहदी) : (क) जी, हां।

(ख) इस एक्स्टैंशन स्कीम पर १६ करोड़ १३ लाख रुपये का खर्चा अनुमानित है।

(ग) इस एक्स्टैंशन स्कीम के चालू होने के समय तक आशा है दिल्ली के ३१६ गांवों में बिजली लग चुकी होगी। इस एक्स्टैंशन स्कीम से इन गांवों के बिजली सम्भरण में वृद्धि होगी।

(घ) यह एक्स्टैंशन स्कीम अधिष्ठापित क्षमता में १८७.५ एम० डब्ल्यू० की वृद्धि लायेगी।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहूंगा कि इस का जो विस्तार किया जायेगा, वह विदेशी टेक्नीशनों द्वारा किया जायेगा, या हिन्दुस्तानी टेक्नीशनों द्वारा किया जायेगा।

श्री सैं० अ० मेहदी : इस में जेनीरेटर और बायलर तो विदेशी लोग देंगे और बाकी चीजें हिन्दुस्तानी बनायेंगे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : इस बिजली घर के विस्तार के बाद क्या दिल्ली में कुछ और भी गांव ऐसे रह जायेंगे, जिनको बिजली नहीं मिल सकेगी; यदि हां, तो सरकार उन को बिजली उपलब्ध करने के बारे में क्या सोच रही है ? क्या उन के लिए इस बिजली घर का फिर विस्तार किया जायेगा ?

श्री सैं० अ० मेहदी : ३१६ गांवों में से १०४ में तो मार्च, १९६३ तक बिजली लग चुकी है। अब २१२ गांव जो बाकी रह गये हैं, उम्मीद है कि थर्ड फाइव-यीअर प्लान के आख़िर, तक उन में भी बिजली लग जायेगी। इस के अलावा और भी स्कीमें हैं।

श्री यशपाल सिंह : प्रधान मंत्री जी ने फ़रमाया था कि चूंकि 'सी' नाम अच्छा नहीं है, इसलिए इस को बदलना चाहिए। हम लोगों ने जेलख़ाने में 'सी' क्लास के जो डंडे खाये हैं, वे आज तक याद हैं। हम जानते हैं कि 'सी' का मतलब थर्ड क्लास होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के सुझाव के अनुसार क्या सरकार इस नाम को बदलने जा रही है ?

श्री सैं० अ० मेहदी : इस राय का ख़याल रखा जायगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में बिजली बार-बार बन्द हो जाती है, इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और इस में कितना समय लगेगा ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : इस परियोजना को १९६५-६६ में पूरा होना है। बिजली का बन्द हो जाना केवल विद्युत् की कमी के कारण ही नहीं है बल्कि आंशिक रूप से नगर में वितरण की पुरानी प्रणाली के कारण भी है और इसे ठीक करने के लिये प्रत्येक उपाय किया जा रहा है।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण दिल्ली में बार-बार बिजली गुल हो जाती है और विद्युत् क्षमता में इस वृद्धि के बावजूद लोग कष्ट उठाये जा रहे हैं। इस कष्ट के निवारण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक दिल्ली के पास इतनी बिजली हो जायेगी जो सामान्य रूप में संभरण करने के लिये पर्याप्त होगी। नई बिजली काफी होगी, लगभग २६५ मेगावाट, और अब जो पुरानी व्यवस्था के कारण बार-बार बिजली बन्द हो जाती है इससे बिजली के संभरण में रुकावट नहीं पड़ेगी।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गांवों में स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवेलप करने के लिए बिजली दे रही हैं ?

श्री सै० अ० मेहदी : दिल्ली सरकार की स्कीम इस के मुताल्लिक होगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो रोज़ाना दो-दो घंटे कई जगह बिजली बन्द रहती है, क्या उस में भी कुछ सुधार होने की गुंजायश है; यदि हां, तो कब तक।

श्री सै० अ० मेहदी : उम्मीद है कि इस नये एक्स्टेशन के बन जाने के बाद और दूसरी स्कीमों के पूरा हो जाने के बाद यह चीज़ ख़त्म हो जायेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : कब तक ?

श्री सै० अ० मेहदी: ये स्कीम्ज़ १९६५–६६ तक कम्पलीट होंगी।

श्री काशी राम गुप्त : इस बिजली घर के विस्तार के लिए जो विदेशी विशेषज्ञ आयेंगे, वे कौन से देश के होंगे और वे कब तक यहां पर रखे जायेंगे ?

श्री सै० अ० मेहदी : कोई विदेशी आदमी नहीं आयेंगे। विदेशी लोग बायलर और जेनीरेटर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे बायलर और जेनीरेटर हमेशा के लिए यहां रखे जायेंगे।

†**श्री वारियर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिजली देने के लिये सरकार का योजना की अन्तरिम अवधि के लिए कोई स्थानापन्न व्यवस्था करने का कोई विचार है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : हम भाखड़ा से कुछ बिजली ले रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में बिजली गुल नहीं हुआ करेगी या ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी।

पटना में राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्था तथा राजेन्द्र संस्थान

†*९२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्था तथा राजेन्द्र स्मारक संस्थान की स्थापना में सरकार के सहयोग के प्रश्न पर अन्तिम विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख) राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं यद्यपि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री के साथ कुछ अस्थायी निर्णय किये गये थे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय मंत्री जब पटना गई थीं तो यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार योजना पर विचार करेगी तथा इस प्रायोजन के लिये सारभूत सहायता देगी । यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आवश्वासन दिया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : बिहार राज्य सरकार के मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री बड़े उत्सुक थे कि एक स्मारक होना चाहिये और उन्होने पंजीबद्ध की जा चुकी समिति के अन्य सदस्यों के साथ इस बारे में भारत सरकार से सहायता की मांग की । प्रस्ताव यह था कि कुछ रुपया वे इकट्ठा करेंगे और कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा दे दिया जाए । उस बैठक में ये निर्णय किये गये थे कि राज्य सरकार बताये कि वह क्या कर सकती है, योजना की उच्चतम सीमा में क्या उपलब्ध है तथा किस सीमा तक रुपया समिति को दिया जा सकता है । सुझाव था कि तपेदिक के लिये एक विशेष प्रदर्शनात्मक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए और उस केन्द्र को किसी तरह की तपेदिक अनुसंधान संस्था में बदला जा सकता हो जिसके लिये कुछ रुपया राज्य सरकार देगी तथा कुछ केन्द्रीय सरकार देगी तथा इस दिशा में प्रारम्भिक कदम उठाया जा सकता है । परन्तु अब तक इस सम्बन्ध में हमें राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रस्तावों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को कोई और योजना भी प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : हमें राज्य सरकार से कोई भी योजना नहीं मिली है ।

डा० गोविन्द दास : चूंकि राजेन्द्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपपि थे, तो क्या उन की कोई यादगार दिल्ली में बने, इस का भी विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिलकुल दूसरा सवाल है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : अगर स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम भेजने में देर की है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस को जल्दी से जल्दी भेजने के लिये हिदायत करेगी ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, यह इनिशिएटिव तो स्टेट से ही आने का है । हमारे यहां से यह नहीं उठ सकता ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : तपेदिक के बढ़ते हुये खतरे को देखते हुये क्या सरकार के पास पटना में कोई ऐसा अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तपेदिक का सवाल नहीं है । अगला प्रश्न ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : प्रश्न संख्या ९३,९७ और ११४ एक साथ ले लिये जायें क्योंकि उनका सम्बन्ध एक ही विषय से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री महोदय को कोई आपत्ति न हो तो दोनों का एक साथ उत्तर दे दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण जल संभरण

+

†*९३. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पेय जल बोर्ड ने राज्यों को कहा है कि ग्रामीण जल संभरण की सभी योजनाओं का एक ही अभिकरण के अन्तर्गत समन्वय किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियायें हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत जल संभरण कार्यक्रमों का समन्वय इस समय एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके सभापति निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यह समायोजन कहाँ तक लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). पेय जल बोर्ड ने सभी ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को एक ही अभिकरण के अन्तर्गत समन्वित करने की सुगमता पर राज्य सरकारों से बातचीत की है ।

(ग) और (घ). निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री के सभापतित्व में ऐसी कोई समिति नहीं है । कुछ समय पहले जल संभरण से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सभापतित्व में एक समन्वय समिति बनाई गई थी जिसमें अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे ।

+/ १ **ग्रामीण जल संभरण**

†*९७. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री चतर सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जल संभरण सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकरार को ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से कोई सहायता मांगी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जल संभरण सुविधायें पूरी करने के लिये लगभग ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है ।

(ख) और (ग). ग्रामीण जल संभरण के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण से कोई सहायता नहीं मांगी गई है । तथापि, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि से उपलब्ध लगभग ५००,००० अमरीकी डालर देश के विशेष क्षेत्रों में प्रमुख ग्रामीण जल संभरण परियोजनाओं पर खर्च करने का विचार है । इन परियोजनाओं के बारे में अभी अभी श्रीगणेश किया गया है ।

श्री भी० प्र० यादव : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वाटर सप्लाई तथा ड्रेनेज का सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में करने की कोई स्कीम भेजी है, यदि भेजी है तो उस स्कीम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और उन राज्यों से क्या प्रतिक्रियायें मिली हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इनवैस्टीगेशन डिविजंज कायम करने के लिये कहा था और उसके लिये पूरा खर्चा भी हम ने दिया है । करीब करीब सभी राज्यों में ये इनवैस्टीगेशन डिविजंज कायम हो चुके हैं जो इस सारे सवाल का जायजा ले रहे हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : इन कार्यक्रमों को चालू करने में सोलह वर्षों का विलम्ब होने तथा ग्रामीण जल संभरण समिति की सिफारिशों के बाद इन सिफारिशों की क्रियान्विति में अनेक वर्षों का विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : महत्वपूर्ण कारणों में से एक है संसाधनों की कमी, अर्थात् आर्थिक संसाधनों की कमी, तथा दूसरा और इतना ही महत्वपूर्ण कारण है पाइपों, पम्पों तथा फिल्टरों जैसी अत्यावश्यक सामग्री की कमी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : माननीय मंत्री को केवल कारण बता देने की बजाय हमें बताना चाहिये कि क्या प्रयास किया गया है और सरकार क्यों सफल नहीं हुई है । क्या उनके पास और कोई चारा नहीं था और क्या वे हमें अधिक आवंटन करने के लिये नहीं कह सकते थे ?

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य ने मुझ से विलम्ब के कारण पूछे थे और वे मैंने बता दिये जहां तक प्रयत्नों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकती हूं कि हम प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रहे हैं । जांच विभाग की स्थापना इस दिशा में एक ठोस कदम है ताकि समस्या का निर्धारण किया जाये और विशेष क्षेत्रों के लिये ठोस योजनायें तैयार की जायें तथा ज्यों ही वे योजनायें हमारे पास पहुंचेंगी हम उनके निस्पादन के लिये वित्त मंत्री को अधिक आवंटन के लिये कहेंगे ।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन सौ करोड़ रुपया रूरल वाटर सप्लाई में खर्च होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या छोटे से छोटे गांव में भी पानी की इससे व्यवस्था हो जायेगी, यदि हां तो किसानों से क्या वैसे चार्ज होंगे तथा कितने आदमी इस में लगेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : छोटे छोटे गांवों में बहुत जगहों पर तो कुएं खोदे जा रहे हैं और खोदे गये हैं और कुएं के पानी के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है, कोई पैसा उन से नहीं लिया जाता है। जहां तक पाइप वाटर सप्लाई का सम्बन्ध है, यह माना गया है सब की तरफ से कि पाइप वाटर सप्लाई पर कुछ न कुछ चार्ज लगाना पड़ेगा। अब क्या चार्ज होगा, क्या नहीं होगा, यह तो स्थानिक परिस्थितियों को देख कर स्थानिक लोग ही तय करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस योजना में तथा इस राशि के व्यय के अन्तर्गत सभी गांव आ जायेंगे।

†**डा० सुशीला नायर** : यही प्रस्ताव है।

†**श्री हिम्मतसिंहजी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस काम में राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार उन क्षेत्रों को पूर्ववर्तिता देंगी जिन में पानी का सदा अभाव रहता है और जो भीषण दुर्भिक्ष की स्थिति में ग्रस्त रहते हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : हमने श्री बलवन्तराय मेहता के सभापतित्व में एक पेय जल बोर्ड स्थापित किया था जिसने एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा उस प्रतिवेदन की एक सिफारिश यह है कि कमी वाले क्षेत्रों को उच्चतम पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये।

†**श्री प्र० कु० घोष** : क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों को पूर्ववर्तिता देने का है जहां गन्दे पानी के कारण समय समय पर संक्रामक तथा छूत के रोग फूट पड़ते हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : वह भी एक कारण है।

†**श्रीमती विमला देवी** : देश के सारे गांवों को पीने का ताजा पानी देने में कितने वर्ष लगेंगे ?

†**डा० सुशीला नायर** : हम इसे यथासम्भव शीघ्र करना पसन्द करेंगे। हम इसे चौथी योजना के अन्त तक पूरा करने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि इस तीन सौ करोड़ रुपये में से कितना रुपया राज्य सरकारें देंगी, कितना केन्द्रीय सरकार देगी अथवा यह सारा रुपया किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से लिया जाएगा ?

डा० सुशीला नायर : फाइनेंसिंग का पैटर्न इस प्रकार से है देहाती पानी की योजना के लिए कि पचास प्रतिशत तो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है और बाकी के पचास प्रतिशत में से पच्चीस प्रतिशत राज्य सरकार खुद देती है और पच्चीस प्रतिशत स्थानिक लोगों से वसूल करती है। कई जगहों पर स्थानिक लोग पच्चीस प्रतिशत नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए अब सुझाव यह रखा गया है कि राज्य सरकारें तय करें कि कितना वे स्थानिक लोग दे सकते हैं और पच्चीस प्रतिशत में से जितना कम पड़ता है स्थानिक लोगों की कांट्रीब्यूशन में से उस का आधा भारत सरकार दे और आधा राज्य सरकार दे।

श्री राम सेवक यादव : क्या मंत्रालय का ध्यान प्रो० मार्टिक जोन के इस सुझाव की ओर गया है कि पानी की व्यवस्था करने के लिये, पानी की समस्या को हल करने के लिये एक हजार मील लम्बी पाइप लाइन की व्यवस्था करने से ही यह समस्या हल की जा सकती है, यदि गया है, तो इस के बारे में क्या हो रहा है और यदि नहीं गया है तो क्यों नहीं गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : खाली पाइप लाइन लगने से ही कोई पानी का सवाल हल नहीं हो सकता है। पहले तो पानी का सोर्स ढूंढना चाहिये, फिर वह पानी शुद्ध है या नहीं, साफ है या नहीं, यह तय करना चाहिये, उस के बाद ही पाइप लगाने का सवाल उठता है ।

†**श्री त्यागी** : दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इस मद के लिये क्या आवंटन था ? उस में से कितने का उपयोग किया गया है ? अथवा सरकार अभी जांच पड़ताल की ही प्रावस्था में है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं यह उल्लेख कर दूं कि जल संभरण योजनाओं से सम्बन्ध रखने वाला एक मंत्रालय नहीं है अपितु ज्यादा है । ग्रामीण जल संभरण योजना का काम एक ओर तो सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा जहां तक पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है यह काम गृह-कार्य मंत्रालय करता है, स्थानिक कार्य योजना आयोग द्वारा तथा परिरक्षित जल संभरण के रूप में यह काम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

†**श्री त्यागी** : अव्यवस्था ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य ने जिस अव्यवस्था का उल्लेख किया है उसी को देखते हुए हम ने पेय जल बोर्ड बनाया जिस का काम यह देखना था कि कितना समन्वय हो सकता है । जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आवंटन का सम्बन्ध है, हमारे पास लगभग ६० करोड़ रुपया था जिस में से पहले दो वर्षों में ५।। करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या मैं जान सकती हूं कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जल संभरण के लिये इस प्रयोगात्मक अग्रिम परियोजना को कहां क्रियान्वित किया जा रहा है तथा लक्ष्य क्या है ?

†**डा० सुशीला नायर** : हम ने ६ क्षेत्र चुने हैं : उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में ६ गांव हैं, गढ़वाल जिले में ६२, राजस्थान में उदयपुर जिले में हम ने बड़गांव खंड में १४० गांव लिये हैं, पंजाब में कांगड़ा तथा गुरदासपुर में ९४ जमा २४ गांव , मद्रास में मदुराय जिले में ३५ गांव, गुजरात के अहमदाबाद जिले में बावला क्षेत्र; बिहार ने अभी तक क्षेत्र के बारे में फैसला नहीं किया है ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्रामीण जल संभरण योजना कई राज्यों में, कम से कम मेरे राज्य आसाम में, असफल हो गई है ? क्या सरकार इस की जांच करेगी ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं नहीं जानती कि कौन सी ग्रामीण जल संभरण योजना असफल हो गई है । यदि माननीय सदस्या के पास कोई जानकारी है तो उन से वह जानकारी प्राप्त कर के मुझे हर्ष होगा ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ योजनायें रुपये की कमी के कारण रोक दी गई थीं । अब जबकि धन सरकार को दे दिया गया है क्या इन योजनाओं को आगामी दो वर्षों में चलाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : प्रत्येक ऐसी योजना जो तकनीकी दृष्टि से ठोस है और जिस के लिए सामान मिल सकता है, निष्पादन के लिये हाथ में ली जा रही है । अब तक लगभग १६,००० गांवों को पाइपों द्वारा पानी दिया जा चुका है । वैसे तो यह छोटी सी चीज है लेकिन यह ठीक दिशा में एक पग है । इस समय एक सब से बड़ी कठिनाई ३ इंच–६ इंच व्यास की छोटी पाइपों के संभरण की है तथा ऐसी कम्पनियां हैं जो इन पाइपों का निर्माण करती हैं और जिन के पास आगामी कई वर्षों के लिए क्रयादेश आए हुए हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इतने विस्तार में उत्तर देती हैं जिस से सदस्यों को अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की उत्तेजना होती है । जब एक अनुपूरक का उत्तर दिया जाता है तो उस के बाद पहले से भी अधिक सदस्य खड़े हो जाते हैं और वह अधिकाधिक ब्योरा देती हैं । उन्हें पूछे गए प्रश्नों तक ही सीमित रहना चाहिये ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा राज्य है जहां जल संभरण योजना अब तक सफल थी ?

†**डा० सुशीला नायर** : जहां तक मुझे पता है जहां कहीं इसे चलाया गया है इस में सफलता मिली है ।

सिंचाई क्षमता

+

†*९४. **श्री हेम बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पें० ब्रेंकटासुब्बया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध होने वाली सिंचाई क्षमता का काफी प्रतिशत अप्रयुक्त रहता है जिस से राष्ट्रीय संसाधनों को बड़ी मात्रा में हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सैं० अ० मेहदी)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सिंचाई क्षमता के प्रयोग का ठीक निर्धारण करने के लिए एक वर्ष में उत्पन्न क्षमता की तुलना आगामी वर्ष के प्रयोग से करनी चाहिये । दूसरे शब्दों में, मार्च, १९६२ के अन्त तक उत्पन्न १२८.१० लाख एकड़ों की क्षमता की तुलना मार्च १९६३ तक १०६ लाख एकड़ों के उपयोग से करनी चाहिये और ऐसे २२.१० लाख एकड़ का अन्तर रह जाता है । इस आधार पर उत्पन्न क्षमता का ८२ प्रतिशत से अधिक प्रयुक्त किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्षमता के उत्पन्न होने तथा उस के प्रयोग होने में कुछ समय के गुजरने को रोका नहीं जा सकता। प्रयोग को और अधिक सुधारने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपाय किये गये हैं। उन में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(१) बहुत से राज्यों ने विधान बना कर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं कि यदि हितग्राही लोग खेतों की नालियां न बनायें तो उन के खर्च पर राज्य सरकारें नालियों का निर्माण करा सकती हैं।

(२) अनेक राज्य सरकारों ने विकास की प्रारम्भिक अवधि में कृषकों को पानी की रियायती दरों की अनुमति दी है।

(३) राज्य सरकारों को हितग्राही लोगों को "खंड" निधियों में से ऋण देने का परामर्श दिया गया है ताकि वे खेतों की नालियां बना सकें। ऐसा न होने पर, "खंड" निधि इन कामों को पूरा करने के लिये पंचायतों को दी जानी होती है।

†**श्री हेम बरुआ** : अब जबकि तीसरी योजना का तीसरा वर्ष आरम्भ हो रहा है क्या यह बताया जाना विचित्र नहीं लगता कि ३० लाख एकड़ से अधिक की पैदा की गई सिंचाई क्षमता बिना प्रयोग में आये रह जायगी और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस अव्यवस्था के लिये त्रुटिपूर्ण सिंचाई आयोजन कहां तक उत्तरदायी है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : मेरे विचार में आयोजन इस के लिए उत्तरदायी नहीं है। मार्च १९६२ में उत्पन्न क्षमता लगभग १२८.१० लाख एकड़ थी और मार्च १९६३ तक प्रयोग लगभग १०६ लाख एकड़ है और केवल २२.१० लाख एकड़ शेष रह जाता है। इउ का अर्थ है कि ८० प्रतिशत से अधिक का प्रयोग हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि विवरण में यह सब दे दिया गया है तो वह इसे दोहरा क्यों रहे हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच एक बैठक में सुझाव दिया गया था कि इस बड़ी समस्या का हल यही है कि कृषि कार्यक्रमों को सिंचाई परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय तथा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनायें चालू की जायें और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : ये सुझाव क्रियान्विति के लिये राज्यों को भेज दिए गए हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : यह कह कर कि सुझाव क्रियान्विति के लिये राज्यों को भेज दिये गये हैं वह सारी चीज़ पर पानी फेरने को कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यह सरकार राज्यों को न केवल सुझाव प्राप्त कर लेने पर बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने के लिये कहां तक तैयार कर सकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कल्पित सा वातावरण तैयार कर रहे हैं।

†**संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : योजना आयोग ने जो सुझाव दिये थे वे सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी विभिन्न गोष्ठियों में अनेक राज्यों के ध्यान में लाये गये थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिये परियोजना समितियां बनाई गई हैं। इन परियोजना समितियों में समाहर्ता, कृषि विभाग के प्रतिनिधि, सिंचाई विभाग के तथा पंचायतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। उन्हें यह देखने का काम सौंपा गया है कि पानी का इस्तेमाल हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने इस बात की सत्यता की जांच करने की कोशिश की है कि जहां भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उन के उपयोग न करने का प्रमुख कारण पठवन की दरों का अधिक होना है । यदि हां, तो क्या कोई सुझाव विभिन्न सरकारों को भेजा गया है कि वे इस सम्बन्ध में जांच करें ।

श्री सैं० अ० मेहदी : हर रियासत के रेट्स मुख्तलिफ हैं । अपनी अपनी रियासत के मुताल्लिक उन्होंने रेट मुकर्रर किए हुए हैं । इसलिए यहां से कुछ लिख कर नहीं भेजा जा सकता कि वह रेट्स किस तरह तकसीम किये जायें ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि सिंचाई क्षमता के इस्तेमाल में मुख्य कठिनाई खेतों को पानी ले जाने वाली नालियों के गलत या त्रुटिपूर्ण निर्माण की है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : पहले यह निर्णय किया गया था कि पानी की नालियां ऐसी बनाई जायें जो पांच क्यूजक तक पानी ले जा सकें । अब, इसे एक क्यूजक बढ़ा दिया गया है । उस के बाद, खेतों को नालियां कृषकों को बनानी होंगी और उन का भार राज्य सरकारों को संभालना होगा । वे इसे महसूस करें इस के लिए प्रत्येक उपाय किया जा रहा है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी**: मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि मुख्य कठिनाई त्रुटिपूर्ण नालियों की है ।

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : सरकार को पता है और इन नालियों को बनाने के लिए उपाय किये गये हैं । इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को पंचायतों तथा खंडों की सहायता लेने को कहा गया है । राज्यों ने यह काम आरम्भ किया है और इन नालियों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के हेतु उन्हें अनुदान तथा राज सहायता के रूप में कुछ रियायतें देने के लिए कहा गया है ।

†**श्री लहरी सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जलमार्गों के निर्माण के लिये भूमि अर्जित करने के लम्बे तरीके को छोटा करने पर विचार कर रही है जिस से कि कृषक उपयुक्त समय पर पानी का प्रयोग कर सकें ?

†**श्री हाथी** : पानी के प्रयोग का काम विभिन्न परियोजना समितियों का है जिन में कृषि विभाग के प्रतिनिधि तथा समाहर्ता सम्मिलित हैं । जहां तक मुख्य नालियों का सम्बन्ध है, वह विचाराधीन है ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: बताया गया है कि क्षमता के तैयार होने तथा परियोजना के इस्तेमाल में कुछ समय बीत जाता है । क्या मैं जान सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम में कितना समय बीता, तैयार की गई क्षमता के प्रयोग के लिये किये गये प्रयत्नों के बावजूद समय बीतने के कारण क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री हाथी** : दामोतर घाटी परियोजना के प्रयोग का प्रश्न अलग है । पश्चिम बंगाल सरकार तथा दामोदर घाटी निगम में जल के प्रयोग, प्रभार आदि के बारे में विवाद था । नालियों की व्यवस्था दामोदर घाटी निगम द्वारा की जा रही थी जबकि वे पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्राधिकार में थीं । अब, पश्चिम बंगाल सरकार ने नालियों की व्यवस्था स्वयं संभाल ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हिम्मतसिंहजी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राजस्थान नहर को कांडला तथा कच्छ तक बढ़ाने पर विचार करेगी ।

†**श्री हाथी** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि बांधों की सिंचाई की जो क्षमता आंकी गई थी, उतनी इस्तेमाल हो रही है या कम हो रही है, क्या इस की कोई जांच पड़ताल हो रही है । यदि हां, तो कहां हो रही है, किस के द्वारा हो रही है और कब तक हो सकेगी ।

श्री हाथी : ८० प्रतिशत का उपयोग हो रहा है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : समाचारपत्रों में निश्चित रूप से उल्लिखित है कि इस बात की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है कि कितनी क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है । उनका उत्तर बिल्कुल भिन्न है ।

†**श्री हाथी** : मैं ने कहा है कि इस समय उत्पन्न क्षमता का ८० प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है .

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण में ८२ था ।

†**श्री हाथी** : ८० या ८२ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों में कृषकों से पानी की रियायती दरें वसूल की जा रही हैं यद्यपि खेतों की नालियां उन की भूमि तक नहीं पहुंची हैं और पानी भी नहीं दिया गया है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : जैसाकि मैं ने कहा यह सच है कि कृषक के स्तर पर इन नालियों के निर्माण में कुछ कमी है और ऐसा केवल उत्पन्न क्षमता की कमी के कारण ही नहीं है बल्कि उस काम के कारण जो कृषकों द्वारा होना है तथा राज्य सरकार द्वारा गतिमान् किया जाना है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नालियों के निर्माण के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के पूर्ण प्रयोग में मुख्य कठिनाई भूमि कर, जल कर तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं में वृद्धि की है ; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सभी प्रश्नों की जांच करने तथा एक विस्तृत प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : उन्होंने बताया है कि १९६२ में क्षमता १२६.३० लाख एकड़ थी और १९६३ में वास्तविक प्रयोग १०६.३० लाख एकड़ था । क्या यह उसी वर्ष के लिये है अथवा १९६२ तक कई वर्षों से पैदा की गई समूची क्षमता है ? यह भी बताया जाय कि क्या प्रयोग भी कई वर्षों तक का है अथवा केवल उसी एक वर्ष का ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सै० अ० मेहदी** : मैंने पैदा की गई क्षमता तथा प्रयोग दोनों के बारे में उस वर्ष तक कहा था ।

†**श्री तिरुमल राव** : यह पिछले कितने वर्षों के लिये था ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : परियोजनाओं के आरम्भ से ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम जैसी कुछ बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं में बरसात शुरू होने से पहले न तो छोटी नहरों में पानी होता है और न खेतों की नालियों में और जब बरसात शुरू होती है तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है ? क्या इस बारे में पुनर्विलोकन किया गया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इस प्रकार का हमने कोई पुनर्विलोकन नहीं किया है ।

श्री यशपाल सिंह : कुछ ट्यूब वैल्स की सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है । कुछ ट्यूब वैल स्टेट मिनिस्टर्स ने सिर्फ वोटर्स को प्लीज़ करने के लिए बनवाए हैं और वहां हाइडल और इर्री-गेशन दोनों डिपार्टमेंट . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैंने कल भी कहा था कि प्रश्नों में पूर्वधारणायें, अभ्यारोप तथा छेकोक्तियां नहीं होनी चाहियें । प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे होने चाहियें । यह कहना ठीक नहीं है कि मिनिस्टरों ने अपने इलेक्शन के लिए ट्यूबवैल बनवाए हैं । यह आप और मौके पर कह सकते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट यह है कि ४० ट्यूब वैल डेफिसिट में रन कर रहे हैं । तो इसका क्या इलाज है ?

†**श्री जसवन्त मेहता** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में नवीनतम निर्धारण कब किया गया था और क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मुख्य बांध के निर्माण के बाद तीन या चार वर्षों तक भिन्न भिन्न राज्यों में मुख्य नहरों का काम नहीं किया गया था ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : जहां तक रेंड का सम्बन्ध है मुख्य नहर तथा अन्य नहरें कार्यक्रम के अनुसार ही बनाई गई थीं । तीन या चार वर्षों का कोई प्रश्न नहीं था । उन्हें समय अनुसूची के अनुसार बनाया गया था ।

श्री किशन पटनायक : क्या सरकार को जानकारी है कि हीराकुड नहर योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है और इस कारण किसानों का बड़ी नहर योजनाओं से आकर्षण हट गया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : देश की क्षमता पर विचार करते समय एक एक परियोजना में जाना कठिन है ।

श्री किशन पटनायक : कोई असेसमेंट किया गया कि फायदा हुआ है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश

+

†*९५. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री महेश्वर नायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कोल्ला (वेंकैकया) :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जसवन्त मेहता :

वेंकया

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश में परिवर्तनों के लागू होने के पश्चात् सरकार को स्वर्णकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इन परिवर्तनों से स्वर्णकारों में बेकारी की स्थिति में सुधार करने में सहायता मिली है और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) क्या कोई अग्रेतर परिवर्तन करने का विचार है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां । कुछ अभ्यावेदन आ रहे हैं ।

(ख) नवम संशोधन नियमों के अन्तर्गत किये गये २३ सितम्बर, १९६३ से प्रभावी रूपभेदों ने कुछ मात्रा तक अपना काम करने वाले सुनारों की सहायता की है । उन लोगों को भी काम पर लगाने के लिये कार्यवाई की जा रही है जो सुनार का काम छोड़ना चाहते हैं ।

(ग) मामला विचाराधीन है और स्वर्ण नियंत्रण नियमों को बदलने का एक विधेयक चालू सत्र में लाया जा रहा है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : क्या सरकार को यह अभ्यावेदन मिला है कि २४ जून, १९६३ की अधिसूचना में शोधकों को १४ कैरट से अधिक शुद्धता वाले सोने के आभूषणों का शोधन करने से रोका गया है और १४ कैरेट शुद्धता के ऊपर का सोना बचने से व्यापारियों को रोका गया है ? यदि ऐसी बात है, तो क्या २४ कैरेट शुद्धता का सोना बेचने और उसका शोधन करने के लिये व्यापारियों को लाइसेंस देने का, और उस सोने को बदलने के लिये जिस किसी मिश्र धातु का प्रयोग वे करना चाहें, प्रयोग करने देने के लिये आभूषण व्यापारियों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

Linking.

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं नहीं समझता कि व्यापारियों को १४ कैरेट से अधिक शुद्धता का सोना या सोने के आभूषण बेचने के लिये कोई अनुमति दी जानी चाहिये ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : क्या सरकार को पता है कि प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तथा विवरण भरने की आवश्यकता से अपना काम स्वयं करने वाले सुनारों को भारी कठिनाई होती है और यदि हां, तो क्या सरकार प्रक्रिया में नर्मी करने का विचार करती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : संभव है कि कुछ मामलों में कठिनाई होती हो और सरकार उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि नियमों में अग्रेतर परिवर्तन किये जा रहे हैं । क्या प्रस्तावित परिवर्तन बेकारी की स्थिति को ठीक करने के दृष्टिकोण से, और कड़े किये जायेंगे या उन में नर्मी की जायगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि बेकारी की स्थिति में सुधार लाने के लिये सहायता करना संभव होगा, तो उस सीमा तक नियमों में नर्मी की जायेगी । यदि, दूसरी ओर, इस उपाय का उद्देश्य विफल होता दिखाई दिया, तो नियमों को कड़ा किया जायेगा । प्रत्येक मामले का फैसला गुण दोष के आधार पर होगा । अतः इस समय सामान्य विचार का कोई लाभ नहीं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : स्वर्ण नियंत्रण नियमों द्वारा सोने के मूल्य कहां तक गिरे हैं और सोने का तस्कर व्यापार कहां तक कम हुआ है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रश्न के बाद वाले भाग के उत्तर में, यदि मुझे ठीक मालूम हो कि देश में कितना सोना चोरी से लाया गया है तो मैं कह सकता हूं कि तस्कर व्यापार में कितनी कमी या वृद्धि हुई है । यह बात कोई नहीं जानता । हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और माननीय सदस्य का अनुमान भी वैसा ही हो सकता है जैसा मेरा । प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं कहूंगा कि जब स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी विधयक इस सभा में आएगा, तो इस पर विस्तार के साथ चर्चा की जा सकती है ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में जो संशोधन किये गये हैं ; उनके कारण स्वर्ण नियंत्रण आदेश निष्प्रभा हो गया है ? क्या सरकार को अब या तो स्वर्ण-नियंत्रण आदेश को पूर्णरूपेण लागू करना चाहिये या इसे सर्वथा समाप्त कर देना चाहिये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा माननीया सदस्या के विचारों से मतभेद है ।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को पता है कि इस मास १८ तारीख को देश भर में सुनारों ने सामान्य हड़ताल की थी और क्या नियमों में संशोधन करते समय इस विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं कह सकता कि मुझे इस बड़े विरोध का पता है । इस मामले पर विरोध होते रहते हैं । इन सब मामलों पर तब विचार किया जा सकेगा जब यह विधेयक पेश होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस विधान को पेश करते समय सुनारों के संगठनों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जायगा और क्या उन्होंने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं जिस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार करता हूं उसमें सभी बातों को ध्यान में रखा गया है और जिन बातों की ओर ध्यान न गया होगा और मा० सदस्य सुझाव देंगे, उन पर सरकार अवश्य ध्यान देगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उनके संघ से परामर्श किया गया है । उन्होंने अभ्यावेदन दिया है । मैं आश्वासन चाहता हूं कि विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके अभ्यावेदन पर ध्यान दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल में आश्वासन न तो दिये जा सकते हैं और न ही मांगे जा सकते हैं ।

†**श्री रंगा :** क्या इस बात में कोई सचाई है जो मैं इस सभा के कुछ उत्तरदायी सदस्यों से सुनी है कि अब क्योंकि मंत्री जी स्वर्ण नियंत्रण, आदेश में संशोधन करने की संभावना का विचार कर रहे हैं, वह स्वर्णकार संघ या सर्राफों के प्रतिनिधियों से मिलने या अभ्यावेदन प्राप्त करने को तैयार नहीं हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** स्वर्ण नियंत्रक को इन सभी अभ्यावेदनों को प्राप्त करने को कहा गया है ।

†**श्री रंगा :** क्या मंत्री जी किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिये तैयार नहीं हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य प्राधिकारी को मिलने का काम सौंपा गया है ।

†**श्री रंगा :** वह कार्यपालक प्राधिकारी हैं । और मंत्री जी मंत्री मंडल का सर्वप्रमुख अधिकारी हैं । जब वे लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो वह क्यों तैयार नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तर्क में पड़ रहे हैं ।

†**श्री रंगा :** तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने उनको मिलने से इन्कार कर दिया । क्या स्वर्ण नियंत्रण के बाद प्रतिनिधि मंडल मंत्री को नहीं मिल सकता । इतने महत्वपूर्ण मामले में, इतने बड़े संघ वाले लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार होना चाहिये कि वे मंत्री से मिल सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं मानता हूं कि मंत्री ही अन्तिम प्राधिकारी हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** १४ कैरट से अधिक शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों की मरम्मत की अनुमति अपना काम करने वाले स्वर्णकारों को दी गई है । क्या यह तथ्य है कि छोटे स्थानों पर सुनार हैं जो अपना काम करते हुए मरम्मत करते हैं और साथ ही बड़े व्यापारियों के साथ काम करते हैं और उन को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है जबकि बड़े व्यापारियों को प्रमाणपत्र 'अपना काम करने वाले सुनारों' के नाते मिल जाता है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे पूर्व सूचना चाहिये । यदि मा० सदस्य विशिष्ट मामला बतायें तो मैं जांच कर सकता हूं, किन्तु इस समय मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मा० मंत्री ने कहा है कि उन्हें इस नवीन आदेश के लागू होने के पश्चात् कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । वे अभ्यावेदन क्या हैं और कितने सुनार अपना व्यवसाय छोड़ने लगे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे पास सांख्यिकी नहीं। यह उन लोगों की संख्या पर निर्भर करता है, जिनका पुनर्वास हो चुका है। जहां तक संभव होगा मैं उन आंकड़ों को बाद में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। जब तक अभ्यावेदनों का प्रश्न, मेरे पास इस अभ्यांश के साथ कि 'स्वर्ण नियंत्रण समाप्त हो' अनेकों तारें प्रतिदिन आती हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस बात के होते हुए कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू है, १४ कैरट शुद्ध से अधिक सोने की खरीद और फरोख्त जारी है और विवाहों आदि के लिये आभूषण भी बनाये जारहे हैं। जब तक आदेश लागू हैं, सरकार कड़ा नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कार्रवाई सोची जा रही है। मैं इस बात से अवश्य सहमत हूं कि वे सर्वथा पूर्ण नहीं और ऐसे नहीं कि वे किसी अपवंचन को रोक सकें। जब तक संभवतः एक या दो वर्ष तक यही चलेगा और तब कहीं हम पर्याप्त मात्रा तक इस को रोक सकेंगे।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बैया** : क्या सुनारों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा, और यदि हां, तो क्या कारण है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वास्तव में, मेरे पास गुजरात सरकार का एक अभ्यावेदन आया है कि उनको दिये गये धन में अधिक राशि की आवश्यकता है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बैया** : जिन राज्यों को कोई सहायता नहीं दी जाती, उनकी स्थिति क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये तो मैं राज्य सरकार से सूचना एकत्रित करके सभा के समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने बतलाया था कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू हो जाने से कितने इस काम के करने वाले व्यक्ति बेकार हुए हैं इस के हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, क्या वह आंकड़े एकत्रित हो चके हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि अभी माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि जब वह बिल आयेगा उस वक्त हम कोशिश करेंगे कि इस सूचना को दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा सवाल दूसरा था। पिछली पार्लियामेंट में आपने कहा था कि हम इस के आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों में वह एकत्रित हो चुके हैं या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने कहा हम कोशिश करेंगे कि जब वह बिल पेश हो तो वह आंकड़े हम दे दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बिल में तो वे आंकड़े आयेंगे नहीं।

[**श्री शिवशंकरन** : तामिल में बोलें (**अन्तर्वाधायें**)] :

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : माननीय वित्त मंत्री भी तामिल जानते हैं वे इसका तामिल में जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह जानते हैं तो मैं नहीं जानता और जब तक मैं न समझूं तब तक मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, वे इसका अंग्रेजी में तर्जुमा कर दें और वह अंग्रेजी में बतला दें । वित्त मंत्री महोदय तामिल जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता । कल भी मैंने कहा था और आज दुबारा मैम्बर साहबान से अपील करता हूं कि इस मुल्क और कौम की एकता के लिये उन को कुछ और ज्यादा जिम्मेदारी का अहसास करना चाहिये ।

†**श्री राजा राम :** इसका अनुवाद अंग्रेजी में दिया जाए क्योंकि हम इसे समझने में असमर्थ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देश की एकता के नाम पर अपील कर रहा हूं कि हमें ऊंचा उठना चाहिये और अधिक उत्तरदायित्व की भावना दर्शानी चाहिये ।

†**श्री मनोहरन :** माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते । वह तो केवल तामिल जानते हैं । वित्त मंत्री भी तामिल जानते हैं । अतः वह उत्तर दे सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल मैंने कहा था कि सदस्य यहां केवल दो ही भाषाओं में सभा के समक्ष बोल सकते हैं ।

†**श्री मनोहरन :** किंतु वह दोनों में से कोई भी नहीं समझते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हिन्दी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं में ही सभा के समक्ष बोला जा सकता है । निस्सन्देह, एक उपबंध किया गया है जो केवल भाषणों के लिये है, कि यदि कोई सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानता और बोल नहीं सकता, तो वह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, किसी अन्य भाषा में भाषण कर सकता है, परन्तु शर्त यह है कि उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद पहले से अध्यक्ष को दिया जाना चाहिये ।

†**श्री मनोहरन :** परन्तु अनुपूरक प्रश्नों की पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । मैंने जो कहा है, उसके अतिरिक्त कुछ संभव नहीं है । माननीय सदस्य इसका पालन करें । मैं अपील करूंगा कि सदस्य भ्रान्ति उत्पन्न न करें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय सदस्य जब दोनो में से कोई भी भाषा नहीं जानते, तो उन्हें उनकी मातृभाषा में ही बोलने दिया जाए और उसका अनुवाद करवा दिया जाए ? **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अंग्रेजी के द्वारा इस देश की एकता नहीं रह सकेगी । अगर आप अंग्रेजी चलाते हैं, तो यह देश टूट जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर अंग्रेजी के द्वारा नहीं रह सकती, तो हिन्दी के द्वारा रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : इसका यह मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे मुझे कोई तकरार नहीं है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो कुछ हमारे कांस्टीट्यूशन . . .

†**श्री मनोहरन :** यदि वह उत्तर देने को तैयार हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे समझ जाना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि सवाल संभव है, और क्या मुझे उसकी अनुमति देनी चाहिये और क्या मंत्री को उसका उत्तर देना चाहिये या नहीं। जब तक मैं इसका फैसला न कर दूं, मैं मंत्री को उसका उत्तर देने को नहीं कह सकता। यदि कोई पीठासीन अधिकारी सभी १४ भाषाओं को जानता है तो मैं उसके लिये स्थान छोड़ने को तैयार हूं — **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हरिविष्णु कामत :** पहले इस मत के एक सदस्य ने बंगाली या मलयालम में प्रश्न पूछा था और उसका अनुवाद अंग्रेजी में अन्य सदस्य ने दिया था और उसका उत्तर दिया गया था . . .

†**श्रीमती विमला देवी :** सभी १४ भाषाओं का साथ साथ अनुवाद किया जा सकता है — **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। हम महिलाओं से अधिक अनुशासित होने की अपेक्षा करते हैं। मुझे वह धरना याद है। यदि यह यथार्थ स्थिति है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कभी कभीमैं इसकी अनुमति दूंगा। मैंने भी अनुमति दी थी क्योंकि उस समय मुझे वह प्रार्थना समुचित प्रतीत हुई थी **(अन्तर्बाधा)**। परन्तु क्योंकि यह प्रार्थना कल के विवाद के बाद उठी है, इसकी स्थिति भिन्न है।

श्री मनोहरन : इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मैं इसे आज स्वीकार कर लूं तो इसको आगे भी किया जाएगा और कोई निर्णय नहीं हो सकेगा। अतः मैं इस स्थिति को रोकने के लिये सभी सदस्यों से कहूंगा। मैंने अपील की है और मैं इसे दुहराता हूं कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री मनोहरन :** क्या आपका यह आशय है कि उनका इस सभा में कोई प्रयोजन नहीं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या आप सभा के नेता और अन्य नेताओं की बैठक बुलाकर इन सब मामलों की चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इसका यह अर्थ होता है कि जो हिन्दी या अंग्रेजी नहीं समझ सकते, उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित रहना पड़ता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कल यह प्रस्ताव रखा गया था और मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि मैं बैठक शीघ्र ही बुलवाऊंगा। मैंने कल सभा को आश्वासन दिया था कि वह प्रस्ताव किया गया है और मैंने इसे मान लिया। परन्तु मुझे इस बात में सन्देह है कि हम सभी भाषाओं और अनुपूरक प्रश्नों के लिये यह व्यवस्था कर सकेंगे। मैं इस समय सभा को बता दूं कि जब हम साथ साथ अनुवाद शुरू करेंगे, तो वह व्यवस्था प्रश्नकाल के लिये नहीं होगी; यह लाभदायक नहीं होगा क्योंकि दुभाषिये उपलब्ध नहीं होंगे, जो इतनी शीघ्रता से अनुपूरकों और इन सब चीजों का अनुवाद कर सकें। प्रश्नकाल में यह संभव नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमें बहुत अच्छे अनुवादक मिल सकते हैं।

†**श्री मनोहरन :** हमें हिन्दी या अंग्रेजी न जानने वाले सदस्यों के लाभार्थ कोई व्यवस्था करनी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मुझे यह विश्वास दिलाया जाए कि यह उचित प्रार्थना है और माननीय सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी कुछ भी नहीं समझते, तो उनका नेता प्रश्न का उद्देश्य समझा सकते हैं।

†**श्री कंडप्पन :** वित्त मंत्री तामिल जानते हैं।

†**श्री अ० प्र० शर्मा :** एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा है कि सभा की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी में होगी। यह संविधान में भी उपबंधित है। क्या हम संविधान के विपरीत एक नवीन अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** बिल्कुल नहीं। मैंने सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई है और उसमें निर्णय किया जाएगा कि हम क्या तरीका अपनायें और विधि तथा संविधान के अनुसार कौनसा तरीका ठीक है। किन्तु क्योंकि एक बार पहले सभा ने एक सदस्य को ऐसी अनुमति दी थी, मैं ऐसा प्रतीत नहीं होने देना चाहता कि किसी विशिष्ट दल के विरुद्ध भेदभाव किया गया है। उन्हें यह अनुभव नहीं होना चाहिये कि यह भेदभाव है। इसीलिये मैंने अनुमति दी है। **(अन्तर्बाधा)**

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :** यह प्रथा नहीं बननी चाहिये। (अन्तर्बाधा)

†**श्री शि० ना० चतुर्वेदी :** जब हिन्दी या अंग्रेजी न जानने वाला सदस्य मुख्य प्रश्न को नहीं समझ सकता तो अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री मनोहरन :** माननीय सदस्य वित्त मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी होने के पश्चात, बहुत से सुनारों ने आत्महत्या करली थी—हमें पता चला है कि बहुत से सुनार परिवारों ने आत्महत्याएं की हैं। —और क्या सरकार उन शोक संतप्त परिवारों को कोई सहायता देने का विचार कर रही है?

श्री किशन पटनायक : वित्त मंत्री तामिल में जवाब दें और बाद में उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाये।

†**श्री इम्बीचिबावा :** औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें अंग्रेजी आती है।

(श्री इम्बीचिबावा मलयालम में बोले)

@श्रीमन्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठा रहा हूं। गत समय में बहुत से अवसरों पर, अपने मलयालम के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद पहले दे देने के पश्चात्

---

†मूल अंग्रजी में।

@मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित।

मुझे मलयालय में बोलने की अनुमति दी जाती रही है । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त, मेरे द्वारा पहले से अंग्रेजी अनुवाद दिये बिना ही आप मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देते रहे हैं और मलयालम में प्रश्नों के पूछे जाने के पश्चात् मेरे कोई मित्र तुरन्त ही उसका अनुवाद कर देते थे । श्रीमन्, अब आपने जो कुछ कहा है उससे मुझे डर है कि कहीं उससे अंग्रेजी में पहले अनुवाद दिये बिना मलयालम में अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का मेरा विशेषाधिकार छिन न जाये। अतएव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रश्न पर पुनः विचार करें और तदनुसार अपना विनिर्णय दे।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अब बैठ जायें।

†**श्री ति० स० कृष्णमाचारी :** प्रश्न अस्पष्ट है। तो भी सरकार को जो सूचना मिली है, उससे पता चलता है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश में नर्मी किये जाने के पश्चात् समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं की सूचना नहीं छपी। परन्तु यदि माननीय सदस्य सरकार का ध्यान इस की ओर आकर्षित करने को बहुत उत्सुक हैं तो वह मद्रास सरकार को लिखें और यदि राज्य सरकार अनुभव करेगी कि ऐसी कोई घटना है, तो मुझे विश्वास है कि वह यथायोग्य कार्यवाही करेगी।

विभिन्न राज्यों में विद्युत प्रणालियों का मिलाया जाना

+

†*९६. **श्री बूटा सिंह :**
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री वारियर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दें० द० पुरी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री अ० न० विद्यालंकार :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों में विद्युत प्रणालियों के मिलाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है ;

(ख) कौन से राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रस्ताव से कौन से लाभ प्राप्त होंगे ?

मंत्री/

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सभा सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) जी नहीं।

(ख) सभी राज्यों ने जिनके साथ, परस्पर मिले जाने की प्रणालियों के प्रश्न पर चर्चा की गई थी, अब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

(ग) विद्युत प्रणालियों को परस्पर मिलाने से संबद्ध राज्यों के बीच बिजली का लाभदायक आदान प्रदान हो सकेगा, और परिणामतः बेकार क्षमता में बड़ी कमी हो जाएगी और चलाने में मितव्ययता आएगी तथा बिजली बनाने के उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग भी हो सकेगा।

अनुमान है कि अखिल भारतीय आधार पर, तीसरी योजना के अन्त तक विविध प्रणालियों के परस्पर मिलाये जाने से १११० मैगावाट तक अतिरिक्त बिजली ले जाने की क्षमता हो जाएगी, और पूंजी परिव्यय में ९९.५ करोड़ रुपये की तथा वार्षिक कार्यकारी व्यय में ९.४२ करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी।

†**श्री बूटा सिंह** : इस योजना की प्रगति एवं संचालन की देख भाल कौन सा प्रशासन तंत्र करेगा और यह मशीनरी कहां लगाई जाएगी, दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिजली प्रणालियों का यह मिलाया जाना तभी संभव होगा जब सब राज्य अपनी सम्मत्ति दे देंगे कि वे इस योजना में कैसे भाग लेंगे। इस समय हमारे पास केवल दो मिलाने वाले ग्रिड हैं, एक दक्षिण में और दूसरा उत्तर में। यह निर्णय करना अन्य राज्यों का काम है।

†**श्री बूटा सिंह** : मा० मंत्री ने उत्तर दिया कि उन्हें सभी राज्यों की सम्मत्ति प्राप्त नहीं हुई। किन राज्यों ने अभी तक अपने मत व्यक्त नहीं किये और उसके क्या कारण हैं ?

†**संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : सामान्यतया इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी और प्रायः सभी सिफारिशें सिद्धांतः रूप में स्वीकार कर ली गई थीं, कि एक परस्पर मिलाने वाली व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु जहां तक प्रादेशिक ग्रिजों का सम्बन्ध है, विविध राज्यों से ब्योरे प्राप्त किये जा रहे हैं। उत्तर के पंजाब, दिल्ली और राजस्थान राज्य और दक्षिण के केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों ने स्वीकार कर लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लोदी हाउस होस्टल

†*९८. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में लिंक रोड पर 'लोदी हाउस' होस्टल के निर्माण के सिलसिले में कुल कितना व्यय हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रिहायशी कमरों (लिविंग रूम्स) में फेर-बदल कर के उनमें इस तरह सुधार किया जायेगा कि उन्हें रहने लायक और आरामदेह बनाया जा सके ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) ३५.४३ लाख रुपये लिंक रोड नई दिल्ली पर लोदी हाउस होस्टल बनाने पर अब तक खर्च किये गये हैं।

(ख) नहीं, । कमरे काफी आरामदेह हैं ?

रूस से उपकरण

†*९९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री धवन :
श्री भो० प्र० यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली (द्वितीय चरण) और ओवरा बिजली घर (पावर स्टेशन) परियोजनाओं सम्बन्धी उपकरणों का मूल्य तय करने के लिए रूसी विशेषज्ञों का दल भारत आ चुक. है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रतिवेदनों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में काम कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रारंभिक कार्य आरंभ किया जा चुका है ।

रक्त बैंक और अनुसंधान संस्था

†*१००. **श्री प० कुन्हन :**
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २९ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृप. करेंगे कि :

(क) क्या रक्त बैंक और अनुसन्धान संस्था का कार्यालय अभी भी "पी" ब्लाक,नई दिल्ली में स्थित है ;

(ख) क्या संस्था पर कोई किराया बकाया है; और

(ग) इस संस्था को यह स्थान किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) यह इमारत १७ अक्तूबर, १९६३ को खाली कर दी गई थी।

(ख) जी हां, ५३४९ रुपये १० नये पैसे की राशि बकाया है।

(ग) दफ्तर का स्थान किराये पर लाइसेंस के आधार पर दिया गया था।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

*१०१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री गो० महन्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए विभिन्न राज्यों में अब तक कितना नकद धन, सोना तथा सोने के जेवर एकत्र हुए हैं ;

(ख) एकत्र किये गये धन में से अब तक कितनी रकम विभिन्न मदों पर व्यय की गई है; और

(ग) इस कोष के लिए धन-संग्रह का कार्य कब तक चालू रखने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या १८६७/६३**]

(ख) राष्ट्रीय रक्षा कोष समिति ने अब तक रक्षा सम्बन्धी साजसमान खरीदने के लिए, २७.२७ करोड़ रुपये और सेना के जवानों की सुख-सुविधा और उनके परिवारों के कल्याण के लिए ७१ लाख रुपये की मंजूरी दी है।

(ग) जब तक संकटकालीन स्थिति बनी रहेगी।

दिल्ली में जल संभरण

*१०२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी की उपलब्धता में बृद्धि करने और वितरण पद्धति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में विशेषज्ञ समिति का एक और प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं। समिति विवरण प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ सांख्यिकी एकत्रित कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

मूल्यों का बढ़ने न दिया जाना

†*१०३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० दे० पुरी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में मूल्यों को बढ़ने न देने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) अब तक उन का क्या परिणाम निकला ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १८६८/६३**]

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली बृहद् योजना

*१०४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वृहद् योजना (मास्टर प्लान) को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) क्या योजना में शामिल किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों के अर्जन के लिय जो बातचीत चल रही थी उस के बारे में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । यह १-९-१९६२ को लागू भी हो गई है ।

(ख) दिल्ली वृहद् योजना में शामिल किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसी क्षेत्र के अर्जन करने का कोई विचार नहीं है । योजना में दिल्ली संघ क्षेत्र से बाहर के किसी प्रदेश को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० १८७०/६३**]

आवास योजनाएं

†*१०५. श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री चतर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री गो० महन्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ह० च० सोय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त आवास योजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति के लिये विभिन्न राज्यों को और रकमें दी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक राज्य को आवंटन किस आधार पर किया जाता है ; और

(ग) क्या इस नये आवंटन से तृतीय योजना के लक्ष्य पूरे हो जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). हाल ही में किया गया नियतन साधारण वार्षिक आवंटन है । इसके अतिरिक्त कोई नवीन आवंटन नहीं किये गये । जिस आधार पर राज्यों के लिये आवंटन किया जाता है, वह राज्यों द्वारा उनकी वार्षिक योजनाओं में किया गया नियतन होता है ।

एक समान चिकित्सा पाठ्य-क्रम

†*१०६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० के लिये एक समान चिकित्सा पाठ्यक्रम चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रमों के प्रमापीकरण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). १९५९ में भारतीय चिकित्सा परिषद् ने, विश्व भर में चिकित्सा शिक्षा संबंधी आधुनिकतम प्रगतियों और विकासों को ध्यान में रखते हुए, अवर-स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में संशोधन के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक उप समिति नियुक्त की है । उद्देश्य यह था कि भारतीय में चिकित्सा पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाये कि नवीन चिकित्सा स्नातकों को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल और कम से कम समय में चिकित्सा करने के लिये अपेक्षित ज्ञान और योग्यता प्राप्त हो जाए । उप-समिति की सिफारिशों पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विचार किया गया था और १५-६-६२ को सभी विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थीं, जिनमें से अधिकांश ने उन को १९६३ के शिक्षण सत्र से कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है ।

मद्रास में स्वर्ण शोधक कारखाना

*१०७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में स्वर्ण शोधक कारखाने की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भारत के अन्य किन स्थानों पर ऐसे कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मद्रास सरकार ने, मद्रास में सोना साफ करने का कारखाना चलाने के लिए, औद्योगिक सहकारिता समिति (इण्डस्ट्रियल

†मूल अंग्रेजी में

कोआपरेटिव सोसाइटी) को ३ लाख रुपये का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति, निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) के गठन और योजना की दूसरी बातों के लिए भी मंजूरी दे दी है ।

(ख) अभी तक किसी दूसरे इलाके से इस तरह का कोई और प्रस्ताव नहीं आया ।

मद्रास नगर को ऊंची श्रेणी में रखना

†*१०८. **श्री गो० महन्ती :**
श्री उमा नाथ :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास नगर को 'ए' श्रेणी में लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) जिन अन्य नगरों की श्रेणी ऊंची करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) किसी नगर को 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत करने का मापदण्ड क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर अपनाई गई कसौटी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक (नगर) तथा मकान किराया भत्ते देने के प्रयोजनों के लिये २० लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 'ए' श्रेणी के नगर वर्गीकृत किया गया है । कुछेक नगरों के पुनर्श्रेणीकरण के लिये अनुरोध प्राप्त होने पर सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस प्रयोजन के लिये जनसंख्या के अतिरिक्त कोई अधिक उपयुक्त कसौटी बनाई जा सकती है ।

पूर्व-निर्मित गृह निर्माण कारखाना

†*१०९ **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डय :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूसरा पुर्वानिर्मित गह निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है तथा इस कारखाने को शीघ्र स्थापित करने के हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) रूस तथा चैकोस्लोवाकिया में उपलब्ध पूर्व निर्मित संयंत्रों के नमूनों का निरीक्षण करने तथा सब से अधिक उपयुक्त नमूने को खरीदने के बारे में बातचीत करने के लिये शीघ्र ही अधिकारियों का एक दल वहां भेजने का विचार है ।

गैर-सरकारी वित्त समवाय

†*११०. **श्री कपूर सिंह :**
श्री गुरुशलन :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी वित्त समवयों के कार्यकलापों का विनियमित किया है ;

(ख) यदि हां, तो विनियमन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या कोई ऐसी सीमा है जिससे अधिक ये समवाय किसी विनियोजन पर सूद नहीं ले सकते ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग) प्रश्न का विषय तथा क्षेत्र स्पष्ट नहीं हैं । तथापि सरकार इस समय कुछेक प्रकार के वित्त समवायों के कार्यकरण की जांच कर रही है ।

विदेशों से भेजा गया धन

†*१११. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से कितना धन गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस देश में आया ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विदेशों में अर्जित विदेशी मुद्रा की, जो वहीं रख ली जाती है, बड़े पैमाने पर चोरबाजारी हो रही है ; और

(ग) इस प्रकार के कदाचार किस रूप में होते हैं तथा इनको दूर करने के लिये सरकार का क्या करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क)

	(करोड़ रुपये)
१९५८	४६·६
१९५९	४५·५
१९६०	३४·९
१९६१	२९·०
१९६२ (प्राथमिक)	२५·०

(ख) जी हां ।

(ग) ये मुख्यतः प्रतिकरात्मक भुगतानों के रूप में होते हैं । प्रवर्तन निदेशालय ऐसी कार्रवाहियों पर कड़ी नजर रख रहा है ।

कानपुर में विद्युत् संकट

†*११२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स्वैल :
श्री हेडा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही कानपुर में बिजली का भारी संकट उत्पन्न हो गया था ;

(ख) क्या इस विकट समस्या के हल के लिये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है ;

(ग) क्या केन्द्र ने इस मामले में कोई सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल सेना प्राधिकारियों से ही कुछ सहायता मांगी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के दो सदस्य कानपुर गये और उन्होंने स्थिति का सामना करने के लिये उपायों के बारे में उत्तर प्रदेश प्राधिकारियों को सलाह दी ।

फ्लैट स्वामित्व योजना[1]

†*११३. श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री चतर सिंह :
श्री हेडा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात का सुझाव दिया है कि वे ऐसी विधि बनायें जिसके द्वारा फ्लैट स्वामित्व योजना का दुरुपयोग रोका जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) राज्यों को सलाह दी गई है कि जब भी वे देखें कि स्वामित्व फ्लैटों के प्रवर्तक दुराचरण कर रहे हैं वे महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट (निर्माण, विक्रय, प्रबन्ध तथा हस्तान्तरण के संवर्द्धन का नियंत्रण) विधेयक, १९६३ जैसा विधान बनायें ।

ग्राम्य जल संभरण योजना

†*११४. श्री कर्णीसिंहजी :
श्री वि० भू० देव :
श्री हेम राज :
श्री रा० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प० कुन्हन :
श्री सं० वे० पाटिल :
श्रीमती विमला देवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्राम्य क्षेत्रों में पीने के पानी के संभरण की न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Flat ownership scheme.

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना धन नियत किया गया है और कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) योजना के क्रियान्वित होने के परिणामस्वरूप देश के किन किन भागों को अभी तक लाभ पहुंचा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८७०/६३**]

कोसी और गण्डक परियोजनाएं

†*११५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी और गंडक योजनाओं से सम्बन्धित अवशिष्ट प्रश्नों पर विचार करने के लिए भारतीय और नेपाली इंजीनियरों की बैठक नई दिल्ली में अक्तूबर में हुई थी ;

(ख) सम्मेलन में किन किन राज्यों ने भाग लिया ;

(ग) बैठक में क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या गंडक और कोसी परियोजनाओं सम्बन्धी अग्रेतर बातचीत नेपाल में होने वाली है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख) जी हां। नेपाल के मुख्य इंजीनियर के साथ १९ अक्तूबर, १९६३ को दिल्ली में बातचीत की गई थी । इस बातचीत में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मुख्य इंजीनियरों तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के इंजीनियरों ने भाग लिया था ।

(ग) अगली वर्षा ऋतु के आरंभ से पहले निष्पादन के लिये गंडक तथा कोसी परियोजनाओं के लिये नदी प्रशिक्षण कार्यों का एक स्वीकृत कार्यक्रम तैयार किया गया था ताकि नेपाल और भारत में जिस भूमि तथा आबादी को बहुत खतरा है उनकी यथासंभव अधिक से अधिक रक्षा की जा सके । यह भी निर्णय किया गया था कि गंडक बिजली घर के लिए जनन यंत्रों की खरीद के लिए शीघ्र ही क्रयादेश दिये जाने चाहियें ।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सहायता का उपयोग

†*११६. श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशी सहायता के उपयोग के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन

†*११७. श्री रा० बरुआ :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर परिवार नियोजन के योजनागत लक्ष्यों के पूर्ण होने की संभावना है ;

(ख) ग्रामीण तथा नगरीय जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या २७ करोड़ रुपये के नियतन में से केवल ५ करोड़ ७० लाख रुपये ही खर्च किये गये हैं, और यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला क विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८७१/६३]

योग अनुसंधान मंत्रणा समिति

†*११८. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग अनुसंधान मंत्रणा समिति ने योग के रोग चिकित्सा पहलुओं पर विचार के सम्बन्ध में क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या इसका अपने निष्कर्षों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

समिति की दो बैठकें हुई थीं जिन में निर्णय किया गया था कि योग चिकित्सा का अध्ययन बम्बई तथा दिल्ली की चुनी हुई संस्थाओं में चुने हुए ऐसे मनः शारीरिक रोगों पर किया जाना चाहिये जिनके सम्बन्ध में उपचार की उच्च प्रतिशतता का दावा किया जाता है। यह भी विचार किया गया था कि अलमपुर की एक संस्था में योग ब्रह्मचारियों के प्रशिक्षण की भी जांच की जाये। इसके अतिरिक्त अनुसन्धान के लिये अपनाई जाने वाली पद्धति तथा उपचार की कसौटी की एक समिति द्वारा जांच होनी चाहिये। समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं, इस समय नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में जल संभरण

†*११९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री यशपाल सिंह:
श्री द्वारका दास मंत्री:
श्री मोहन स्वरूप:
श्री हेडा:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० सितम्बर, १९६३ को दिल्ली की जल संभरण व्यवस्था पूर्णतया भंग हो गई थी, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां चन्द्रावल और वजीराबाद वाटर वर्क्स से पानी आता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की गड़बड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं । तथापि, २½ घंटों के लिए संभरण सीमित था ।

(ख) संभरण में विघ्न बस-बार इन्सुलेटर[1] के रुक जाने से पड़ा था जैसा कि बहुत ही कम होता है और जिसके परिणामस्वरूप बिजली बन्द हो गई थी ।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को दिल्ली बिजली प्राधिकार की प्रणाली को सुधारने के बारे में सलाह देने के लिए कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bus bar insuletor.

पंजाब-दिल्ली-उत्तर प्रदेश विद्युत् प्रणाली

*१२०. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
सिद्धेश्वर प्रसाद।
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली बोर्डो ने अपनी विद्यत् प्रणाली को मिलाना स्वीकार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो बिजली के संभरण तथा व्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस अनुकलित चालन योजना के आधीन, भाकड़ा के दाएं किनारे पर स्थित बिजली घर के पांचवें उत्पादन यूनिट के चालू होने से अन्तर्राज्य प्रणालियों की स्थिर क्षमता में लगभग ११० एम० डब्ल्यु० की वृद्धि लाना सम्भावित है। इससे पूंजीगत परिव्यय में १० करोड़ रुपये की बचत होगी और पंजाब की जलीय प्रणालियों से परवर्तित विद्युत् के उपभोग से वार्षिक चालू खर्च में ९० लाख रुपये की बचत होगी। इस बचत में ईंधन खर्चा में जो बचत होगी, वह भी सम्मिलित है ।

दामोदर घाटी निगम

२५२ **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने मत्स्यपालन का भी कार्य शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इस व्यवसाय से निगम को कितना लाभ/हानि हुई; और

(घ) क्या निगम की स्थापना जिन उद्देश्यों से हुई थी उनमें मत्स्यपालन भी शामिल था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) १९५२–५३ से ।

(ग) १९६२–६३ के अन्त तक मछली बेच कर, अधिशुल्क के रूप में, और मछली पकड़ने के लाइसेंसों को दे कर कुल पावती २,८४,३९२ रुपये की हुई है और इस काल तक का खर्चा १७,४०,८३६ रुपये है। इस स्कीम से कोई खास आमदनी नहीं हुई है क्योंकि यह अभी विकास व्यवस्था में है ।

(घ) जी, नहीं। दामोदर घाटी निगम मत्स्यपालन का काम उपसंगी व्यवसाय के रूप में कर रही है।

दामोदर घाटी निगम

२५३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने सिंचाई का जो लक्ष्य पहले निर्धारित किया था उसमें कमी कर दी गई है,

(ख) पूर्व निश्चित लक्ष्य क्या था और संशोधित लक्ष्य क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि सिंचाई की दर अधिक होने के कारण किसान इससे लाभ नहीं उठा पाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या किया जा रहा है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख)

	प्रारम्भिक लक्ष्य (एकड़ों में)	पुनरवलोकित लक्ष्य
खरीफ . . .	१०,४४,०००	९,७३,०००
रबी . . .	३,००,०००	५५,०००

(ग) तथा (घ). सिंचाई के लिये पानी के परचून दर पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फिल्म वित्त निगम

२५४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म वित्त निगम ने कतिपय फिल्म कम्पनियों को फिल्म निर्माण के लिये ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे फिल्म कम्पनियां कौनसी हैं, तथा प्रत्येक को दिये गये ऋण की राशि क्या है; और

(ग) फिल्मों का नाम क्या होगा, ये किस भाषा में और कब तक बनेंगी?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जा रहा है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८७२/६३]**

आपात जोखिम बीमा

†२५५. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात जोखिम बीमा पर ली जाने वाली दरों में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो यह किस तिथि से लागू हुआ है; और

†मूल अंग्रे

(ख) अब इस कदम के उठाये जाने के क्या कारण हैं तथा क्या वर्तमान परिस्थितियों में इस परिवर्तन की आवश्यकता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां। दरों को तीन बार बदला गया था जैसा कि निम्नलिखित है :

किस तिथि से	वस्तु योजना	कारखाना योजना
	बीमा योग्य मूल्य के	प्रति सैंकड़ा रुपयों की दरें
१-४-१९६३ . .	१० नये पैसे	१५ नये पैसे
१-७-१९६३ . .	७.५० नये पैसे	११.२५ नये पैसे
१-१०-१९६३ . .	६ नये पैसे	१० नये पैसे

(ख) आपात जोखिम बीमा का अधिशुल्क कोई राजकोषीय कर नहीं है और जोखिमों के निर्धारण को देखते हुये इसे समय समय पर बदला गया है।

मद्रास राज्य में हैजा

†२५७. **श्री थेनगौंडर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मद्रास राज्य के थनजेवुर जिले में हैजा से पीड़ित होने वालों तथा मरने वालों की संख्या क्या है ;

(ख) चालू वर्ष में हैजा के उन्मूलन के लिये मद्रास राज्य को कैसी और कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) राज्य में हैजे के बहुत अधिक मामलों को देखते हुये क्या मद्रास सरकार को दी गई सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) मद्रास के थनजेवुर जिले में २६ अक्तूबर, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक चालू वर्ष में हैजा के कुल १५०३ मामलों की सूचना मिली है। इनमें से ६६३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

(ख) हैजे के उन्मूलन के लिये राज्य सरकारों द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी या दी गई थी परन्तु परिरक्षित जल संभरण के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है जिससे हैजे तथा अन्य आन्त्रिक रोगों की रोकथाम होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास के लिये कावेरी का जल

†२५८. { **श्री थेनगौडर** :
डा० श्रीनिवासन :
श्री बालकृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहायता से कावेरी का जल पीने के लिये मद्रास नगर तक लाने का कोई प्रस्ताव है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह काम कब शुरू किया जाएगा; और

(ग) इस काम का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भुसन्दपुर शरणार्थी बस्ती

†२५९. **श्री पू० चं० देवभंज** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी जिले में भुसन्दपुर शरणार्थी बस्ती में पुनर्वासित शरणार्थियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या वहां सभी शरणार्थी केवल पूर्वी पाकिस्तान के ही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर अब तक खर्च की गई राशि कितनी है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) ९१० विस्थापित परिवार ।

(ख) जी हां ।

(ग) २९.३० लाख रुपये (१९.९२ लाख रुपये ऋण के अन्तर्गत तथा ९.३८ लाख रुपये अनुदान के अन्तर्गत) ।

उड़ीसा में स्वर्णकारों का पुनर्वास

†२६०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण बेरोजगार हुये स्वर्णकारों के बच्चों को शिक्षा पर खर्च करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रतिवर्ष १६ लाख रुपये देने की प्रार्थना की है ,

(ख) क्या यह राशि मंजूर की जा रही है ;

(ग) क्या यह तदर्थ अनुदान होगा या वार्षिक आधार पर आवर्ती व्यय होगा; और

(घ) यदि प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राजस्थान में करों का निर्धारण

†२६१. **श्री कर्णीसिंहजी** :
श्री वि० भू० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६३, को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में राजस्थान में आय कर के संबंध में कुल निर्धारण क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में की गई वसूली की राशि कितनी है ;

(ग) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में राजस्थान में सम्पदा शुल्क के संबंध में कुल निर्धारण क्या है ;

(घ) इसी अवधि में की गई वसूली की राशि कितनी है ;

(ङ) ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले गत चार वर्षों में राजस्थान में धन कर के संबंध में कुल निर्धारण क्या है ; और

(च) इसी अवधि में की गई वसूली की राशि कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

देशी चिकित्सा प्रणाली

†२६२. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये विकास योजनायें तैयार करने के हेतु एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन कौन हैं तथा इसके कार्य के लिये निर्देश पद क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) १९६६—८१ की अवधि के लिये दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना तैयार करने के सम्बन्ध में और विशेष रूप से चौथी योजना के लिये परियोजनायें तैयार करने के लिये विभिन्न कार्यकारी दल स्थापित किये गये हैं। देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये कार्यकारी दल तथा होम्योपैथी के उप-दल के सदस्यों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८७३/६३**]

उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत् योजनायें

†२६३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तैयार की गई सरकारी योजनाओं द्वारा उड़ीसा में पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना कालों में कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई हो रही है ;

(ख) इस भूमि का उड़ीसा में सिंचाई होने वाली कुल भूमि से क्या अनुपात है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में तैयार की जा रहीं मुख्य विद्युत् और सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कटक नगर का विकास

†२६४. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक नगर (उड़ीसा) के विकास के लिये २६ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). सरकार ने कटक नगर के विकास के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की है। तथापि, ५१.२४ लाख रुपये की लागत वाली कटक जल संभरण योजना तथा २८.१०५ लाख रुपये की लागत वाली जल-निकास योजना द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थीं। केन्द्रीय सहायता का प्रारूप १०० प्रतिशत ऋण था।

मेडिकल कालेज

†२६५ { **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान मेडिकल कालेजों की राज्यवार कुल संख्या क्या है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने मेडिकल कालेज खोले जायेंगे; और

(ग) आजकल चिकित्सा स्नातकों की कितनी कमी है और इस सम्बन्ध में तीसरी योजना के लक्ष्य में कितनी कमी होने की आशा है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) राज्यवार विद्यमान ७८ मेडिकल कालेजों की एक नामावली संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १८७४/६३]। इनके अतिरिक्त मेरठ चिकित्सा कालेज की नीव पड़ गई है और शोलापुर मेडिकल कालेज का उद्घाटन हाल में किया गया था। आर्य मेडिकल स्कूल, लुधियाना को मेडिकल कालेज बनाने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(ख) योजना में सम्मिलित चार मेडिकल कालेजों के तीसरी योजना के शेष काल में खुलने की संभावना है।

(ग) तीसरी योजना के लक्ष्य के अनुसार चिकित्सा स्नातकों का वर्तमान अभाव लगभग २००० स्नातकों का है। संभव है कि यह लक्ष्य योजना काल के अन्त में पूरा होने से भी ज्यादा प्राप्त हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य जमा योजना

†२६६. श्री प० कुन्हन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २१ सितम्बर, १९६३ तक राज्यवार अनिवार्य जमा योजना में कितना धन संग्रह हुआ ;

(ख) अनिवार्य जमा योजना के फार्म छपाने पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) अनिवार्य जमा योजना में धन संग्रह करने के प्रश्न की व्यवस्था पर क्या व्यय हुआ ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८७५/६३]

(ख) अनुसूचित बैंकों को छोड़ कर जिनके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फार्मों आदि की छपाई पर कुल लगभग ११.४७ लाख रु० व्यय हुए ।

(ग) जमा कार्यालयों के व्यय को छोड़ कर, जिन्हें न-लाभ न-हानि के आधार पर लागत लौटाई जायेगी, सरकार इन योजनाओं के संचालनपर कोई अतिरिक्त प्रशासी व्यय नहीं किया है । अनेक जमा कार्यालयों की लागत की पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

बल्ले मेला परियोजना

†२६७. श्री चतर सिंह :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्ले मेला परियोजना के लिए उपकरणों के संभारण के लिए रूस से कुछ वार्ता हो रही थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्ता राज्य सरकार ने की थी या रूस सरकार से वार्ता करने के काम किसी गैर-सरकारी कम्पनी को सौंपा गया है; और

(ग) बल्ले मेला परियोजना के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हां ।

(ख) रूसी प्राधिकारियों से प्रारंभिक वार्ता उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से कर रही है ।

(ग) प्रारम्भिक कार्य हो रहे हैं । व्यापार करार के अन्तर्गत रूस से ३ करोड़ रु० के मूल्य की निर्माण-मशीनें मंगाई जा रही हैं । जनन संयंत्र तथा उपकरण का विशेष-ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूल दन्त औषधालय

†२६८. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचंद्र सेठ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार देश में स्कूल दन्त औषधालय खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औषधालय खोलने के क्या कारण हैं ;

(ग) पर्याप्त दन्त सावधानी में इनसे कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) ऐसे औषधालय खोलने पर कितना व्यय होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) से (ग). स्कूल दन्त औषधालयों का खोलना इस लिए उचित है कि बच्चों में दन्त रोगों की बहुत अधिकता है। आरम्भ में ही ऐसे रोगों का पता लगने से रोगों को रोका तथा ठीक किया जा सकेगा। राज्य सरकारों को प्रस्ताव बनाने तथा लागू करने है।

(घ) दन्त औषधालय पर लगभग १४,००० रु० का आवर्तक और २०,००० रु० का अनावर्तक व्यय होगा।

जापानी टी० बी० दल का सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रोका जाना

†२६९. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचंद्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ सितम्बर, १९६३ को सीमा शुल्क अधिकारियों ने जापानी टी० बी० तथा फिल्म दल के तीन सदस्यों को उनके सामान सहित रोक लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). प्रत्यक्षत: असाही प्रसारण निगम के फोटोदल के सदस्यों का उल्लेख है जो सितम्बर में भारत आये थे। दल २६ सितम्बर, १९६३ को लगभग अर्धरात्रि के समय पालम पहुंचा था। उनका सामान २८ सितम्बर को दिया गया। ऐसा इस कारण हुआ कि दल ने सम्बन्धित आयात व्यापार नियन्त्रण की औपचारिकतायें पूरी करने में देर की।

---

†मूल अंग्रेजी में

तस्कर व्यापार के लिये गिरफ्तारी

२७०. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ सितम्बर, १९६३ को आसाम के ४ आदिमजातीय व्यक्ति चार हजार से ज्यादा घड़ियां सिंगापुर से लाते हुए पालम हवाई अड्डे पर पकड़े गये; और

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) यह सच है कि ११ सितम्बर, १९६३ को पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क (कस्टम्स) अधिकारियों ने ७ भारतीय नागरिकों के पास से, जो सिंगापुर से आये थे, लगभग ४००० घड़ियां और कुछ और चीजें बरामद कीं। इस सम्बन्ध में असम के किसी आदिवासी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

(ख) इन लोगों को १२ सितम्बर, १९६३ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इन में से दो को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बाकी अभी मजिस्ट्रेट की हिरासत में हैं। मामले का अभी निबटारा नहीं हुआ। सबूत मिलने पर, अगर मुनासिब समझा गया, तो विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद, अदालत में मुकदमा चलाया जायगा।

केरल में सुनारों को पुनः रोजगार

†२७१. श्री क० ब० गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के परिणामस्वरूप बेकार हुए सुनारों को पुनः रोजगार देने के लिए केरल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) अब तक इस सहायता में से कितना धन व्यय किया जा चुका है ;

(ग) स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के परिणामस्वरूप कुल कितने स्वर्णकार बेकार हुए थे; और

(घ) अब तक कितने सुनारों को पुनः रोजगार दिया जा चुका है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विस्थापित सुनारों को पुनः रोजगार देने के लिए केरल सरकार को १० लाख रु० ऋण दिये गये हैं।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास में सुनारों को पुनः रोजगार देना

†२७२. श्री उमानाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप बेकार हुए सुनारों को पुनः रोजगार देने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कैसी और कितनी सहायता मांगी है ; और

(ग) कितनी और कैसी सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुदान स्वरूप २५,८६२ रु० और ऋण स्वरूप ३०,३३,००० रु० ।

(ग) ७,४६,८०० रु० का ऋण दिया गया है । और सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कुष्ठ तथा फाइलेरिया कार्यक्रम

†२७३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री यशपालसिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री कर्णसिंह जी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ तथा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या कार्यक्रम को तीव्र करने के लिये कोई नया उपाय किया जाएगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). फाइलेरिया या कुष्ठ उन्मलन का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है । फिर भी, कुष्ठ और फाइलेरियासिस की रोक-थाम के राष्ट्रीय प्रोग्राम प्रथम पंच वर्षीय योजना से आरम्भ किये गये हैं और उनमें प्रगति हो रही है । जहां तक कुष्ठ का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि मद्रास राज्य में तिरुकेलूर स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा एक रोक-थाम यूनिट के किये गये मूल्यांकन से पता लगा है कि पांच वर्षों में रोग की दर ५.९ प्रतिशत से कम होकर ४.५ प्रतिशत हो गई है । इसका अर्थ है कि प्रोग्राम सफल हो रहा है । देश में अब तक खोले गये सभी कोढ़ नियंत्रण केन्द्रों में भविष्य में ऐसे मूल्यांकन करने का विचार है ।

फाइलेरिया के बारे में यह कहा जा सकता है कि नियंत्रण उपायों में मच्छर विरोधी उपाय तथा "डाईकिलराबमिजीन' से सामान्य चिकित्सा सम्मिलित है । पहिले उपाय में गांवों में घरों में स्प्रे करना और कीट-डिम्ब नाशक उपाय करना और नगरों में स्प्रे करना सहित लार्वल विरोधी काम होंगे । घरों को 'डाइलड्रन' से (जो टी० सी० एम० सहायता के अन्तर्गत दी गई) स्प्रे करने या बी० एच० सी० (भारत सरकार कोष से) स्प्रे करने के आशातीत परिणाम नहीं निकले । अतः प्रोग्राम के अन्तर्गत घरों में कीटनाशक स्प्रे करना बन्द कर दिया गया है ।

लगभग ६३ लाख व्यक्तियों को 'डाईकिलरावमिजीन' की गोलियां दी गई । कुछ व्यक्तियों पर औषधि का कुप्रभाव पड़ा, कुछ रोगी व्यक्तियों के रक्त में माइक्रो-फाईलेरिया पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ और औषधि दिये जाने के बाद व्यक्तियों पर मच्छरों के प्रभाव की दर में सराहनीय कमी नहीं हुई । अतः यह निश्चय किया गया कि अपेक्षतः गैर-नशीली औषधि के उपलब्ध होने तक जन चिकित्सा बन्द कर दी जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुख्य रूप से मच्छर-अण्डा नाशक तेल के प्रयोग वाले कीट विरोधी उपाय और छोटी इंजीनियरी के उपायों का सहारा लेकर, नगर क्षेत्रों में उपाय किये जा रहे हैं। जहां भी ये उपाय पर्याप्त मात्रा में किये गये, वहीं फाईलेरियासिस के फैलने में निश्चय ही कमी हुई है। भावी प्रोग्राम मुख्यकर इन्हीं उपायों पर आधारित है और राज्य सरकारों से तदनुसार कार्य करने को कहा गया है।

फाइलेरिया नियंत्रण का जलनिष्कासन की योजनायें बनाने तथा उन्हें लागू करने से गहरा संबंध है। फाइलेरिया का खतरा इस कारण बढ़ा है कि जल निष्कासन योजनाओं को जल-संभरण की योजनाओं और उद्योगों की स्थापना से नहीं मिलाया गया है। अब यह निश्चय किया गया है कि फाइलेरिया-प्रभावित क्षेत्रों में जल निष्कासन की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जल-निष्कासन की योजनाओं को बिना नलों से जल संभरण करने की योजनायें स्वीकार न की जायें। चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रस्ताव में जल निष्कासन तथा फाइलेरिया नियंत्रण की व्यवस्थायें सम्मिलित होंगी।

विदेश यात्रा

†२७४. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्गों के लोगों के लिए विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की सुविधाओं पर प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया है या करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित ढील का ब्यौरा देने वाला कोई विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हाल में यात्रा प्रतिबन्धों का पुनरीक्षण किया गया था और ४ अक्तूबर १९६३ से निम्न परिवर्तन किये गये हैं :—

(१) उन व्यक्तियों को, जिन्हें विदेशी सरकारों और विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों व सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक हितों के विकास के लिए बुलाया हो, 'पी' फार्म निष्कसान देने की उदार नीति अपनाई जा रही है। फिर भी, 'पी' फार्म निष्कसान सुविधा लोगों को थोड़ी संख्या में दी जायगी जिन्हें कुछ विदेशी मुद्रा भी दी जाएगी ताकि वे अपने आकस्मिक व्यय पूरे कर सकें। इसके अतिरिक्त, ऐसे लोगों की कुछ समय रास्ते में अन्य स्थानों पर बिताने की प्रार्थनाओं पर भी जो एक सप्ताह से अधिक के लिये न होंगी, विचार किया जाएगा। परन्तु इसके लिए और विदेशी मुद्रा नहीं दी जाएगी।

(२) तकनीकी विषयों के अलावा अन्य विषयों के अध्ययन के बारे में, पहिली यह रोक हटा दी गई है कि विद्यार्थी को चुने हुए विश्वविद्यालयों में से किसी एक में ही अध्ययन करना चाहिये। यदि विद्यार्थी भारत में न्यूनतम शिक्षा योग्यता का सिद्धांत पूरा करे, तो वह तकनीकी विषयों के अलावा अन्य विषयों का अध्ययन किसी भी विश्वविद्यालय में कर सकता है।

(३) महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के समाचार लेने के लिए समाचार एजेंसियों के संवाददाताओं को ही पहिले मुद्रा दी जाती थी। अब प्रसिद्ध समाचारपत्रों के संवाददाताओं को भी यह सुविधा देने का निश्चय किया गया है परन्तु पत्रकार समाचार पत्र का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए और उसमें वह कम से कम दो वर्ष से काम कर रहा हो। असंबद्ध पत्रकारों को विदेशी मुद्रा देने के लिए प्रार्थनापत्रों पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार का विचार यात्रा विनियमों का निरन्तर पुनरीक्षण करते रहने का है और यह इस दृष्टि से किया जायगा कि समय समय पर किसी संभावित परिवर्तन पर विचार किया जाय।

दिल्ली में बाढ़

†२७५. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दे० द० पुरी :
श्री कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नजफगढ़-नाला का कार्य पूरा करने की समय सारिणी में परिवर्तन कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कार्य में हुई देर का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रयास किया गया है ;

(ग) क्या सरकार से अभ्यावेदन किये गये हैं कि वह दिल्ली की "दुःखद नालियों व नालों" के देख रेख करने के लिए जिनसे सदैव बाढ़ आती है, एक अलग सिंचाई विभाग बनाए ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) हां ।

(ख) मामले की जांच हो रही है ।

(ग) हां ।

(घ) सुझाव विचाराधीन है ।

ब्रिटेन में पत्रकारों को विदेशी मुद्रा

†२७६. **श्री बड़े :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय पत्रकारों ने जो, जून, १९६३ में ब्रिटेन गये थे, ब्रिटेन में लगभग एक महीने के जेब खर्च के लिये कुछ विदेशी मुद्रा मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां । कुछ पत्रकारों व ब्रिटेन में जाने के संबंध में रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा मांगी थी ।

(ख) उन्हें कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई क्योंकि उस समय के सामान्य विनियमों के अनुसार, विदेशी सरकारों, संगठनों आदि के आमंत्रण पर विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रीयजनों को विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती थी । तत्पश्चात, विनियमों में संशोधन कर दिया गया है ।

बांधों का टूटना

†२७७. **श्री बड़े :**
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांधों के टूटन फूटने के बारे में क्या सरकार कोई समिति नियुक्त करने जा रही है ; और

(ख) सरकार ने ऐसी दुर्घटना फिर न हो, इसके बारे में क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) सरकार विचार कर रही है कि इस विषय में क्या किया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गैस्ट्रो-एन्टराइटिस के मामले

†२७८. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल की बाढ़ से पीड़ित कुछ जिलों से, जैसे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश रोहतक और अम्बाला (पंजाब) से गैस्ट्रो-एन्टराइटिस के छिटपुट मामलों का समाचार मिला हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के दूसरे भागों में इस रोग का फैलाव रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). पंजाब सरकार से ज्ञात हुआ है कि उस राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से गैस्ट्रो-एन्टराइटिस के छिटपुट मामलों का समाचार मिला है लेकिन वह व्यापक रूप से नहीं फैला है। राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सभी जल पूर्ति-साधनों में क्लोरीन मिलाने के लिए राज्य सरकार ने कार्यवाही की है। राज्य सरकार ने कीटानुनाशक द्रव्यों का छिडकाव करके और उन कीटाणुओं के पैदा होने की जगहों पर काफी मात्रा में गैमेक्सीन डस्ट का छिडकाव करके कीटाणु नाशक उपाय भी कार्यान्वित किये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

चेचक निरोधी औषधि

†२७९. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी डब्ल्यू ३३–टी–५५ नाम की एक नयी चेचक निरोधी औषधि का, जिसकी खोज कुछ ब्रिटिश चिकित्सा अनुसन्धान वैज्ञानिकों ने की है और जो चेचक रोकने के लिए टीके की अपेक्षा ज्यादा कारगर समझी जाती है, मद्रास राज्य में प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह औषधि कहां तक सफल रही और क्या उसे भारत में तैयार करने की कोई योजना है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) यह ठीक है कि संक्रामक रोग अस्पताल, मद्रास में इस नयी चेचक निरोधी औषधि का जिसका सांकेतिक नाम बोरोज बेल्कम कम्पाउन्ड

†मूल अंग्रेजी में

३३–टी––५७ है और न कि ३३–टी–५५ है, प्रयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में बोरोज बैल्कम के वैज्ञानिकों ने अन्य वैज्ञानिकों के सहयोग से किया था, यह गलत है कि यह औषधि चेचक को रोकने के मामले में टीके की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली, समझी जाती है या यह औषधी टीके का स्थान ले लेगी।

(ख) चेचक के संसर्ग के मामलों में यह औषधि सफल पायी गयी है। इस औषधी से इलाज किये गये ११०१ मामलों में सिर्फ ३ मामले चेचक के थे जब कि इस औषधि के प्रयोग के बिना ११२६ मामलों में से ७८ मामलों में १२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

यह औषधि भारत में तैयार करने की अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि अभी उसका प्रयोग और परीक्षण जारी है।

कांस्टिट्यूशन हाउस, नयी दिल्ली

†२८०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १–४–१९५७ से कांस्टिट्यूशन हाउस के रख रखाव पर सालाना कितना खर्च हुआ ;

(ख) उसी अवधि में उससे कितनी वार्षिक आय हुई ; और

(ग) इसी अवधि में हर महीने औसतन कितने कमरे भरे रहे?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग) यह जानकारी इकट्ठी करने में बाकी समय और परिश्रम लगेगा और यह समझा जाता है कि वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा?

बैंक आफ चाइना

†२८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ चाइना के समापन संबंधी कार्रवाई खत्म हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो बैंक के खातों और कागजात की जांच से क्या नतीजा निकला?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) बैंक का समापन अभी जारी है। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा बैंक के बहीखातों की विशेष जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। इस अधिकारी की सहायता के लिए रिजर्व बैंक का एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और इस जांच पड़ताल में शीघ्रता करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं?

†मूल अंग्रेजी में

आवास संबंधी समिति

२८२. श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मकान बनाने संबंधी काम काज का समन्वय करने और उसे एक अधिकारी के अधीन लाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने के बारे में सरकार सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति संभवतः कब स्थापित की जायगी ; और

(ग) इस समिति के समक्ष विचारणीय विषय क्या है ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). दिल्ली में मकान बनाने से संबंधित मामलों को निबटाने की वर्तमान व्यवस्था की छानबीन करने और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सरकार के ५ सचिव और दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर की एक समिति बनाई गयी है। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है।

कुष्ठ रोगी

†२८३. श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोगियों के बिगड़े हुए हाथों के लिए एक रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी यूनिट कायम करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब और कहां स्थापित की जायगी ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी रकम खर्च की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). सरकारी मदद से देश में कई एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट चल रहे हैं। मधुपुर में सन्थाल पहाड़ियां सेवा मंडल द्वारा जिसे भारत सरकार से मदद मिल रही है, एक नया यूनिट अभी स्थापित किया जा रहा है। समय समय पर और ऐसे यूनिट उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

कुष्ठ रोगियों के लिए एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट सेन्ट्रल लेप्रोसी टीचिंग एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चिंगलेपुट में काम कर रहा है और मद्रास महाराष्ट्र, आंन्ध्र प्रदेश, बिहार, मैसूर, पश्चिम बंगाल, केरल, आसाम और उत्तर प्रदेश में कई एक अस्पताल भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का काम कर रहे हैं।

(ग) सेन्ट्रल लेप्रोसी टीचिंग एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चिंगलेपुट में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट पर २·५ लाख रुपया खर्च किया गया है। पिछले तीन वर्षों में स्वयं सेवी अभिकरणों को कुष्ठ संबंधी कार्य के लिए १८·५९ लाख रुपये की सहायता दी गयी है।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियां

†२८६. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने १९६१–६२ और १९६२–६३ में देश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के विकास और अनुसन्धान कार्य के लिए कितनी संस्थाओं को नियमित रूप से सहायता अनुदान दिया है ;

(ख) अब तक कुल कितनी रकम दी जा चुकी है ; और

(ग) इन अनुसन्धानों का वास्तविक परिणाम क्या रहा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) विवरण संख्या १ संलग्न है ?

(ग) विवरण संख्या २ संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल-टी० १८७६/६३]

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

†२८८ **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटकाल की आवश्यकता पूरी करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा विषयक आवश्यकताओं को और अधिक मात्रा में पूरी करने के लिए देश के विश्व-विद्यालयों में एकीकृत चिकित्सा पाठ्यक्रम या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली चालू करने की किसी योजना पर विचार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिन्धु आयोग

†२८९. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु जल संधि १९६० के अधीन स्थापित किये गये स्थायी सिन्धु आयोग ने रावी के निचले हिस्सों के निरीक्षण का दौरा आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) :** (क) और (ख) सिन्धु जल संधि १९६० के अनुच्छेद ७(४)(ग) के अनुसार, अगस्त, १९६३ में किये गये प्रथम सामान्य निरीक्षण दौरे के छठे हिस्से में आयोग ने रावी के निचले हिस्सों का निरीक्षण किया और विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित तथ्यों का पता लगाया।

अनिवार्य जमा योजना की जमा की वापसी

†२९० **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० (मा०) खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य जमा योजना में परिवर्तन लागू करने से पहले जिससे आयकर दाताओं से भिन्न लोगों को इस योजना से मुक्त कर दिया गया है, उन लोगों से सरकार ने कुल कितनी रकम इकट्ठी की थी ;

(ख) उसमें से कितनी रकम वापस लौटा दी गयी है।

(ग) कितने लोगों को वापसी दी गयी है ;

(घ) अभी कितने लोगों को रकमें लौटानी बाकी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) लगभग १५९ लाख रुपया।

(ख) सभी जमा कार्यालयों से पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक २०.२५ लाख रुपये की वापसी का समाचार मिला है।

(ग) १.३९ लाख।

(घ) १२.९२ लाख।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य जमा योजना के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली

†२९१. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द० ब० राजू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर दाताओं के लिए अनिवार्य जमा योजना के अधीन अनिवार्य जमा इकट्ठी करने के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यप्रणाली के रखरखाव पर कितना अतिरिक्त आवर्तक व्यय करना पड़ेगा ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति शामिल हैं ; और

(ग) आज तक कितनी रकम इकट्ठी की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) विभिन्न जमा कार्यालय ये जमा प्राप्त करने के लिए जो खर्च करते हैं उसके अलावा सरकार आयकर जमा योजना के अधीन जमा इकट्ठी करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च नहीं करती।

(ख) लगभग १५ लाख।

(ग) ४३७ लाख रुपया।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

†२९२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश लागू करने से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** स्वर्ण बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और एक प्रशासक नियुक्त किया गया है जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और जिसे अन्य काम के साथ-साथ वे काम भी करने होते हैं जो पहले बोर्ड को सौंपे गये थे। नीति सम्बन्धी तथा प्रवर्तन सम्बन्धी सभी काम वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग में केन्द्रित किया गया है। नियन्त्रण के कुछ पहलुओं का जैसे सुनारों को प्रमाणपत्र जारी करना, राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है और प्रत्येक राज्य में काम काम का समन्वय करने के लिए स्वर्ण नियन्त्रण पदाधिकारी रखे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

झुग्गी-झोंपड़ी योजना

†२९३. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री यशपालसिंह :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री जी० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बाल्मीकी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी-झोंपड़ी वालों को कुछ प्लाट देने का निश्चय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितने ; और

(ग) क्या प्लाट देने के लिये कुछ शर्तें भी रखी गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण इसके साथ संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० १८७७/६३]

(ग) अब अनधिवासियों (स्क्वैटर) को सब प्लौट किराये पर दिये जा रहे हैं । उन पात्र अनधिवासियों को, जिनके नाम जून-जुलाई १९६० की जनगणना में दर्ज हैं, और जो सरकारी कर्मचारी, या स्थानीय निकायों के कर्मचारी, या प्रवासी मजदूर नहीं हैं, ८० वर्ग गज़ के प्लौट दिये जायेंगे, जबकि अपात्र अनधिवासियों को २५ वर्ग गज़ के प्लौट दिये जा सकते हैं ।

विदेशी बैंकों में खाते

२९४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बैंकों में मंत्रियों और संसद् सदस्यों के खातों के सम्बन्ध में क्या कुछ और जानकारी सरकार को सितम्बर, १९६३ के पश्चात् मिली है ;

(ख) क्या कुछ कम्पनियों, व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों के भी खाते विदेशी बैंकों में हैं ; और

(ग) भारत के रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में क्या कुछ और आदेश भी जारी किये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**:(क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में चिट फण्ड

†२९५. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकट्ट :
श्री हेडा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, १९६१ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने के लिए आवश्यक विनियम बनाये जा चुके हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस अधिनियम को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचरी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). चूंकि मद्रास सरकार ने मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, १९६१ के अधीन आवश्यक नियम अभी तक नहीं बनाये हैं या उस राज्य के किसी क्षेत्र में उस अधिनियम को लागू नहीं किया इसलिए उस अधिनियम को दिल्ली राज्य क्षेत्र पर लागू करने के सम्बन्ध में कुछ समय पहले जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार आगे कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं हुआ । नियम बनाने तथा अधिनियम को लागू करने के प्रश्न को शीघ्र निबटाने के लिए मद्रास सरकार को लिखा गया है ।

कुट्टियाडी पन बिजली परियोजना

†२९६. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुट्टीयाडी पन बिजली परियोजना कार्यान्वित करने की दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह परियोजना कब पूरी हो जायगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) प्रारम्भिक कार्य जैसे इमारत, सड़कें आदि तैयार करना और कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए पुल बनाना आदि जारी है । बिजली संयंत्र और साज सामान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गयी है ।

बांध, बिजली घर और अन्य असैनिक इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार नक्शे अन्तिम रूप से तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) अनुमान है कि यह परियोजना १९६६–६७ में पूरी हो जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†२९७. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन कौन से स्वयंसेवी संगठन हैं जिनको तीसरी योजना काल में अब तक परिवार नियोजन के कार्य में केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता मिली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : उन स्वयंसेवी संगठनों की सूची, जिनको परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अनुदान किये गये हैं; संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिय संख्या एल ० टी० १८७८/६३**]

लन्दन स्थित भारत के रिज़र्व बैंक का कार्यालय

†२९८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारत के रिजर्व बैंक के कार्यालय को बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). लन्दन स्थित भारत के रिजर्व बैंक के कार्यालय को ३० सितम्बर, १९६३ से बन्द कर दिया गया है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि यह मितव्ययिता के हित में है और दूसरे यह कि इसके कार्यालय का कार्य लन्दन स्थित भारत के स्टेट बैंक के कार्यालय द्वारा समुचित रूप से किया जा सकता है।

विद्युत् परियोजनायें

†२९९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओझा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामरतन गुप्त :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तीन विद्युत् परियोजनाओं, अर्थात्, बंदेल, केम्बे और बीरसिंहपुर, के लिये २४ करोड़ रु० के ऋण देने के लिये राजी हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की कुल लागत क्या होगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी बिजली पैदा की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव)** : (क) जी हां, परियोजनाओं की रुपया लागत पी० एल० ४८० निधि से मिलेगी । यह राशि ३८ करोड़ के ऋणों से, जो परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिये दी जायेगी, अतिरिक्त है ।

(ख) और (ग). इन तीन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत और विद्युत् जनन क्षमता निम्नलिखित है :—

	अनुमानित लागत करोड़ रु० में	जनन शक्ति
(१) बन्देल . . .	२९.०० रु०	४×७५/८७.५मे० वा०
(२) कैमबे . .	२५.०० रु०	४×५०/६२.५मे० वा०
(३) बिरसिंहपुर . .	११.०० रु०	२×३० मे० वा०

जम्मू और काश्मीर में रोहे का रोग

†३००. **श्री द० ब० राजू** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर घाटी में रोहे के नेत्ररोग के कितने मामले हुए हैं तथा उनके उन्मूलन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : एक अनियत नमूने का सर्वेक्षण भारतीय रोहे के रोग नियन्त्रण अग्रिम परियोजना द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वाधान में जम्मू और काश्मीर राज्य में अक्तूबर, १९५९—नवम्बर, १९६० की कालावधि में किया गया था । ९ जिलों में ८३ ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया । ९१.३ प्रतिशत घरों और ९३.३ प्रतिशत जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया । रोहे के रोग की व्यापकता निम्न थी :—

श्रीनगर .	. ३२.५ प्रतिशत
बारामूला	. २३.८ प्रतिशत
अनन्त नाग	. २३.३ प्रतिशत
कथुआ	. १२.४ प्रतिशत
जम्मू .	. ११.६ प्रतिशत
ऊधम पुर	. ४.७ प्रतिशत
पुंछ	. ४.५ प्रतिशत
डोडा	. ४.३ प्रतिशत
लद्दाख	. २.२ प्रतिशत

जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने एक रोहे के रोग नियन्त्रण एकक स्थापित किया है जो दिसम्बर १९६२ से कार्य कर रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष सारी अवधि में रोहे के रोग नियन्त्रण कार्यक्रम जम्मू और काश्मीर राज्य में जारी रहेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

एक रोहे के रोग नियन्त्रण एकक का ३ वर्ष का अनुमानित खर्चा २,७०,३७८.०० रु० है और इस खर्च का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम राशि के रूप में दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिये अपेक्षित गाड़ी और 'एन्टीबायटिक्स' भी संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सहायता द्वारा दी जा रही हैं।

नेत्र विज्ञान

३०१. **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्री स० चं० सामन्त:
श्री ब० कु० दास:

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से आंखों के दो विशेषज्ञों के भारत आगमन से नेत्र चिकित्सा की दिशा में क्या लाभ पहुंचेगा ;

(ख) क्या कन्टक्टलैंस लगाने की कला भारतीयों को भी सिखाई जा सकेगी; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या योजना है ;

(ग) दृष्टि की रक्षा और उसमें सुधार के लिये जिस संगठन को डाक्टर मौरिस चलाने वाले हैं उसके लिये यहां के नेत्र विशेषज्ञ क्या स्वयंसेवक बनने के लिये तैयार हैं ;

(घ) कन्टक्टलैंस बनाने के लिये क्या इस देश में कोई कारखाना खोलने की योजना सरकार के सम्मुख है और यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) दो अमरीकी नेत्र विशेषज्ञों के भारत आगमन के बारे में कोई सरकारी सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी ज्ञात हुआ है कि दो कण्टैक्ट लैन्स अमरीकी विशेषज्ञ भारत आये थे। पता चला है कि वे दिल्ली आये थे और अलीगढ़ में भी उनसे परामर्श किया गया। कुछ भारतीय नेत्र विशेषज्ञों ने कण्टैक्टलैन्स लगाने की कला में पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

(ग) डा० मौरिस द्वारा चलाये जाने वाले संगठन के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) फिलहाल नहीं।

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†३०२. **श्री कोया:**
श्री वारियर:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री ओंकारलाल बरवा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के पूरे वर्ष में कितना चोरी छिपे लाया गया सोना पकड़ा गया ; और

(ख) इसी प्रकार १९६३ में अब तक कितना सोना पकड़ा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) १९६२ में लगभग १,४५,४०,००० रु० के मूल्य का लगभग २५९४ किलोग्राम चोरी छिपे लाया गया सोना सीमा शुल्क, भूमि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया।

(ख) पहली जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक की कालावधि में इन अधिकारियों ने लगभग ९६३ किलोग्राम चोरी छिपे लाया गया सोना पकड़ा जिसका मूल्य लगभग ५४,२७,००० रु० था। (कलकत्ता तथा उड़ीसा के उत्पादन शुल्क समाहर्त्तालय द्वारा १९६३ में जब्त किये गये सोने सम्बंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें शामिल नहीं किया गया है।)

कोराट्टी में मुद्रणालय

†३०३. **श्री कोया :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोराट्टी में सरकारी मुद्रणालय स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है और मुद्रणालय कार्य करना कब से आरम्भ करेगा ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मुद्रणालय और संलग्न भवनों और कर्मचारियों के क्वार्टरों से संबंधित अधिकांश मदों के लिए ठेके दे दिए हैं, और कुछ मदों में निर्माण कार्य चालू हो चुका है। शेष मदों के लिये टेंडर मांगे गये हैं। बहुत सा सामान जो निर्माण के लिए आवश्यक है स्थान पर पहले से ही मौजूद है। मशीनों के पहले भाग, जिसके लिये ९ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, के लिये क्रयादेश दे दिया गया है। आशा है कि लगभग २ वर्ष के भीतर-भीतर मुद्रणालय कार्य करना आरम्भ कर देगा।

केरल में विद्युत की कमी

†३०४. **श्री कोया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) राज्य कब बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) निम्नलिखित विद्युत परियोजनायें यथा संभव शीघ्र क्रियान्वित की जा रही हैं और उन्हें राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये सामने दी गई तिथियों पर चालू कर दिया जाएगा :

परिनियोजन	चालू करने की प्रत्याशित तिथि
१. पैत्रियार जल विद्युत् परियोजना	३० मे० वा० जनवरी, ६४।
२. शोलायार जल विद्युत् परियोजना . .	५४ मे० वा० १९६४-६५
३. पम्बा-काकी जल विद्युत् परियोजना (साबारिगिरी) .	३०० मे० वा० १९६५-६६

†मूल अंग्रजी में

कुट्टिपादी (७५ मे० वा०) और इड्डिकी (५०० मे० वा०) जल विद्युत् परियोजनाओं पर भी निर्माण कार्य चालू है और उनके क्रमशः १९६६–६७ और १९६९–७० में पूरा हो जाने की आशा है ।

१९६४ में वर्षा आरम्भ होने से पूर्व के काल में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये मद्रास राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा कुछ बिजली नित्वेली लिगनाइट निगम से भी प्राप्त करने के यत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) राज्य के १९६५–६६ से आगे आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ।

परिवार नियोजन

†२०५. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री गो० महन्ती :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ४ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के हेतु क्लिनिकों को गर्भरोधक वस्तुएं संभारित करने के निमित्त इनके उत्पादन के लिये भारत में सरकारी क्षेत्र में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : गर्भरोधक झाग वाली गोलियां और जेली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन मैडिकल स्टोर्स डिपो में बनाई जा रही हैं । इस समय उनका भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में परीक्षण किया जा रहा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेके

†३०६ **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :**
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने कार्य पिछले दो वर्षों में देश में सहकारी श्रम समितियों को दिये गये ;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितनी श्रम समितियां श्रेणी "क", "ख" और "ग" के ठेकेदारों के रूप में पंजीबद्ध की गई हैं ; और

(ग) वास्तविक श्रम समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये, क्या लोक निर्माण के ठेके के नियमों में ढील दी गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ७२ ।

(ख) ठेकेदारों का पंजीबन्धन श्रेणी १, २, ३ ४ और ५ के रूप में किया जाता है । अभी तक दो समितियां श्रेणी ४ (भवन और सड़कें) में पंजीबद्ध की गई हैं ।

(ग) जी हां । १०,००० तक के कार्य के ठेके बिना टेंडर मांगे चालू बाजार भाव पर दिए जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी

३०७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश में श्री चं० भा०. गुप्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). समिति ने अपना विचार विमर्श पूर्ण कर लिया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण जल सम्भरण

३०८. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जल संभरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन राज्यों का सर्वेक्षण हो रहा था वह पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). मैसूर राज्य के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिविजन ने राज्य के जलाभाव एवं जल संकट वाले क्षेत्रों में बसे हुए ७,०४६ ग्रामों के बारे में जांच पूरी कर ली है तथा उन ग्रामों में जल प्रदाय की पूर्ति के लिये लगभग ८ करोड़ रुपये के प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं। दूसरे राज्यों से प्रारम्भिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अशोक रोड पर होटल

३०९. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की अशोक रोड पर जिस नए होटल का निर्माण होने वाला था उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) जनपथ होटल चलाने के लिये जिस कम्पनी का निर्माण होने वाला था क्या उसकी स्थापना इस बीच कर दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) नक्शे और प्राक्कलन (ऐस्टिमेट) तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) हां।

राजस्थान नहर

३१०. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान नहर को नौ-वहन योग्य बनाने की योजना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : : प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है।

खाद्य निकासी संबंधी निदेश

†३११. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खाद्य निकासी के संबंध में कोई नवीन निर्देश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत क्षमता

†३१२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में देश की विद्युत् क्षमता में काफी अधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** (क) जी हां।

(ख) १९६२-६३ में ६८७.७ मैगावाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग का प्रादेशिक कक्ष

†३१३. **श्री वारियर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग का एक प्रादेशिक कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कक्ष की कब कार्य आरम्भ करने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) से (ग). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत कक्ष) का एक थर्मल एकक मद्रास में स्थापित करने का प्रस्ताव है। आयोग के योजना विभाग ने, जिस का डिजाइन, विशिष्ट विवरण और कुछ थर्मल बिजली घरों की स्थापना के साथ कोई संबंध है, वहां पहल से है। कुछ संबंधित निदेशालय मद्रास में भेजने का विचार है, ताकि वहां पूर्णरूपेण थर्मल एकक स्थापित किया जा सके। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और प्रस्तावों को अन्तिम रूप धारण करने में कुछ समय लगेगा।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री

†३१४. **श्री वारियर :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने हिन्दुस्तान हाउसिंग फक्टरी के लिये "कैसैटी" माडल संयंत्र देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने पेशकश मान ली है ; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्र के कब स्थापित हो जाने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी हां।

(ख) 'कैसैटी' संयंत्र के निर्माताओं को, 'कैसैटी' का उपयोग करने वाली फैक्टरी में कास्टिंग पुर्जों के द्वारा प्रीब्रिकेटिव मकानों के पुर्जों की पेशकश की, जो वर्टिकल मोल्ड होते हैं और कास्टिंग को शोधने के लिये स्टीम जैकैट में होती हैं। संयंत्र की क्षमता ६०,००० वर्ग मीटर फ्लोर क्षेत्र प्रति वर्ग है और लागत अनुमानत: ७५ लाख रुपये है।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन्ध्यीकरण

†३१५. **श्री गो० महन्ती :**
श्री मि० सू० मूर्त्तिः

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना के लागू होने के पश्चात ३० सितम्बर, १९६३ तक कितने पुरुषों और स्त्रियों का बन्ध्यीकरण किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : १९५६ से ३० सितम्बर, तक संख्या है ४२१०१२ (२४२७६८ पुरुष और १७८२४४ स्त्रियां)

विश्व बैंक की बैठक

†३१६. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री हेडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत सरकार का प्रतिनिधि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि की हाल की बैठकों में था ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि ने क्या मुख्य बातें उठाईं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त आयोग और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंध के गवर्नरों के बोर्ड की बैठकों में (जो वाशिंगटन में सितम्बर ३० और ४ अक्तूबर १९६३ के बीच हुई थीं) भारत सरकार का प्रतिनिधि श्री पी० सी० भट्टाचार्य, रिजर्व बैंक का गवर्नर जो आई० एम० एफ० सभा में भारत का वैकल्पिक गवनर ह, और आर्थिक सचिव श्री रूलर झा जो अन्य तीन संस्थाओं में भारत का वैकल्पिक गवर्नर हैं, गये थे ।

(ख) सर्वश्री झा और भट्टाचार्य के भाषणों के पाठ सभा पटल पर रखे गए हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८७९/६३**]

भारत की जनसंख्या में वृद्धि

†३१७. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने १९६२–६३ में भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के संबंध में गवेषण, प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक कार्यक्रमों के लिये कोई राशि दी है ;

(ख) यदि हां, भारत में गहन परिवार नियोजन कार्यक्रम के लियें कितनी राशि रखी गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन द्वारा दी गई राशि के साथ गहन परिवार नियोजन के लिये जिल चुनने के संबंध में कोई निर्णय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). फोर्ड फाउंडेशन विशिष्ट वर्षों के लिये बल्कि एक अवधि के लिये अनुदान देता है । इस कार्य के लिये उसके द्वारा दी गई राशि का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिय एल० टी० १८८९/६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

संस्थाओं को आवश्यकतानुसार धन दिया जाता है। गहन ग्राम्य जिला स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अनुदान अभी फोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) जिलों का चयन विचाराधीन है।

नई दिल्ली में लोक स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था

†३१८. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली में लोक स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा संस्था स्थापित करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिये स्टाफ कालेज का काम करेगी। स्वास्थ्य कार्यान्वित और स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों संबंधी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं पर प्रस्तावित संस्था पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

नर्मदा परियोजना

†३१९. **श्री ओझा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा परियोजना योजनाओं को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** परियोजना जिसका प्रथम प्रक्रम जो बड़ोच परियोजना के नाम से विख्यात है, निर्माण की प्रारम्भिक स्थिति में है और बस्ती की इमारतों, मिलाने वाली सड़कों आदि का प्रारम्भिक काम ही आरम्भ किया गया है और चल रहा है।

तपेदिक की रोकथाम के लिए एक्सरे का कार्यक्रम

†३२०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में तपेदिक की रोकथाम के लिए सार्वजनिक रूप से एक्सरे कार्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब लागू किया जायेगा ; और

(ग) कितना धन व्यय होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी नहीं। परन्तु कितने ही क्लिनिकों में इस कार्य के लिए सार्वजनिक एक्सरे परीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

व्यास परियोजना

३२१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास परियोजना कब पूरी होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या व्यास नियंत्रण बोर्ड ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए और राशि आवंटित करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का व्यास नियंत्रण बोर्ड को अधिक राशि देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हो, परियोजना पांच छः वर्षों में पूर्ण की जा सकती है।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय, तृतीय पंच वर्षीय योजना में व्यास परियोजना के लिए अतिरिक्त धन देने का कोई विचार नहीं है।

परिवार नियोजन

†३२२. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन के लिए मुंह से खाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयों का विकास करने का प्रयत्न कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) कई देसी दवाओं की परीक्षा की गई है। केवल एक औषधि (मेरा एक्सिलो–हाइड्रोक्विनोन) लगभग ५० प्रतिशत मामलों में प्रभावी पाई गई। बताया जाता है कि इस औषधि को स्वीकार संतोषजनक रूप में नहीं किया गया है।

औषधियों के मूल्य

†३२३. **श्री केप्पन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के कारखाने के मूल्यों का विनियमन करने के लिए कोई क़दम उठाये हैं ; और

(ख) क्या इस मामले का अध्ययन करने के लिए तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ औषधियों के निर्माण व्यय के औचित्य की जांच के लिए एक प्रविधिक समिति गठित की है। समिति की बैठक अब तक चार बार हुई है और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

'नौवहन' में जीवन बीमा निगम के विनियोजन

†३२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है 'नौवहन' में जीवन बीमा निगम के विनियोजन शीघ्रता से

---

†मूल अंग्रेजी में

कम हो गये हैं और वह १९५८ में १४९ थे परन्तु १९६१ में ८४ लाख हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) 'नौवहन' में विनियोजन १९५८ में १४१ लाख रुपये था जो कम हो कर १९६१ में ७६ लाख रुपये हो गया है ।

(ख) मोचन तथा बिक्री ।

कनाट सर्कस, नई दिल्ली में सुपर मार्केट

†३२५. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट सर्कस, नई दिल्ली में सुपर मार्केट के निर्माण में कोई प्रगति हुई हैं ; और

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने बताया है कि काम के टैंडर मिल गए हैं तथा विचाराधीन हैं ।

(ख) सुपर मार्केट छः मंजिल की इमारत होगी जिसमें बेसमेंट भी होगा । इसमें लगभग ३०० दुकानें होंगी तथा उनके स्टोर बेसमेंट में होंगे । विचार है कि खरीदार को एक ही स्थान पर उसकी प्रतिदिन की जरूरतें की चीजें मिल जाने की व्यवस्था हो जाये ।

नागपुर में व्यापारी का मामला

†३२६. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वित्त** मंत्री १९ सितम्बर, १९६३ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद, जिनके मकान में इकट्ठा सोना मिला है ; के मामलों की जाच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) क्या अपराध निश्चित किया जा चुका है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता ।

अफीम का चोरी छिपे लाया/ले जाया जाना

†३२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो महीनों में अवैध अफीम के पकड़ने के मामले तथा अफीम के तस्कर व्यापार के मामले, कितने पता लगाये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अगस्त तथा सितम्बर, १९६३ में पकड़ी गई अवैध अफीम के मामले तथा उसकी मात्रा नीचे दी जाती है :—

	मामले	पकड़ी गई अफीम की मात्रा
अगस्त, १९६३ . .	४२	९६.४३०
सितम्बर, १९६३ . . .	२९	४६१.४७१

†मूल अंग्रजी में ।

राजस्थान के लिए ऋण

†३२८. श्री कर्णीसिंहजी :
श्री वि० भू० देव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान राज्य को कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) इस अवधि में राजस्थान राज्य द्वारा कितनी रकम का अधिविकर्ष किया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

श्रेणी	रकम (करोड़ों में रुपये)
१. कृषि उत्पादन तथा सम्बद्ध योजनायें	१२.४१
२. औद्योगिक विकास	१.९९
३. सामुदायिक विकास, सहकार तथा राष्ट्रीय विस्तार योजना	३.२०
४. विविध विकास कार्य	७.०२
५. बड़ी सिंचाई तथा बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें	६६.५६
६. आवास योजनायें	२.५०
७. जल सम्भरण तथा नाली योजनायें	२.६०
८. अल्प बचत से इकट्ठा धनराशि में अंशदान	५.०७
९. प्रक्रिया तथा तरीका पेशगी रकम	१९.७५
१०. अन्य ऋण	३६.५७
जोड़	१५७.६७

(ख) क्योंकि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बदलती रहती है इसलिए यदि इस अवधि में राजस्थान सरकार द्वारा कोई अधिविकर्ष किया गया है तो उसको बताना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त सामान्य बंकिंग व्यवस्था के अनुसार राज्यों के रिजर्व बैंक के पास जमा धन बताने की प्रक्रिया नहीं है ।

परिवार नियोजन

†३२९. श्री कर्णीसिंहजी :
श्री वि० भू० देव :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन की निधियों का वितरण राज्यवार किया गया है और मार्च १९६२ तक पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : परिवार नियोजन के लिए निधियों का निर्धारण १९५९–६० से प्रतिवर्ष राज्यवार किया जाता है। दी गई निधियों से खोले गये परिवार नियोजन केन्द्रों, प्रशिक्षित किये गये लोगों की संख्या और प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को प्रजनन के अयोग्य बनाने के लिए जितने लोगों को शल्य चिकित्सा की गई उनकी संख्या के चार विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० १८८१/६३]**

नागार्जुन सागर परियोजना

†३३०. **श्री कोल्ला वेंकय्या** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वृहत्ताकार नागार्जुन सागर परियोजना की वित्त व्यवस्था की समस्या का कोई हल निकाला जाए;

(ख) संशोधित प्राक्कलन के अनुसार परियोजना की कुल लागत और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली लागत कितनी है ;

(ग) केन्द्र ने लागत की पूर्ति के लिए ऋण के रूप में कितनी राशि दी ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में खाद्यान्न के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना को शीघ्र पूरा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १३९.५४ करोड़ रुपये। केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग संशोधित प्राक्कलन की जांच कर रहा है। नागार्जुन सागर परियोजना राज्य योजना का अंग है और उसका निष्पादन आन्ध्र प्रदेश सरकार कर रही है। केन्द्रीय सरकार इस परियोजना का खर्च पूरा करने के लिए ब्याज पर ऋण ही देती है।

(ग) सितम्बर, १९६३ के अन्त तक ६१.८६ रुपये।

(घ) राज्य सरकार ने हाल ही में तीसरी योजना में परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि मांगी है। प्रस्ताव पर खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

ग्वालियर रेयन

†३३१. **श्री दाजी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर रेयन और रेशम तैयार करने वाली कम्पनी आय कर से मुक्त है ; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). ग्वालियर रेयन तथा रेशम तैयार करने वाली कम्पनी लिमिटेड के लाभों का एक अंश भाग ख राज्य (कराधान रियायतें) आदेश. १९५० के अधीन निर्धार्य वर्ष १९५९-६० तक कर मुक्त किये गये थे। ग्वालियर के महामहिम महाराज के साथ १९४७ में हुए करार के अन्तर्गत कम्पनी ने और रियायत की मांग की है। विभाग ने इस दावे का विरोध किया है। यह विषय उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेजी में

बाढ़ नियंत्रण के उपाय

†३३२. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में बाढ़ नियंत्रण के उपायों की प्रगति पर पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) तथा (ख). बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और अब तक की प्रगति सन्तोषजनक है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†३३३. { **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में पुनर्वास वित्त प्रशासन से ऋण लेने वाले लोगों द्वारा ऋण न लौटाने पर जमानत देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ;

(ख) कितने मामलों में जमानत देने वालों ने बिना कानूनी कार्यवाही के ऐसे ऋण दे दिये हैं या दे रहे हैं ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में क्रमशः कितनी कितनी धनराशि है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) जमानत देने वालों के विरुद्ध कोई मामला न्यायालय में नहीं ले जाया गया किन्तु ३९४९ मामले समाहारकर्ताओं को भेजे गये हैं ताकि वे भू-राजस्व के रूप में ऋण वसूल करें ।

(ख) तथा (ग). इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ऐसा अभिलेख तैयार करने में जितना समय लगेगा और जानकारी संग्रह में जितना श्रम लगेगा उतना उससे लाभ नहीं होगा जमानतियों से वसूली के अलग अलग अभिलेख तैयार करना सम्भव नहीं । उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों की राशियां लगभग ३.०४ करोड़ रुपये की हैं ।

उड़ीसा में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†३३४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव का बड़े विस्तृत भू-क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या कोई जांच की गई है और इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) तथा (ख). उड़ीसा राज्य के कुछ इलाकों में तट के कटाव की ओर हाल ही में मन्त्रालय का ध्यान दिलाया गया है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से ब्यौरेवार प्रतिवेदन मांगा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विषय में एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं विशेष रूप से अमेरीका के ए० आई० डी० से मांगी गई हैं और आशा है वह उड़ीसा भी जायेगा और तट के कटाव को रोकने का उपाय बताएगा ।

कोच बांध

†३३५. **श्री चतर सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रशासन ने संघ सरकार को पंजाब सरकार द्वारा कोच बांध बनाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) अभ्यावेदन में क्या कहा गया है ; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव)** : (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन कोच बांध के निर्माण के विरुद्ध इस कारण अभ्यावेदन दिया था कि पंजाब सरकार की प्रस्तावित परियोजना से न केवल पौंटा साहिब का नगर और कई गांव डूब जायेंगे और लोग बेघर हो जायेंगे बल्कि हिमाचल प्रदेश की यमुना घाटी में दो फसलें वाली कई एकड़ भूमि भी डूब जाएगी ।

(ग) अन्तर्राज्यिक बैठक में अब यह निश्चय किया गया है कि कोच बांध परियोजना के कार्यान्वित न किया जाए ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद्

†३३६. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली में नई दवाइयों के प्रयोग का अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान केन्द्र खोलने के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद् पहले ही कई विभागों में अनुसंधान कर रहा है और हर सेक्शन किया करेगा । अलग अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में आयुर्वेदिक का विकास

†३३७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब सरकार को आयुर्वेद

---

†मूल अंग्रेजी में

के विकास के लिये कितनी राशि दी है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) पंजाब में तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में आयुर्वेद के विकास के लिये ४८·०० लाख रुपया दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने ३० जून, १९६३ तक ५·५५ लाख रुपया खर्च किया है ।

पजाब में यॉज, तपेदिक और कुष्ठ रोग

†३३८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक पंजाब में यॉज, (फफोले), तपेदिक और कुष्ठ के रोगों के उपचार के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : पंजाब में १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक तपेदिक और कुष्ठ रोग की तथा अन्य निम्नलिखित स्वयं सेवी चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान मंजूर किये गये हैं :—

संस्था का नाम	वर्ष	प्रयोजन
१. नार्दर्न इंडिया टी० बी० फ्री अस्पताल, अमृतसर	१९६२–६३	एक्स-रे केन्द्र के लिये ।
२. क्षय उपचार का अस्पताल फीरोजपुर	,,	बिस्तर और वस्त्र खरीदने के लिये ।
३. गुलाबदेवी टी० बी० अस्पताल, जालंधर नगर	१९६२–६३	५० एकांत बिस्तरों की व्यवस्था और एक मोबाइल मास मिनियेचर रेडियोग्राफ यूनिट खरीदने के लिये ।
४. लेप्रासी होम एंड अस्पताल, तरनतारन	,,	एक्स-रे अपरेटस खरीदने के लिए ।
५. कुष्ठ रोगी कल्याण संस्था क्षय रोग का अस्पताल, पटियाला	,,	गरीब बच्चों की देखभाल और कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र के लिए ।

प्रदर्शनी मैदान का किराया

†३३९. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कृषक समाज को नई दिल्ली के प्रदर्शनी मैदान के लिए कितना किराया देना है ; और

†मूल अग्रजी में

(ख) किराया किस प्रतिवर्ग गज़ दर पर निर्धारित किया गया ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). स्थिति इस प्रकार है :

	रुपये
१. ५,३०,००० वर्ग गज़ खुली भूमि के लिए १ रुपया प्रति वर्ग गज़ के हिसाब से अनुज्ञप्ति फीस	५,३०,०००
२. ३६,००० वर्ग गज जगह के लिये जो कारें आदि खड़ी करने के लिये थी, १ रुपया प्रति वर्ग गज़ के हिसाब से अनुज्ञप्ति फीस . .	३६,०००
३. उपयोगी सेवाओं जैसे टिकट घर आदि के लिए प्रयुक्त ५०,१०१ वर्ग फुट जमीन के लिये २ रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुज्ञप्ति फीस .	१,००,२०२
४. ३,१३,११६ वर्ग फुट स्टालों का क्षेत्र जो समाज को ६ रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर पर किराये पर दिया गया था उसकी अनुज्ञप्ति फीस .	२८,१८,०४४
	३४,८७,२४६
जोड़िये संचार पैविलियन का ह्रास मल्य जिसे समाज ने गिरा दिया था	७०,४००
मांगी गई कुल राशि	३५,५७,६४६
घटाइये समाज द्वारा दी गई राशि . . .	३,२६,७८३
कुल राशि जो ली जानी है . .	३२,२७,८६३

संसद्-सदस्यों के फ्लेटों में नौकरों के क्वार्टर

†३४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ और साऊथ एवेन्य में नौकरों के कितने क्वार्टर उन लोगों को जो संसद् सदस्यों के नौकर नहीं दुकानों, लांडरियों या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिये दिये गए हैं ;

(ख) इन क्वार्टरों के लिए कितना किराया लिया जाता है ;

(ग) क्या नये लोगों को अधिक किराये पर क्वार्टर दिये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस दर पर और किराये में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) नौकरों के २१ क्वार्टर इस प्रकार दिये गए हैं :

(१)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	१२
(२)	दुकानदार और कपड़ा धुलाई करने वाले	७
(३)	अंशदायी स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी	२
	कुल	२१

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और अंशदायी स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों से एफ० आर० ४५–क के अन्तर्गत यथास्थिति उनके वेतन के ७½ या १० प्रतिशत किराया वसूल किया जाता है ।

७ दुकानदारों में से ४ के लाइसेंस २७ जनवरी, १९६३ से रद्द कर दिये गए हैं और उनसे अनधिकृत कब्जे का हर्जाना लिया जा रहा है। शेष तीन दुकानदारों से एफ० आर० ४५–ख के अन्तर्गत २६ से २८ रुपये प्रति मास के हिसाब से किराये के बराबर अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाता है ।

(ग) और (घ). नये लाइसेंसों के मामलों में लोगों से उन्हें दी गई जगह बाजार भाव किराये के बराबर लाइसेंस फीस ली जाती है। किराया सर्वेंट क्वार्टर (साइज के अनुसार) ५२ रुपये से ५६ रुपये प्रतिमास तक होता है। और अलग अलग दुकानों का अलग अलग होता है।

संसद-सदस्यों के फ्लेटों में सेवा शुल्क

†३४१ **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम राज :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के नई दिल्ली स्थित फ्लेटों से लिये जाने वाले विविध सेवा संबंधी शुल्कों में वृद्धि कर दी गई है ; और यदि हां, तो कब से ;

(ख) सदस्यों को इस वृद्धि के बारे में पहले से सूचना न देने के क्या कारण है; और

(ग) बकाया पैसों की वसूली कैसे की जानी है ?

(क) †**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : नई दिल्ली स्थित संसद सदस्यों के फ्लेटों के सेवा शुल्क १ जून, १९६२ से बढ़ा दिये गये है ।

(ख) यह विषय संसद की दोनों सभाओं की आवास समितियों की संयुक्त समिति के सभापति के विचाराधीन रहा है ।

(ग) इस संबंध में बकाया राशि की वसूली नवम्बर, १९६३ से चार किस्तों में की जानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

चिकित्सा शिक्षा

†३४३. **श्री धवन :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च चिकित्सा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय उच्च शक्ति समिति की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या निर्णय किये और उन्हें सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तथा (ख). उच्च चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय उच्च शक्ति समिति की उद्घाटन समिति २८ अक्तूबर, १९६३ को हुई थी। उसने मुख्यतः स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिये इस समय उपलब्ध सुविधाओं का पुनर्विलोकन किया था। यह निश्चय किया गया था :—

(क) कि समिति का नाम फिर से चिकित्सा विज्ञान और तत्संबंधी व्यवसाय की स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय समिति रखा जाये।

(ख) विभिन्न संस्थाओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिये देश भर में उपलब्ध सुविधाओं का सामान्य पुनर्विलोकन करने के लिये अध्ययन दल नियुक्त किये जाएं।

सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

(ग) स्नातकोत्तर शिक्षा वाले और विशेषज्ञ डाक्टरों की संख्या संबंधी तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र की जाये।

(घ) एक रूप उच्च स्तर के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण को अधिक अच्छा और विस्तृत बनाने के प्रस्ताव तैयार किये जाएं।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को ऋण की छूट

†३४४. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है कि पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापितों को कितनी छूट दी जाएगी जिन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिली और जो पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति छोड़ आए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों को अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं दी गई ; और

(ग) प्रस्तावित योजना की रूप रेखा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) तथा (ग). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को ऋण की छूट देने के बारे में कोई निर्णय अभी नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खड़कवासला और पानशेट बांध

†३४५. **श्री नाथ पाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संघ सरकार से प्रार्थना की है कि खड़कवासला और पानशट बांधों को पुनः बनाने के लिए उन्हें सहायता दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संघ सरकार का क्या उत्तर है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मंत्री का परिचय

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं आपसे और आप के जरिये इस माननीय सभा से, श्री छागला, जिन्होंने आज सुबह राष्ट्रपति के समक्ष शिक्षा मंत्री के पद की शपथ ग्रहण की, का परिचय कराता हूं । (**हर्षध्वनि**) ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : जज और मुल्जिम को एक जगह करने के लिये प्रधान मंत्री को बधाई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने हर्षध्वनि द्वारा भी उन का स्वागत कर दिया है, और मैं भी सदस्यों के साथ श्री छागला के मंत्रि परिषद में प्रवेश करने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं ; और हम आशा करते हैं कि वह हमारे लिये अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (तृतीय संशोधन) योजना तथा आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा (तृतीय संशोधन) योजना

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनार्थ भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं (१) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७३३ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १८५७/६३]

(दो) आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७३४ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १८५८/६३]

(तीन) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६२०–क की उप धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८१ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १८५९–६३]

(चार) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप धारा (३) के अन्तर्गत, ३० जून, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट, निगम की अस्तियों तथा दायित्वों और लाभ हानि का लेखा बताने वाले विवरण सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १८५६/६३]

सोलहवें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया संबंधी-क्षेत्रीय समिति के सोलहवें अधिवशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन ।

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं (२) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) ७ से २२ मई, १९६३ तक जनेवा में हुई सोलहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १८६०/६३]

(दो) १० से १६ सितम्बर, १९६३ तक बेंकाक में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया संबंधी क्षेत्रीय समिति के सोलहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८६२/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(३)(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा वसूली) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९९ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १८६१/६३]

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५५९ ।

(दो) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५६० ।

(तीन) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० १५९२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १८६३/६३]

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक १४ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १४७५ ।

(दो) दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५०० ।

(तीन) दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५०१ ।

(चार) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५५७ ।

(पांच) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५५८ ।

(छै) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५६९ ।

(सात) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० १५९१ ।

(आठ) दिनांक १२ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० १६३३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० १८६४/६३]

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बाईसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक १ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६१५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तेईसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(तीन) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (इक्कीसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(चार) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०९ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौबीसवां संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० १८६६/६३]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राज)** : मैं (४) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई, दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १८६६/६३]**

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा १८ नवम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २ सितम्बर, १९६३ को पास किए गए सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९६३ से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा २० नवम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा १४ अगस्त, १९६३ को पास किये गए वस्त्र समिति विधेयक' १९६३ से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को और समय के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को और समय के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

मुझे दो माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं उन में से एक को बुलाऊंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : (मन्दसौर) : क्या सूचना देना आवश्यक है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप पुरः स्थापन प्रस्ताव का सदैव विरोध कर सकते हैं परन्तु मुझे इस बारे में दो सदस्यों से सूचना मिली है। केवल एक सदस्य संक्षिप्त में बोल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं आपस में सहमत हो जायें कि कौन सदस्य बोलेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य विरोध नहीं कर सकते। मैं केवल यही बता रहा हूं कि मुझे दो सदस्यों की ओर से सूचनायें प्राप्त हुई हैं। आप उन सदस्यों की मंत्रणा दे सकते हैं कि उन्हें सूचना नहीं देनी चाहिये थी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इसका अर्थ यह हुआ कि केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का अधिकार है जिन्होंने सूचना आप को दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल एक सदस्य बोल सकता है। यदि आप आग्रह करते हैं तो मुझे मालूम करना होगा कि कौन आपत्ति करते हैं। जो माननीय सदस्य आपत्ति करते हैं वह कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जायें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए–

†**अध्यक्ष महोदय** : जो आपत्ति कर रहेहैं उनमें से मैं एक एक को बुलाऊंगा।

मंत्री यदि चाहें तो संक्षिप्त रूप से व्याख्यात्मक वक्तव्य दे सकते हैं।

†**श्री नन्दा** : समय समय पर इस विधान के कार्यकरण के बारे में सभा को प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस विधि द्वारा सरकार को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग उसे कई एक अवसरों पर करना पड़ा, और यह भी कि उन शक्तियों का प्रयोग संयत रूप से किया गया। ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया जबकि उन शक्तियों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया गया हो। जिन परिस्थितियों में यह विधान बनाया गया वह अब भी मौजूद हैं। हो सकता है कि किसी समय इसकी आवश्यकता न रही हो और इस विधान की आवश्यकता ही न हो। परन्तु वह परिस्थितियां जिनके कारण इस उपबन्ध का समावेश स्वयं संविधान में किया गया, जिसकी पर्याप्त रूप से व्याख्या की गयी थी और समर्थन किया गया था, वह अब भी वर्तमान है। जब भी, समय समय पर, यह विधान सभा के समक्ष आया है इसकी व्याख्या की गयी है और सभा द्वारा इसके लिये अनुमति प्रदान की गयी है।

मैं समझता हूं कि दोनों पहलुओं में स्थिति स्पष्ट है ; आवश्यकता है और इन शक्तियों का प्रयोग भी समुचित ढंग से किया गया है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुये इसकी क्या आवश्यकता है ? हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या भारत प्रतिरक्षा नियम अपर्याप्त हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तर्क करने की अनुमति नहीं दे सकता। मंत्री द्वारा संक्षिप्त रूप से व्याख्यात्मक वक्तव्य देना होता है। इस बात का निर्णय उन्हें करना होता है कि क्या कुछ कहना है। वह वक्तव्य उन्होंने दे दिया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : औचित्य का एक प्रश्न है। नियम ७२ के अनुसार मंत्री द्वारा एक व्याख्यात्मक वक्तव्य देना होता है। क्या आप समझते हैं कि दिया गया वक्तव्य पर्याप्त रूप से व्याख्यात्मक है ? हम समझते हैं कि उन्होंने कुछ भी व्याख्या नहीं की।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : इस अधिनियम के लिये समय तीसरी अथवा चौथी बार बढ़ाया जा रहा है। इस सभा को वर्ष १९५३ में आश्वासन दिया गया था कि यह विधान केवल २ वर्षों के लिये होगा। परन्तु अब क्या कारण है जिन की वजह से इसके लिये फिर समय बढ़ाया जा रहा है।

†**श्री रंगा** (त्रिचूर) : भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुए इस विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। परन्तु हम समझते हैं कि कई एक अवसरों पर इस विधान का प्रयोग आवश्यकता से अधिक और अनुत्तरदायी ढंग से किया गया। विरोधी पक्ष सदैव इस का विरोध करते रहे हैं। चूंकि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत सरकार को शक्तियां दी गयी हैं, इसलिये माननीय अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की दृष्टि से सरकार का दमनकारी प्रयोजनों के लिये अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करना सर्वथा अनुचित बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने नियम पढ़ कर सुनाया है। यह स्पष्ट है कि प्रस्तावक और विरोध करने वाले सदस्य को वक्तव्य देना होता है। ऐसा किया जा चुका है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : एक औचित्य का प्रश्न है। आप ने भाषा विधेयक के पुरःस्थापन के समय, नियम ७२ के अन्तर्गत, भूतपूर्व मंत्री महोदय को उस विधान की वैधानिक क्षमता के बारे में सभा को सन्तुष्ट करने के लिये कहा था। चूंकि वर्तमान विधान असाधारण प्रकार का है इसलिये अब भी मंत्री महोदय को पर्याप्त रूप से व्याख्या देकर सिद्ध करना चाहिये कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुए इस विधान की किस प्रकार आवश्यकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप नियम ७२ के उपबन्धों को देखें। यदि इस विधान की वैधानिक क्षमता पर विरोध हो केवल तभी मैं वाद विवाद की अनुमति दे सकता हूं। इसलिये कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

†**डा० राम मनोहर लोहिया** (फर्रुखाबाद) क्या यह असाधारण कानून नहीं रह गया। जब यह बार बार आता है तो इसको ताजीरात हिन्द का अंग क्यों नहीं बना लिया जाता। इसको विशेष कानून की शक्ल में नहीं, साधारण कानून की शक्ल में लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : चूंकि कई विरोधी दलों की ओर से इस विधान का विरोध किया जा रहा है, इसलिये उचित यह है कि आप नियम ७२ का पूरी तरह से अनुसरण न करते हुए सभी प्रकार के लोगों को विचार व्यक्त करने की अनुमति दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल इस विधान के पुरःस्थापन के बारे में विरोध किया जाना है। हमें मामले के गुणावगुणों में नहीं जाना है। बाद में यह सब बातें आयेंगी, क्योंकि पुरःस्थापन के बारे में साधारणतः विरोध प्रकट नहीं किया जाता।

†**श्री नाथ पाई** : परन्तु यह एक असाधारण विधान है इसलिये इसी प्रक्रम पर विरोध करने का हमारा अधिकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सदस्यों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया। परन्तु जिस प्रक्रिया को हमने माना हुआ है उसी का अनुसरण किया जाना है। मैं आप से सहमत हूं कि अन्य लोकतंत्र य देशों में एक ही सुगठित विरोधी दल है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि चूंकि हमारे देश में १० अथवा १२ दल हैं इसलिये सभी की अनुमति दी जानी चाहये। मैं आप से सहमत नहीं हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक औचित्य का प्रश्न है। नियम ७२ के अनुसार सम्बद्ध सदस्य और मंत्री को सुनकर अध्यक्ष चाहे तो, आवश्यक रूप से नहीं, अग्रेतर वाद विवाद के बिना प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रख सकते हैं। यह आप के विवेक पर निर्भर है। आप अपने विवेक का प्रयोग करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु जब मैं अपने विवेक का प्रयोग करता हूं तो बाधा डाली जाती है। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मैं प्रस्ताव को मतदान के लिय... (**अन्तर्बाधायें**) इस प्रकार की बाधाओं का अन्त होना चाहिये। सामान्य वाद-विवाद इस समय नहीं हो रहा है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: मेरा औचित्य का एक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ब भी मैं प्रस्ताव को पढ़ने लगता हूं, माननीय सदस्य कहते हैं कि औचित्य का प्रश्न है, यह अनुचित है। मैंने सभी बातें सुन ली हैं। मैं समझता हूं कि केवल बाधा डाली जा रही है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : चूंकि प्रस्तुत विधान द्वारा संविधान द्वारा दिये गए मूल अधिकारों को कम किया जाना है, और इस देश का कोई भी विधान मंडल संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को कम करने में सक्षम नहीं है। इसलिये ऐसा करना इस सभा की क्षमता में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप के अनुसार यह वैधानिक क्षमता का प्रश्न है। परन्तु यह विधान तो पहले ही बन चुका है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये। हम कोई नया विधान नहीं बना रहे बल्कि एसे विधान के लिये समय बढ़ा रहे हैं जो पहले ही मजूद है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है। अनुच्छेद ११७ (१) के अनुसार, अनुच्छद ११० के खंड (१) के उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित किसी भी विषय में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर प्रस्तुत अथवा पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि इस विधयक से भारत की संहित निधि में से ५००० रुपये वार्षिक तक व्यय होगा। हमें सूचित किया गया है कि विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की गयी है, जो स्थिति कि बाद में आती है। इस प्रकार यह पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

†**श्री नन्दा** : इस में कोई नया व्यय अन्तर्गत नहीं है अत : यह आपत्ति नहीं उठायी जा सकती (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : नये व्यय और पुराने व्यय में वह किस प्रकार विभेद करते हैं इसकी व्याख्या मंत्री को करनी चाहियें। क्या आवर्त्तक व्यय नया व्यय नहीं समझा जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** राष्ट्रपति को निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक के विषय के बारे में सूचना दी गयी थी और उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत लोक सभा में इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अनुच्छेद ११७ में केवल उन्हीं विधेयकों का निर्देश है जो अनुच्छेद ११० की सीमा में आते हैं अनुच्छेद ११७ (१) केवल उसी प्रकार के विधेयक से संबंधित है जिन का निर्देश अनुच्छेद ११० में है । यदि माननीय सदस्य मुझे विश्वास दिला दें कि यह विधेयक अनुच्छद ११० के किसी भी उपबन्ध की सीमा में आता है तब निसन्देह मुझे विचार करना पड़ेगा । अन्यथा वह लागू ही नहीं होता ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** इस में ५००० रुपये तक का व्यय अन्तग्रर्स्त ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दो बातें हैं । एक यह कि भारत की संचित निधि में से रुपया निकालने के लिए विधेयक में एक विशेष खंड का उपबन्ध होना चाहिए । दूसरी यह कि विधेयक के ऐसे उपबन्ध के परिणामस्वरूप भारत की संचित निधि में से कुछ रुपया व्यय करना होगा । अनुच्छेद ११७ (१) और ११७ (३) में यही अन्तर है । इस लिये यदि माननीय सदस्य का तर्क यही है कि संचित निधि में से धन निकलवाना होगा तो यह अनुच्छेद ११७ (३) के अन्तर्गत आता है और ऐसा करने के लिये की गयी सिफारिश उचित है ।

प्रश्न यह है :

" कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को और समय के लिए जारी रखने वाले वधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मशीन के अनुसार पक्ष में २०८ और विपक्ष में १६५ हैं । स्पष्टतया यह गलती है । शायद मशीन खराब है ।

अगर मैम्बर साहबान उससे सैटिसफाई हो सकें तो मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से कहूंगा कि वे लाल निशानों को गिन लें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विपक्ष में केवल ६५ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि सभी मननीय सदस्य सहमत हों तो मैं इस के अनुसार परिणाम घोषित कर दूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है । चूंकि मशीन खराब है और आप विपक्ष में १६५ की बजाय ६५ संख्या मान रहे हैं तब आप मशीन द्वारा दिखाई गयी पक्ष वालों की संख्या २०८ कैसे मान सकते हैं । उस में भी कोई गलती हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा भी हुआ है कि किसी माननीय सदस्य ने बटन दबाया हो परन्तु उसका मत रिकार्ड न हुआ हो ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** हम ने विपक्ष में मत दिया परन्तु रिकार्ड नहीं हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं विपक्ष में ३ मत और जोड़े देता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**एक माननीय सदस्य :** मैं पक्ष में मत देना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पक्ष में एक मत और जोड़ देता हूं । इस प्रकार मत-विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में २०९ : विपक्ष में ६८

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**श्री नन्दा :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो २० नवम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

" कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो २० नवम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है ।"

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : हम इस से सहमत नहीं हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा सुझाव है कि निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक के लिए आवंटित समय १० घंटे से बढ़ा कर २० घंटे कर दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप अपना संशोधन अब प्रस्तुत कर दें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा दूसरा सुझाव यह है कि खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिए कम से कम १५ घंटे का समय दिया जाना चाहिए । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि खाद्य स्थिति पर चर्चा कब होगी ?

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक के लिए नियत समय बढ़ा कर २० घंटे कर दिया जाय और खाद्य पर वाद-विवाद के लिये १५ घंटे कर दिया जाये ।"

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । वास्तव में, इस विधेयक के लिए हम ने केवल ५ घंटे के समय का सुझाव किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का अर्थ यह है कि आप इस संशोधन से सहमत नहीं हैं ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** आप इसे सभा के मतदान के लिये रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो २० नवम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आय-कर (संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २० नवम्बर, १९६३ को, श्री बा० रा० भगत द्वारा प्रस्तुत किये गये आय-कर अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ।

†**श्री दी चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : जैसा कि मैं कल कह रहा था कि प्रस्तुत विधेयक में कोयला उत्पादन, कोयला धोने और कोयले के परिवहन जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं की अवहेलना की गयी है । इन बड़ी समस्याओं का विधेयक में आवश्यकता से अधिक साधारणीकरण किया गया है । इन बड़ी समस्याओं को विकास छूट से सम्बद्ध नहीं किया गया । मेरा पहला सुझाव यह है कि विकास छूट को आवास, पेय जल के सम्भरण, दुर्घटनाओं से खानों की सुरक्षा आदि समस्याओं से जोड़ा जाना चाहिए । मैं जानता हूं कि हमें विदेशों से बिना राजनीतिक अथवा आर्थिक शर्तों अधिक सहायता मिल रही है परन्तु हमें रियायतें उन्हीं शर्तों के साथ देनी चाहियें जो राष्ट्र एवं श्रमिकों के लिए हितकारी हों । परन्तु प्रस्तूत विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर तो हम वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, दूसरी ओर इस विधेयक में वर्गीकरण किया गया है । छट की एक दर १ अप्रैल १९६१ के पश्चात् की गयी मशीनरी के लिये होगी, और दूसरी दर उसके लिये जो ३१ मार्च, १९६१ से पहले चालू की गयी । यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये । विकास छट की समान दर २० प्रतिशत होनी चाहिए ।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि जब आपातकाल में हम देश में कराधान आय का स्तर नीचा लाये हैं तो इन व्यक्तियों के प्राप्त होने वाली आय के कराधान के स्तर को ऊंचे लाना समर्थनीय नहीं है । एक ओर तो आप निम्न आय वर्ग वालों पर कर लगाते हैं, दूसरी ओर उच्च आय वाले वर्ग को आप छट दे रहे हैं । यह सामाजिक न्याय नहीं है ।

सरकार को यह कैसे मालूम होगा कि छट का प्रयोग मशीनरी के लिये ही किया जायगा । इस के लिये क्या गारण्टी है कि इस का प्रयोग खानों के यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण के लिये किया जायगा । सरकार के पास यह देखने के लिये क्या व्यवस्था है कि छट का दुरुपयोग नहीं कि जाय । इसलिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस का प्रयोग देश तथा उद्योग के हित में किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी चं० शर्मा]

हमें प्रायः बताया जाता है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बाहर से मशीनें नहीं मंगाई जाती जिस के परिणाम स्वरूप कई परियोजनाओं को कार्यन्वित नहीं किया जा सकता। अब मशीनरी कहां से आयात की जायेगी ? और जो मशीनरी मंगाई जायेगी उसी की उपयुक्तता के बारे में कौन निर्णय करेगा। सरकार अथवा वह लोग जिन्हे यह छूट दी जा रही है। यदि इ बात का समाधान होता तो छट से अधिक लाभ नहीं होगा ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस दी जाने वाली छट से देश में कोयले के उत्पादन में किस प्रकार सुधार होगा ? क्या इस छूट के जरिये हमें कोयले के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ? क्या इस बारे में कोई निर्धारण किया गया है या हम योंही छूट दे कर धन का अपव्यय करने जा रहे हैं ? इस प्रकार छूट देकर हम राष्ट्र के हित की बात सम्मुख नहीं रख रहे हैं। देश को और जनता को सरकार से यह पूछने का अधिकार है कि इस छूट से क्या लाभ प्राप्त होंगे । मैं समझता हूं कि वित्तीय, सामाजिक एवं कल्याण की दृष्टियों से प्रस्तुत विधेयक अनुपयुक्त है और यह दबाव में आकर ही लाया गया है ।

एक दिन ऐसा आयेगा जब सारा देश कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग करेगा । मैं मानता हूं कि लोकतन्त्रीय देश में यह काम हमें धीरे धीरे करना है, परन्तु देश की प्रगति में ईंधन का जो महत्वपूर्ण स्थान है उस की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा न किया जाय । मेरा केवल इतना सुझाव है कि देश में ईंधन की स्थिति के बारे में अन्तिम तस्वीर मंत्रालय के सामने होनी चाहिये । सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो यह देखे कि वर्तमान मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिस में कुछ खानें सरकारी क्षेत्र में हैं और कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र में, की बजाय कोयला उद्योग का रष्ट्रीयकरण कर देने से क्या देश को अधिक लाभ नहीं होगा। किसी एक विचारधारा का अनुसरण करने की बजाय इस समस्या का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके सरकार को किसी निर्णय पर ब पहुंचना चाहिये ।

वैसे तो यह विधेयक उपयुक्त है परन्तु मैं चाहता हूं कि यह विकास छूट कितनी अवधि के लिये दी जा रही है ? मैं नहीं चाहता कि यह छूट उन लोगों को सदैव मिलती रहे। इस की अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये ।

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : तीन वर्ष के लिये। यह स्वयं विधेयक में दिया हुआ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे यह जान कर बहुत खुशी हुई है ।

इस विधेयक को सावधानीपूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिय जिस से इस के द्वारा देश का अधिक से अधिक हित हो ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण): श्रीमान्, हमने पहले से ही विकास संबंधी छूट देने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है और इसके कारण देश के उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इस लिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

दो मुख्य बातें हैं। एक तो यह कि क्या कोयला खनन उद्योग को इस प्रकार की छूट की आवश्यकता है और दूसरी यह कि क्या ३५ प्रतिशत की प्रस्तावित दर उचित है, मेरे विचार में यह दोनों बातें ठीक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छट के सम्बन्ध में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। यह छूट वास्तविक कर पर दी जायेगी, नई मशीनरी की कीमत के प्रतिशत के रूप में दी जायेगी, उसी वर्ष के लिये दी जायगी जिस वर्ष में मशीन खरीदी जायेगी और इस प्रकार बनाई गई रक्षित निधि उसी उपयोग में लाई जायेगी जिसके लिये ये बनाई जायेगी ।

इस देश में उत्पादन क्षमता विशेषकर कोयला उद्योग में बहुत कम है । उत्पादन क्षमता का सम्बन्ध निवेश से है। अमरीका के पेन्सलेवेनिया के खनन मजदूरों को वेल्स के मजदूरों से अधिक मजूरी मिलती थी। इसका कारण यही था कि पेन्सलेवेनिया में प्रति खान मजदूर पूंजी अधिक लगी हुई थी। उत्पादन-क्षमता का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हमें इसे बढ़ाने का हर सम्भव उपाय करना चाहिये ।

हमें कोयले की श्रेणी की ओर भी ध्यान देना है और इसके लिये भी आधुनिकीकरण की और इसके लिए इस प्रोत्साहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे उन्हें आधुनिकीकरण के लिये पूंजी उपलब्ध हो सके ।

सभा में कहा गया है कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है और इसलिये कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।

भूतलिंगम समिति के निर्णय उस संदर्भ में और उस समय के लिये उचित थे जब वे दिये गये थ। किन्तु अब परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है। इस दृष्टि से उनमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ।

सभा में दिये गये भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण निजी क्षेत्र के लिये था और उपहार के रूप में दिया गया था। किन्तु यह सच नहीं है। यह ऋण के रूप में ही दिया गया है और इसे वापिस भी करना है। इसलिये हमें इस उद्योग की सहायता करनी चाहिये।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो बातें सामने रखी थीं वे कोयला उद्योग से सम्बन्धित होते हुए भी इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं हैं।

मजूरी बोर्ड का सदस्य रहने और धनबाद से आने के नाते मुझे भी इस उद्योग के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान है ।

कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का अलग-अलग अभ्यंश है। तीसरी योजना का लक्ष्य ९.७ करोड़ टन का है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें ७० लाख टन का और अधिक उत्पादन करना है। निजी क्षेत्र ने इस विषय में ठीक ही कहा है कि जब तक उनकी उत्पादन की मशीनरी में सुधार करने के लिये सुविधायें न दी जायें वे अपना अभ्यंश पूरा नहीं कर सकेंगे। विश्व बैंक के द्वारा दिये गये ऋण के प्रस्ताव का उन्होंने आपातकाल के पहले उपभोग नहीं किया और उन पर दबाव डाला गया कि वे मंजूर ऋण की राशि में से अधिक मशीनरी का आयात करें। किन्तु निजी क्षेत्र के लोगों की मांग है कि उन्हें कुछ और सुविधायें दी जायें और उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि उन्हें और अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी जायेगी। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने गहरी खुदाई आदि के नये कार्यों हाथमें लगाया है और आरम्भ में काफी राशि लगई गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में परिवहन की भी एक रुकावट है । सरकार इस प्रश्न को भी गंभीरता से ले रही है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सड़क यातायात के विकास के लिये १७ करोड़ १३ लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है ।

एक और नई कठिनाई उठ खड़ी हुई है कि कोयले के उपभोग का अनुमान आवश्यकता से अधिक लगा लिया गया है । बोकारों में काफी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होगी । लेकिन अभी उसे चालू होने में समय लगेगा । इसी प्रकार अन्य उप-भोक्ताओं ने भी अपनी भोग आवश्यकता से अधिक बताई थी । परिणाम स्वरूप कोयला खानों में ही पड़ा है । इस लिये आज यह भी एक समस्या हमारे सामने है कि कोयले के उपभोग का उचित अनुमान लगाया जाय ।

यह निश्चित बात है कि उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे वे सुधरी हुई मशीने लगा सकें । यह भी सत्य है कि निजी उद्योग के कोयला मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है और यह प्रश्न उठता है कि क्या कोयला उद्योग को निजी क्षेत्र में रहने भी दिया जाये या नहीं । किन्तु एक समस्या को दूसरी के साथ उलझाने से काम नहीं चलेगा । पहले हम उत्पादन में कार्य-कुशलता सुनश्चित करें, इसके बाद हम उनसे कह सकते हैं कि वे मजदूरों की स्थिति में सुधार करें ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन प्रश्नों को अभी न उठाया जाये, जो यद्यपि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथापि इस विधेयक से संबंधित नहीं हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि विधेयक को पारित किया जाये । हमें विदेशों से प्रतिस्पर्धा करनी है और उसके लिये सुधरी हुई मशीनरी की अत्यन्त आवश्यकता है ।

विधेयक में नई मशीनरी लगाने के विषय में भी समय सीमा निर्धारित की गई है । हमें इस बात का निरीक्षण करने का काफी अवसर मिलेगा कि सुविधायें दी जाना कहां तक उचित है । हमें इस बात के विषय में भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं कि हम उन्हें स्थायी पट्टा दे रहे हैं । हम राष्ट्रीयकरण के बारे में भी सोच सकते हैं । मैं नहीं समझता कि सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन दिया है, यदि दिया भी होगा तो किसी निश्चित काल के लिये । हम उस समय तक कोई आश्वासन नहीं दे सकते जब तक हम इस विषय में निश्चित न हो जायें कि उत्पादन क्षमता पर्याप्त मात्रा तक बढ़ गई है और मजदूरों की स्थिति अच्छी हो गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भारतीय खनन संघ के अध्यक्ष के वक्तव्य का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने सरकार के आश्वासन का निर्देश किया था । संभवतः वे मजूरी बोर्ड के सामने सरकारी क्षेत्र के कार्य सम्पादन के विषय में छींटे कसने का प्रयत्न कर रहे थे । किन्तु इस समय हमारा सीधा सम्बन्ध ४,५०,००० खान मजदूरों से और कोयले के लक्ष्य की पूर्ति से है । इस लिये हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नई मशीने लगाई जायें और उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो । यह विकास सम्बन्धी छूट स्थायी नहीं है । यह १९६६ तक के लिये है । स्वयं कोयला खान मजदूरों ने भी आपत्ति उठाई है । उनका कहना है कि उनके विरुद्ध विभेद किया जा रहा है इसी लिये हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो बहस हो रही है उसमें एक यह विषय प्राइवेट सेक्टर और पबलिक सेक्टर के विवाद का उठ खड़ा हुआ है । मैं समझता हूं कि इस विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है । मुझे तो केवल यह कहना है कि जहां तक इस स्प्रिट का सम्बन्ध है कि ज्यादा उत्पादन करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय, यह तो सरकार का

कार्य सराहनीय है परन्तु एक बात अवश्य देखनी है कि कुछ सरमायेदार जो अपना व्यवसाय करके करोड़ों रुपये और लाखों रुपयों का फ़ायदा उठाते हैं और उनको इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहां लेबर की क्या हालत है। एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा कि उनके व्यवसाय और धंधों में कर्मचारियों की क्या दशा है ? मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा है, कोएलरीज़ में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी दशा बहुत शोचनीय है। उनके रहने के लिए मकान और साधारण सुविधाएं भी उनको नहीं दी जा रही हैं तो मेरा तो यह ख़याल है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन तो दिया जाय परन्तु उसके साथ साथ इस दृष्टिकोण को भी सामने रखा जाय कि यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा, जो कर्मचारी हैं, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है और अगर शोषण हो रहा है तो उसको भी दूर करने के लिए सुविधाएं देने के लिए वह किस हद तक कामयाब हुए हैं ?

मैं तो इस संशोधन को बहुत बधाई के साथ देखता और इसमें प्रोत्साहन इस प्रकार दिया जाता। अगर कोयला खान में काम करने वाले मजदूरों की दशा सम्हाल ली गई है और उनको सुविधायें उनके द्वारा दी जा रही हैं और इस बात की जांच करने के बाद वह भी इस प्रकार की रिबेट के मुस्तहक होते। श्रीमन्, जैसे आंकड़े इस सदन में रखे गये, इसमें कोई शुबहा नहीं कि कोयला आजकल के युग में एक बड़ी आवश्यक वस्तु है। परन्तु कोयले के अतिरिक्त और भी बहुत सी आवश्यक वस्तुएं हैं और अगर इस प्रकार का प्रोत्साहन कोयला खान के मालिकों को दिया जा रहा है तो और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए भी इसी प्रकार का प्रोत्साहन होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या परिस्थिति सरकार के सामने है कि एक तरह का पक्षपात और डिस्क्रिमिनेशन एक विशेष व्यवसाय में जो काम करते हैं जो मालिक हैं, उनके साथ किया जा रहा है। इसमें तो कोई शुबहा नहीं कि जो हमारी मिक्स्ड एकोनामी है उसमें हमको यह भी ध्यान देना है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि जो उनका धन है, कप्टिल है, वह शाई न होने पाये। परन्तु एक सीमा सरकार को निर्धारित करनी है और वह सीमा इस तरह पर निर्धारित करनी है कि जो मुनाफ़ा यह व्यवसाय करने वाले कमाते हैं और जो धन एकत्रित करते हैं, मुनाफ़े के रूप में, उसकी भी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अभी आंकड़ों के अन्तर्गत यह देखा गया है कि कोयले की खान के जो मालिक हैं उनको काफ़ी मुनाफ़ा हुआ और यह भी देखा गया है कि उत्पादन जो हो रहा है अभी तक एक दिक्कत थी वहां से हटाने की, तो मैं यह देखता हूं कि पिछले कई महीनों से जब से यह डिज़ैल के इंजन चल गए हैं, मालगाड़ियों द्वारा अब कोयला आता है। बहुत सी जगहों पर यह एक समस्या उठ खड़ी हुई है कि कोयला इस क़दर ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो गया है कि उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में मुझे यह संशोधन विधेयक जो आया है, उसमें केवल एक ही आपत्ति है कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लेबर की सुविधाएं और लेबर वेलफेयर जितना बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ा है। यह देखना होगा कि जो कर्मचारी या लेबर वहां पर काम कर रही है उनका शोषण न हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

एक बात इस विषय में मुझे और कहनी है। यह सही है कि उन्नतिशील यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए।। यह भी सही है कि जिस क़दर ज्यादा इस तरह के यंत्रों का प्रयोग होगा, उत्पादन बढ़ेगा परन्तु यह देखना है कि जो सरमाया कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इस देश में है वह दो, चार लाख और बढ़ाया जाय या उसमें कम से कम जनता को भी लाभ हो ? मैं यह समझता हूं कि प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए और यह नियम सरकार को बनाना है कि अगर प्राइवेट सैक्टर को इस प्रकार का इनकरैजमेंट दिया जा रहा है तो जो काम करते हैं उनको भी उस मुनाफ़े का हिस्सा मिल, बोनस के रूप में मिले अथवा सुविधाओं के रूप में मिले। इस चीज़ को भी अवश्य ध्यान में रखना है। इसलिए श्रीमन्, मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

हूं कि भविष्य में जब कभी इस प्रकार का प्रोत्साहन का प्रश्न उठे तो उसमें सरकार को इस चीज़ को अवश्य देखना है कि जो लेबर, मजदूर तबका काम करता है, उनकी सुविधाओं, उनके आराम का ध्यान किस हद तक रखा गया है प्राइवेट सैक्टर में भी वे लोग इन सुविधाओं और इस तरह के प्रोत्साहन पाने के मुस्तहक़ होने चाहिएं जिन्होंने वास्तव में लेबर को हर तरीके से खुश रक्खा है और उनकी जो एलीमेंटरी डिमांड्स हैं वह पूरी कर दी गई हैं। इस दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, यह कोएलिएरी का काम तो ऐसा है कि आज देश में कोयले की कोने कोने में मांग है। आज गांवों में डेवलपमेंट करने के लिए, मकान बनवाने के लिए कोयला चाहिए, ईंटें पकाने के लिए वह नहीं मिलता है। आज गवर्नमेंट और सेंक्शन न करके मदद नहीं देगी तो स्थिति के जल्दी सम्हलने की आशा नहीं की जा सकती है।

यह जो २० से ३५ परसेंट किया है यह उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि बजनैसमैन अपना पैसा इनवैस्ट करें। उससे जो इनकम होगी और मुनाफ़ा होगा उसका कुछ हिस्सा लेबर को बढ़ी हुए वेजेज़ की शक्ल में देना होगा। इसके लिए वेज बोर्ड्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कमेटियां बनी हुई हैं। मेरे मित्र ने अभी कहा कि वर्कर्स का ख़याल कया जाय। मजदूरों की भी यूनियंस हैं जो कि उनके हित का सदैव ध्यान रखती हैं। ज़ाहिर है कि यह गवर्नमेंट भी उसमें जो इनकम होगी, पैसा पैदा होगा, तो वह इसको ज़रूर देखेगी कि लेबर को भी कुछ शेयर मिले। यह बड़े सन्तोष और प्रसन्नता का विषय है कि हमारी आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है वह स्वयं ही अपना क़दम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी की तरफ़ बढ़ा रही है। हम भी चाहेंगे कि आगे चल कर इसको वह नेशनलाइज़ कर ले लेकिन आज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आज नहीं है। गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए। गवर्नमैंट ने एक सुन्दर कदम उठाया है, ग़लत क़दम नहीं है। आज मुल्क में जिधर देखिये कोयले की डिमांड है। आज बड़े बड़े शहरों में कानपुर, इलाहाबाद आदि में, जहां भी देखिये रोज़ आये दिन कोयले की सप्लाई की समस्या बनी रहती है। कोयले की सप्लाई को लेकर आये दिन हाउस में सवाल होते हैं कि उसको ढोने के लिए नावें नहीं मिलती हैं, ट्रक्स नहीं मिलते हैं और रेल के वैगंस नहीं मिलते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि आज भी गांवों में कोयले की बहुत ज़रूरत है। गांवों में मकान बनाने हैं, इमारतें बनानी हैं, हमारा फाइव इयर प्लान चल रही है उसमें कोयले और लोहे दोनों की बहुत अधिक ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि कोयला अधिक उत्पादित हो इसके लिए उत्साह बढ़ायें और प्रोत्साहन दें। इसी दृष्टि से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के लिए ३५ परसेंट किया है लेकिन इनकम टैक्स तो तभी लगेगा जब इनकम होगी। ज़रूरत इस बात की है कि जो मिलओनर्स और बड़े बड़े उद्योगपति पैसे की टैक्स की चोरी करते हैं उसकी कम से कम एक चैकिंग हो। इनडाईरैक्ट गवर्नमेंट की चैकिंग है कि वे चोरी न करें और इससे उनकी हिम्मत नहीं होगी और सही हिसाब रखेंगे। गवर्नमेंट को मेरा सुझाव है कि उनके एकाउंट्स को देखने के लिए आपकी तरफ से रजिस्टर्स इश्यू होने चाहिएं। उनको फ़र्ज़ी हिसाग-किताब और डबल बहियां रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यह ग़लत बात है। इसकी पूरी चैकिंग होनी चाहिए और जो भी इनकम टैक्स बाकी है, वह वसूल किया जाना चाहिए। इस वक्त सरकार ने १५ परसेंट डेवलपमेंट रीबेट और दिया है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स को वसूल करने के लिए उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि इस देश में कुल कितना इनकम टैक्स बाकी है, जो कि वसूल किया जाना है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं कि कानपुर में गवर्नमेंट का लाखों रुपया इनकम टैक्स के सम्बन्ध में बाकी है। गवर्नमेंट को इसकी चैकिंग करनी चाहिए और वह रुपया वसूल करना चाहिए। ३५ परसेंट के स्थान पर ४०

परसेंट डेवेलपमेंट रीबेट दिया जाये, लेकिन इनकम टैक्स के बकिया को वसूल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है, ताकि मुल्क का डेवेलपमेंट हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेबर की जैन्विन मांगों की तरफ़ ध्यान देना चाहिए और उनको पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बड़ा कठिन काम है। वे लोग जेरे जमीन काम करते हैं, जहां उनको पता नहीं होता है कि वे कहां हैं, जहां वे आसमान और तारे नहीं देख सकते हैं। वे अपने बाल बच्चों को बाहर छोड़ कर और अपनी जान को खतरे में डाल कर खानों में काम करते हैं। इसलिए उनको सब सुविधायें उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए मैडिकल फ़ैसिलिटीज और अन्य सुविधाओं का इन्तजाम करना चाहिए।

हमारी नीति वन-साइडिड नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में इस बात का बड़ा प्रचार है कि यह गवर्नमेंट वन-साइडिड पालिसी पर चलती है और कैपिटलिस्ट्स की मदद करती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कल कम्यूनिस्ट सदस्य, गुप्ता जी, बोले थे। उनका अपना एक एंगल है, लेकिन हमारा एंगल यह है कि हम दोनों तरफ़ देखेंगे और सब वर्गों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे यहां अमीर और ग़रीब सब रहेंगे। इस मुल्क में सब को खाना, कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की है, जिसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। हम उस तरफ़ मार्च कर रहे हैं। हम वन-साइडिड काम नहीं कर रहे हैं। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हम कैपिटलिस्ट्स से पैसा ले रहे हैं। हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। उनका पैसा निकल आयगा। अगर वे नई मशीनें लगायेंगे, तो हम उसको चैक कर सकते हैं। अगर वे गवर्नमेंट में आयेंगे, ...

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : वे नहीं आ सकते हैं। हम आने नहीं देंगे।

श्री शिव नारायण : वे इसका ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन यह बहुत मुश्किल है।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : चन्द्रभान गुप्ता से पूछ लिया है?

श्री शिव नारायण : चन्द्रभान गुप्त की गवर्नमेंट है। माननीय सदस्य क्यों परेशान होते हैं और घबराते हैं? हमारे पी० एस० पी० के माननीय मित्र को यहां पर चन्द्रभान गुप्त दिखाई देने लगे हैं।

हम को मिसाल याद आती है कि शुरू में जब चाय का प्रचार होने लगा, तो लोग एक एक प्याली चाय पिलाते थे, ताकि लोगों को पीने की आदत पड़ जाये। वही यह गवर्नमेंट कर रही है। यह तो थोड़ा सा डोज है। यह गवर्नमेंट थोड़ा नशा दे रही है। यह गवर्नमेंट ३५ परसेंट डेवेलेपमेंट रीबेट दे रही है और इससे गाढ़ा हुआ करोड़ों रुपया बाहर आयेगा, उस को मशीनें लगाई जायेंगी और उस से विजिनेस किया जायेगा। इससे मुल्क का डेवेलपमेंट होगा, मुल्क का कल्याण होगा, देश में कोयला पहुंचेगा और हमारी डिमांड्ज़ की पूर्ति होगी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल मुनासिब है, अनुचित नहीं है। सरकार ने यह बहुत सुन्दर कदम उठाया है। मैं इसको सराहना करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री० ब० रा० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, सदस्यों ने कल और आज दिये गये अपने भाषणों में बहुत सी बातें कही हैं जो इस विषय से संबंधित नहीं हैं। उदाहरणार्थ मजदूरों की स्थिति में सुधार अथवा खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण अथवा इस उद्योग के निजी और सरकारी क्षेत्रों के विषय में चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और समय-समय पर ये विभिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं; किन्तु ये प्रस्तुत समस्या से अधिकांशतः संबंधित नहीं हैं, इसलिए यदि मैं उनकी चर्चा न करूं तो इसे सदस्यों के प्रति अशिष्टता न समझा जाये।

[श्री ब० रा० भगत]

सदस्यों के भाषणों से मैं यह समझ पाया हूं कि उन में से कुछ लोगों का यह विचार है कि विकास संबंधी छूट २० प्रतिशत से बढ़ा कर ३५ प्रतिशत कर देने से मूल्य बढ़ जायेंगे। जिन माननीय सदस्य ने वाद-विवाद आरम्भ किया था . . . .

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** मैं ने ऐसा नहीं कहा ।

†**श्री ब० रा० भगत:** वे मूल्य-ढांचे और छूट के बीच कड़ी स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस का अधिक जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने यह कह दिया है कि उनका आशय ऐसा नहीं था। विकास संबंधी छूट का उद्देश्य सामान्य अवक्षयण के अतिरिक्त, अतिरिक्त कर संबंधी रियायत है। यह छूट किसी वर्ष में स्थापित नये संयंत्र और मशीनरी के ऊपर उपलब्ध है। यह रियायत एक बार के ही लिये है। विकास संबंधी छूट का ७५ प्रतिशत का विकलन लाभ-हानि खाते में और आकलन रक्षित खाने में दिखाया जाता है जिसका उपभोग करदाता द्वारा आठ वर्ष की अवधि के दौरान किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा था कि उत्पादन काफ़ी हो रहा है किन्तु मांग नहीं है और कोयला खानों में ही इकट्ठा हो रहा है और इसलिये इस के संबंध में शीघ्रता की आवश्यकता नहीं। हमें आगे के ७-८ वर्षों की बात देखनी है। आज रेलवे में डीज़ल के प्रयोग अथवा उद्योग की कार्य में ढील होने के कारण इसकी मांग कम हो सकती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आगे भी मांग इतनी ही रहेगी। हो सकता है कि ऐसा समय भी आये जब मांग की तुलना में कोयले की कमी अनुभव हो। इसलिये यह विकास संबंधी छूट आठ वर्षों के लिये है, जिसके दौरान वह जब भी कभी नया संयंत्र अथवा मशीनरी लगाये इसका उपभोग कर सकता है। इसीलिये इस राशि का आकलन रक्षित निधि में किया गया है। यह कहना कि इससे लाभ की मात्रा अथवा मूल्य बढ़ जायेंगे ठीक नहीं है। मूल्य-ढांचा समिति ने इस पर विचार किया था और यदि कुछ समय बाद, पांच वर्ष बाद, मूल्य का पुन:निर्धारण करना हुआ तो छूट और कर संबंधी रियायत के इस प्रश्न पर भी समिति द्वारा विचार किया जायेगा। यह रुपया रक्षित बैंक में जमा कर दिया जायेगा और वह इसे लाभांश की घोषणा करने अथवा अधिक लाभ दिखाने के लिये प्रयोग में नहीं ला सकेगा। भविष्य में इस प्रश्न पर विचार करने वाली कोई भी समिति इन सब बातों पर विचार करेगी; इसलिये इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिये कि मूल्य के ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** आप अपने तर्क मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं।

†**श्री ब० रा० भगत:** यह दूसरी बात है। इसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। मेरी कठिनाई यह है कि कई बातें उठाई गई हैं जिनका विधेयक के विषय से कोई संबंध नहीं है। मैं केवल यही सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूं कि इससे मूल्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दूसरी बात यह कही गई थी कि इससे बड़े-बड़े समवायों जैसे बर्ड एण्ड कम्पनी, एन्ड्रू यूल कम्पनी अथवा मैकनील बेरी आदि को लाभ पहुंचेगा। अंशत: यह बात सच हो सकती है; क्योंकि बड़े समवायों के पास काफी संसाधन अथवा धन होता है और वे उसका अधिक अच्छा उपयोग कर सकते हैं; किन्तु तथ्य यह है कि कोयला उद्योग की पूंजी आवश्यकता से बहुत कम है। माननीय सदस्य ने कहा था कि इनमें से कुछ समवायों के लाभ काफी अधिक हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसका भी यही कारण है कि उनका पूंजी आधार बहुत अल्प है, मशीनरी पुरानी है और इसलिये वे इस अल्प पूंजी आधार पर भारी लाभों की घोषणा करने की स्थिति में हैं। किन्तु यदि आप सारे उद्योग को देखें तो यही मालूम होगा कि यद्यपि लाभ उचित हैं किन्तु अधिक नहीं हैं।

कुछ समय पूर्व १९६० में रिजर्व बैंक द्वारा १०० समवायों का अध्ययन किया गया था और कोयले के संबंध में करों के बाद लाभ ८.६ प्रतिशत था। जैसा कि मैंने कहा है, यदि आप पूंजी का आधार लें, तो छोटी पूंजी पर लाभ की प्रतिशतता अधिक होती है। लाभप्रदता का यह अधिक वास्तविक आधार है।

पूंजी पर लाभ अधिक हैं क्योंकि पूंजी आधार छोटा है। और इस को अधिक करने के लिये आवश्यक है कि उन्हें और सुविधायें दी जायें। इसी कारण विकास संबंधी छूट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है जिससे कि संयंत्र और मशीनरी के रूप में अधिक पूंजी लगा सकें। दूसरे उद्योगों के संबंध में रिजर्व बैंक का यह निष्कर्ष था कि उन के लाभ की प्रतिशतता ९ से २१ तक है, विशेषकर रसायनिक पदार्थ, कपड़ा, लोहा और इस्पात और कागज के मामले में। यह बताया गया था कि अल्प पूंजी आधार के कारण लाभांश अधिक घोषित किये जाते हैं और प्रतिशतता की दर ऊंची होती है किन्तु वस्तुतः यह भी उचित ही कहे जा सकते हैं, अधिक नहीं। कोयला उद्योग की आय में वृद्धि नहीं हो रही; वस्तुतः वह कम हो रही है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** भूतलिंगम समिति ने कहा था कि १.७० प्रति टन की दर से विकास रक्षित निधि के लिये रखने के बाद उनके लाभ ११ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये, किन्तु अब दूसरी विकास रक्षित निधि बनाई जा रही है। आप उन्हें और अधिक सुविधायें दे रहे हैं।

†**श्री ब० रा० भगत:** कुछ बड़े समवायों के पास, अथवा उन समवायों के पास जिन के अधीन अच्छी खानें हैं, रक्षित निधि हो सकती है। मैं अभी इस का जिक्र करूंगा। यद्यपि तीसरी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा नहीं है। इस विषय में संदेह है कि १९६५-६६ में हमारी मांग ९.७ करोड़ टन होगी या नहीं। इस में सन्देह नहीं कि उपभोक्ता की मांग कम से कम ८.८ करोड़ टन तक की होगी और हम सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् को प्रोत्साहन दिया जाये, क्योंकि वे भी कर दे रहे हैं। किन्तु यदि ९.७ करोड़ टन का नहीं तो ८.८ करोड़ टन का कोयले का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कोयला खानों के लिये काफी रुपये की आवश्यकता है और विश्व बैंक द्वारा दिये गये १८ करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय मुद्रा के रूप में प्राप्त किया जाये। इस के अतिरिक्त भी उन्हें १७-१८ करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। इस प्रकार उन्हें लगभग ४० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

तथ्य यह है कि, जैसा कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वे विकास संबंधी छूट के विषय में कोयला उद्योग को रियायत देंगे उस के आधार पर कोयला उद्योग ने १३ से १४ करोड़ रुपये तक के क्रयादेश दे दिये हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** कितनी कोयला खानों ने क्रयादेश दे दिये हैं।

†**श्री ब० रा० भगत:** जो इस छूट का उपभोग कर सकती थीं। किसी को बाध्य नहीं किया जाना है। यदि यह रियायत नहीं दी गई तो उन में से बहुत से अपने क्रयादेश वापिस ले

†मूल अंग्रजी में

[श्री ब० रा० भगत]

लेंगे । बात यह है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिस के द्वारा हम कोयला उद्योग के पूंजी-आधार को बढ़ा सकेंगे जिसकी कि अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि कोयला उद्योग ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है कि सतह की खानें खाली होने लगी हैं और उन्हें गहराई में खुदाई करनी है । इसके लिये उन्हें भारी मशीनरी लगानी होगी और उस के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी । इसलिये इस समय हमने ये सुविधायें दी हैं । किस प्रकार एकाधिकारपूर्ण संकेन्द्रण और ऊंचे लाभ समाप्त किये जायेंगे, यह भिन्न विषय है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** आप ऐसे कभी नहीं करेंगे ।

†**श्री ब० रा० भगत :** उस के लिये दूसरे अवसर हैं । किन्तु यह समाज-विरोधी और प्रगति विरोधी विचार नहीं हैं कि उन्हें कर की रियायत के रूप में सुविधायें दी जायें । जिससे वे अधिक से अधिक रक्षित निधि बना सकें । दूसरी बातों का उपचार हम अन्य नीतिपूर्ण उपायों से कर सकते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं । किन्तु इस उपाय की इस समय अत्यन्त आवश्यकता है । कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें हर उपाय अपनाना है । मशीनरी की ओर उस के लिये पूंजी की अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि विधेयक को स्वीकार किया जाये ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मूल्य के प्रश्न का मजूरी पर सीधा प्रभाव पड़ता है । हमारे सामने यह कठिनाई है । मजूरी बढ़ने पर मूल्य पुनरीक्षण समिति ने आश्वासन दिया था कि मूल्य भी बढ़ा दिये जायेंगे । जब मजूरी ३ रुपये बढ़ी थी तब कोयला फेडेरेशन ने मूल्य ६ रुपया बढ़ा दिये थे । अब मूल्य का हिसाब लगाया जाये तब इस सुविधा को भी ध्यान में रखा जाये जो दी जा रही है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मूल्य निर्धारण करना आदि आर्थिक विषयों के अन्तर्गत आते हैं । यह रियायत उन बढ़े हुए मूल्यों के अतिरिक्त दी गई जो उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उच्चतम स्तर पर मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया गया था । इसका उन मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है ; वे पृथक विषय हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैंने कल अपने भाषण में भारतीय खनिक संगठन के अध्यक्ष द्वारा पढ़े गये उस पत्र की चर्चा की थी जिसमें विश्व-बैंक को विश्वास दिलाया गया है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, क्या सरकार ने ऐसा निर्णय कर लिया है । ऐसा कब किया गया और क्या इसके लिये संसद् से परामर्श लिया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मुझे दुःख है कि मुझे पत्र नहीं मिला है । किन्तु सरकारी प्रवक्ता द्वारा इस सदन में निर्धारित नीति ही स्पष्ट नीति होती है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** ऐसे पत्रों को लिखने की अनुमति क्यों दी जाती है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, इसीलिये मैंने कहा कि मुझे वह पत्र नहीं मिला कि इसके बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है । यह औद्योगिक नीति में स्पष्ट रूप से दिया गया है । इससे अधिक किसी का पत्र सरकार की नीति को नहीं बदल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब खण्डवार विचार किया जायेगा, संशोधन कोई नहीं है । मैं सारे खण्डों को एक साथ रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, और १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, और १ अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गन्दी बस्तियाँ (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक संशोधन करने वाला विधेयक है, मूल अधिनियम, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों में सुधार तथा सफाई और उनमें रहने वाले लोगों को निष्कासन से बचाने की दृष्टि से पारित किया गया था, इस विधेयक के विवरण में जाने से पहले मैं इस देश की ग्राम आवास स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं, यह स्पष्ट है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अन्न तथा कपड़े के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है किन्तु आवास सम्बन्धी सुविधाओं के लिये पर्याप्त मात्रा में कुछ नहीं किया गया है। गत तीन योजनाओं में अब तक इस कार्य के लिये लगभग ९५० करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये जब कि इस कार्य के लिये २,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। आवास योजनाओं में हम सामाजिक आवास योजना तथा इसमें भी गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। सर्वाधिक बुरी दशा में गन्दी बस्तियां बड़े शहरों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ को अधिनियमित करते समय सरकार ने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पू० शे० नास्कर]

सुधार तथा सफाई के लिये अपेक्षित शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। यह अधिनियम संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी उचित विधान लागू करने के लिये कहा है और १५ में से ९ राज्यों ने ऐसे विधान लागू कर दिये हैं। केन्द्र सरकार ने गन्दी बस्तियों की सफाई योजनायें वर्ष १९५६ में बनाई थीं। इसमें राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को स्वीकृत लागत के ७५ प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गयी थी, इसके पश्चात् वर्ष १९५८ में विधि मंत्री श्री अ० कृ० सेन की अध्यक्षता में, गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने कुछ सिफारिशें कीं। इनमें से एक सिफारिश केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने के लिये की गई थी। तदनुसार केन्द्र सरकार ने सहायता हेतु अनुदान की राशि बढ़ा दी। समिति ने यह सिफारिश की कि सरकार को, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर आदि बड़े, बड़े शहरों को प्राथमिकता देनी चाहिये। सरकार ने इसको मान लिया तथा इस विषय में कार्यवाही की जा रही है। समिति ने यह भी कहा था कि सरकार को गन्दी बस्तियों में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन करना चाहिये। इस कार्य में अधिक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है।

संशोधित विधेयक संघ राज्य-क्षेत्रों में लागू होगा। अभी तक अधिनियम दिल्ली और त्रिपुरा में ही लागू है। दिल्ली में अब तक ४३ गन्दी बस्तियां हटाये जाने सम्बन्धी योजनायें स्वीकृत की गई हैं और इनमें ५.५३ करोड़ रुपये की लागत से मकानों के २८,००० एककों का उपबन्ध किया गया है। दिल्ली हमारे देश का महानगर है, कुछ समय से यह बड़ी संख्या में आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। देश के विभाजन से भी इसकी जन संख्या बढ़ गई है। तब से कुछ दूसरे कारणों से भी लोग लगातार दिल्ली की ओर आते जा रहे हैं।

विशेष रूप से कम आय वाले लोग ही गन्दी बस्तियों में रहते हैं। जिन मकानों में ये लोग रहते हैं उनकी बहुत बुरी दशा है। गन्दी बस्तियां घृणित अवस्था में हैं। कभी कभी ये लोग घोड़े तथा अन्य पशुओं के साथ एकही स्थान पर रहते हैं। यह बहुत शोचनीय दशा है। गन्दी बस्ती सफाई योजना मूल मानवता के आधार पर निर्धन लोगों को कम से कम जीवनस्तर की सुविधायें देने के लिये बनाई गई हैं। वे हम सबकी सहानभूति के पात्र हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। इसके लिये गन्दी बस्तियों के मालिकों को, इन बस्तियों के सुधार तथा पुनर्निर्माण के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यही पर्याप्त नहीं है। यदि वहां रहने वाले लोगों को हटाया जाये तो सफाई तथा पुनर्निर्माण के बाद इन लोगों को अपने पहले मकानों को खरीदने का प्रथम अधिकार दिया जाना चाहिये।

वर्तमान अधिनियम में, इन विषयों को विशेष ध्यान में रख कर, संशोधन लाये गये हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह विधेयक अविवादास्पद रूप से एक प्रशंसनीय प्रयोजन के लिये है और मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इसका समर्थन करे। मूल अधिनियम के कार्य के अनुभव से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां तथा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता सामने आई। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया गया है जिससे कि गन्दी बस्तियों की सफाई तथा विकास सम्बन्धी कार्य सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से हो सके, और इन बस्तियों के मालिकों को इस बात के लिये बाध्य किया जाये कि वे सुधार किये गये पुनर्विकसित क्षेत्रों को पुराने किरायेदारों को उचित किराये पर दें और किराये दारों की निष्कासन से रक्षा की जाये।

मैं विधेयक के कुछ खण्डों के बारे में विवरण सहित बताना चाहता हूं। गन्दी बस्तियों में मकान गिराने पड़ते हैं तथा उन्हें पुनः बनान पड़ता है। अधिनियम के खण्ड १० में कहा गया है कि मालिकों को, समक्ष अधिकारी द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार बस्तियों का विकास करने का अवसर दिया

जाना चाहिये। प्राधिकारी के पास आदेश जारी करने के तुरन्त पश्चात् स्वयं बस्तियों का विकास करने की शक्ति नहीं है। आदेश जारी करने के १२ महीने बाद काम आरम्भ किया जा सकता है। कभी-कभी मालिक चुप्पी साध लेते हैं और कार्य नहीं करते हैं। अतः यह संशोधन लाया जा रहा है जिससे सक्षम प्राधिकारी काम अपने हाथ में ले सके।

इसी प्रकार कुछ और संशोधन हैं जिनका विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्टीकरण दिया गया है। इस विधयक की मुख्य बात यह है कि इससे गन्दी बस्तियों में अवैध निर्माण कार्य बन्द हो जायगा। यदि जन साधारण के हित की दृष्टि से आवश्यक हो तो प्राधिकारी को, मालिक द्वारा कार्य चालू करने से पहले, सफाई वाले क्षेत्र का पुनर्विकास करने का अधिकार होगा। यदि मालिक सफाई वाले क्षेत्रों के पुनर्विकास का कार्य योजना के विरुद्ध करता है या कार्य में विलम्ब करता है तो प्राधिकारी को यह कार्य अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा। अपनी सम्पत्ति का पुनर्विकास करने वाले मालिक इस बात के लिये बाध्य होंगे कि वे विकसित तथा पुनर्निमित मकानों को उनमें पहले रहने वाले ही किराये-दारों को उचित किराये पर देंगे। वह इस बात के लिये भी बाध्य होगा कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले किसी किरायेदार के विरुद्ध निष्कासन के लिये कार्यवाही करने से पहले उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

हम जो संशोधन ला रहे हैं उनमें कुछ स्पष्टकारी तथा आनुषंगिक स्वरूप के हैं। मैं यहां पर लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। मूल विधेयक वर्ष १९५६ में तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा उपस्थापित किया गया था। पुराने अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस विधेयक का, जो अब अधिनियम के रूप में हैं, सदन द्वारा एक मत से समर्थन किया गया था। इसकी कार्यवाही पढ़ने पर मैंने देखा कि न तो सदन में विभाजन ही हुआ और न ही कोई संशोधन पेश किया गया था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या आप उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: हम आपसे ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह विधेयक उन लोगों के हित में होगा जिनके साथ आज तक अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है और मैं आशा करता हूं कि सदन एक मत होकर इसका समर्थन करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नवल प्रभाकर द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मुझे बताया गया है कि सरकार इसे स्वीकार करने के लिये सहमत है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम इसे स्वीकार करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नवल प्रभाकर** (दिल्ली करौलबाग) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) एक्ट, १९५६ में संशोधन करने वाले बिल की, दोनों सभाओं के २४ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसने इस सभा के १६ सदस्य अर्थात् :—

श्री दिनेन भट्टाचार्य, श्री ब्रह्म प्रकाश, श्री युद्धवीर सिह चौधरी, श्री गणपति राम, महारानी गायत्री देवी आफ जयपुर, श्री शिव चरण गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्री नारायण सदोबा कजरोलकर, श्री मेहरचन्द्र खन्ना, श्री मोहन स्वरूप, श्री पू० शे० नास्कर, श्री काशीनाथ पांडे, श्री तिरुमल राव, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, डा० श्री निवासन, और श्री नवल प्रभाकर और राज्य सभा के ८ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ; कि समिति इस सभा को ९ दिसम्बर, १९६३ तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा समिति में नियुक्त किये जाने वाले ८ सदस्यों के नाम इस सभा में बतायें।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों, सदन के सामने हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। इस विधेयक के उद्देश्यों का मैं समर्थन करता हूं। किन्तु इस दिशा में व्यवहारिक रूप से अधिक कार्य नहीं हो पाया है। बड़े बड़े शहरों में यह समस्या अधिक गम्भीर रूप से व्यापक है। अशोक समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कुछ शहरों में जन संख्या का ६० प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। यह अनुमान किया गया है कि देश में गन्दी बस्तियों में ११.५ लाख मकान है तथा केवल दिल्ली में ही ऐसे मकानों की संख्या ५०,००० है। हमें बताया गया है कि पिछले पन्द्रह-सोलह वर्षों में दिल्ली में केवल ५,००० मकान आर्थिक सहायता देकर बनाये गये हैं। यह बात सरकार या नागरिक अधिकारियों के लिये श्रेयकर नहीं हैं। यह लज्जा की बात है कि भारत की राजधानी में भी हम गन्दी बस्ती सफाई कार्यक्रम को १९५६ के अधिनियम को पारित करके भी पूरा नहीं कर सके हैं।

यह बताया गया है कि देश में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये ९०० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह धन वास्तव में इस प्रयोजनार्थ ही व्यय किया गया है ? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या "अशोक सेन समिति" की दिल्ली सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो क्या दिल्ली के लिये निर्धारित २ करोड़ रुपये की राशि प्रयोग में लाई गई है ? हमें इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये कार्यों पर संतोष नहीं है। हमें इसको देखकर अत्यन्त निराशा होती है कि गन्दी बस्तियों का सुधार तथा सफाई का काम उतनी शीघ्रता से नहीं हो रहा है जितना हम चाहते हैं। मैं अधिकतर प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

संशोधनों का स्वागत करता हूं, मैं विशेष रूप से श्री नवल प्रभाकर के, विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले संशोधन का स्वागत करता हूं। ऐसा करने से विधेयक में कोई त्रुटि नहीं रहेगी ।

सामान्यत: गन्दी बस्तियों में भवनों के स्वामी गन्दी बस्तियों में सुधार लाने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि बिना ऐसा किये ही उन्हें पर्याप्त राशि मिल जाती है। इन परिस्थितियों में सरकार के लिये आवश्यक हैं कि वह इस कार्य में दिलचस्पी लें, नागरिक प्राधिकारियों अथवा निगम को सफाई तथा गन्दी बस्तियों के विकास का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिये। ऐसा करने के लिये सरकार को आवश्यक शक्तियों की जरूरत है ।

गन्दी बस्तियों की सफाई के बाद इनके स्वामी किराये दरों से अधिक किराया मांगते हैं। इस लिये पहले से उनमें रहने वालों को बढ़े हुए किराये को सहायता के रूप में देना सरकार के लिये प्रशंसनीय प्रयत्न होगा ।

†**श्री पू० शें० नास्कर** : इस विधेयक में इसकी व्यवस्था है ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : साधारण रूप से मैं इन उपबन्धों का स्वागत करता हूं, कम किराये के नाम पर उसे मूल किराये के अतिरिक्त विकास परिव्यय का ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत, तथा यदि भूमि खरीदी गई हो तो, भूमि के परिव्यय मूल्य का ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत अधिक देना पड़ेगा, हिसाब लगाने पर किराया नियंत्रक द्वारा नये मकान का निर्धारित किराया कम किराये से कम होगा ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हम बाजार मूल्य नहीं अपितु अर्जन लागत ही लेते हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उन गन्दी बस्तियों में रहने वालों पर, जिनकी आय बहुत कम है अतिरिक्त भार न पड़े। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इसके सब पहलुओं तथा समस्याओं पर विचार करेगी। इस विधेयक के पारित होने से सरकार दृढ़ता पूर्वक गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजना के कार्य में शीघ्रता से काम करेगी ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करौलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, गन्दी बस्तियों में सुधार और सफाई के लिये मंत्री महोदय जो विधेयक लाये हैं उस का मैं स्वागत करता हूं। जैसाकि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है यह बिल वैसे तो स्वागत के योग्य है किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। यही समझ कर के मैंने इस को प्रवर समिति को सौंपने के लिये आग्रह किया है और उसका प्रस्ताव किया है ।

श्रीमान्, दिल्ली में काफी लम्बे अर्से से गन्दी बस्तियां बनी हुई हैं। पार्टीशन से पहले भी जो हमारा दिल्ली शहर है, चादनी चौक और उस के आसपास का जो इलाका है वह एक प्रकार से गन्दी बस्ती था। इस समय भी जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थी वह सोच रही थी कि किस तरीके से इस गन्दी बस्ती का निराकरण किया जाय ? उन्होंने अजमेरी गेट योजना के नाम से एक योजना बनाई और उस को कार्यान्वित करने की कोशिश की गई। किन्तु बजाये इस के कि वह योजना उन लोगों के लिये बनाई जाती, जो कि वहां रहते हैं, वहा पर बड़ी बड़ी अट्टालिकायें खड़ी कर दी गईं और वे जमीनें बड़ी बड़ी कीमतों पर बेंच दी गई। वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से हटा कर—मैं गलत नहीं कहता—पांच पांच, छः छः, सात सात मील दूर भेज दिया गया। मैं यह चाहता हूं कि जो गरीब आदमी गन्दी बस्तियों में रहते हैं, गन्दी बस्तियों को साफ करके जहां तक सम्भव हो सके, उन को वहीं बसाने की कोशिश की जाये। सिद्धान्त में यह बात हो सकती है, मगर जब इस को प्रयोग में लाया जाता है,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नेवल प्रभाकर]

तो एक दूसरी ही स्थिति दिखाई देती है और मुझे अजमेरी गेट की बात याद आ जाती है। मैं चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग, जिन को काम्पीटेंट एथारिटी कहा गया है, अजमेरी गेट स्कीम की तरह से इन टर्म्ज़ में न सोचने लगें कि यह कीमती जगह है, यहां से ज्यादा पैसा आ सकता है, इस लिये सरकार इस को एक्वायर करे और एक्वायर करने के बाद अपनी योजना बनाये। मैं चाहूंगा कि जो भी योजना बनाई जाये, जैसी इस बिल की मंशा है, जैसे इस बिल के भाव हैं, उन के अनुरूप ही उस को कार्यान्वित किया जाये।

इस में साढ़े सात परसेंट की बात कही गई है। आजकल जो लोग सरकारी जगह पर, गन्दी बस्तियों में और जिस जगह को गन्दी बस्ती घोषित कर दिया गया है, वहां बैठे हैं, उन को वहां से हटाया गया है। न्यू मोतीनगर के नाम से एक जगह बनाई गई है और वहां पर उन को ले जाया गया है। मैं चाहता हूं कि जैसे सरकार ने कुछ सहायता दे कर सब्सिडाइज्ड रेंट तय किया है, अगर इन बस्तियों को, जिन को हम आगे जा कर साफ करना चाहते हैं और जिनका सुधार करना चाहते हैं, उसी आधार पर रखा जाये, तो अच्छा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जमाने में तो कीमतें काफी बढ़ी हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जमीनों की कीमत आज-कल के मार्केट रेट से नहीं लगाई जायगी। लेकिन जो उस पर स्ट्रक्चर होगा, उस की कीमत भी इतनी हो जायगी कि उस का साढ़े सात परसेंट उन गन्दी बस्तियों में रहने वाले नहीं दे पायेंगे।

पचास, साठ साल में जो एक आदमी चांदनी चौक, बल्लीमारां या लाल कुंआ के किसी मुहल्ले में रहता है, वह डेढ़ दो रुपया महीना देता है। आज भी उसकी ऐसी अवस्था नहीं है कि वह उस से ज्यादा दे सके। ऐसी अवस्था में साढ़े सात परसेंट अगर लगाया गया और उस की कीमत बीस, पच्चीस तीस रुपया बन गई, तोज मैं समझता हूं कि उस के लिये दे सकना बहुत ही असम्भव हो जायगा। फिर जब वह ऐसी जगह में नहीं रह पायेगा, तो वह दूसरी जगह गन्दी बस्ती का निर्माण करेगा और वहां पर और कोई नये आदमी आ जायेंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी किराया उन के लिये निश्चित किया जाये, वह ऐसा होना चाहिये, जो वे लोग अच्छी तरह से दे सकें और जिसे देने में उन को कोई परेशानी न हो सके।

माननीय श्री ए० के० सेन ने जो रिपोर्ट दी थी, उस के बाद भारत सरकार ने दिल्ली के लिए दो करोड़ रुपया दिया। स बारे में पार्लियामेंट में कई बार सवाल किये गये। दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर, इन छः शहरों को छांटा गया था कि वहां पर गन्दी बस्तियों का सुधार किया जायगा। किन्तु दिल्ली का तो मुझे ज्ञात है—बाकी शहरों का मुझे पता नहीं है—कि दुजाना हाउस के नाम से जो एक स्कीम थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई। इसी तरह जहां जहां जो जो भी कोई योजना बनाई गई, वह आज तक पूरी नहीं हुई।

मेरा निवेदन है कि यह बिल प्रवर समिति को चला जाये और वहां पर इसके तमाम पहलुओं पर विचार किया जाये। मैं यह भी चाहूंगा कि प्रवर समिति इन बस्तियों में जाये और वहां के लोगों के स्टैंडर्ड को देखे और फिर उसके बाद यह तय करे कि वे इतना किराया दे सकते हैं या नहीं और उनके लिए किस तरह की सुसिधायें पहुंचाई जा सकती हैं।

माननीय मंत्री जी ने इस में अमलेदारों का जिक्र किया है। अमलेदारों की अवस्था बहुत ही दयनीय है। अमलेदार उनको कहते हैं, जो किसी ज़मीन के मालिक की ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं और उस पर जो स्ट्रक्चर होता है, उसको वे स्वयं अपना पैसा लगा कर बनाते हैं। आज हालत यह है कि ज़मीन के मालिक यह चाहते हैं कि अमलेदारों को, जो कि पच्चीस तीस साल से उनकी

ज़मीन पर अपना मकान बना कर बैठे हुए हैं, निकाल बाहर कर दिया जाये, क्योंकि जो ज़मीन पहले दो आने गज़ थी, आज वही २०० रुपये गज़ हो गई है । ज़मीन के मालिकों को लालच हो गया है और वे चाहते हैं कि आज अमलेदारों को निकाल दें । मैं समझता हूं कि आज-कल हमारे यहां की कचहरियों में ज्यादातर जो मुकदमे चल रहे हैं, वे इसी तरह के चल रहे हैं, जिनमें अनलेदार और ज़मीन-मालिक का झगड़ा है और स्लम का झगड़ा है । स्लम्ज़ का एक अलग महकमा भी बना हुआ है । उसमें भी भाग दौड़ मची हुई है ।

मैं चाहता हूं कि इस बिल को हम कुछ इस तरह का बनायें, जिसमें कि उन लोगों को, जोकि इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं, पूरी पूरी राहत मिल सके । वह रहात तभी मिल सकती है कि जब भी जो भी क्षेत्र हम लें, जो कोई योजना हम हाथ में लें, बजाये इसके कि वह किसी राजनीतिक पहलू या एपरोच से देखी जाने लगे, या उसके सम्बन्ध में राजनीतिक दबाव डाला जाने लगे और उसके कारण यह योजना ठप्प हो जाये और फिर दूसरी योजना प्रारम्भ की जाये और उसमें भी वही बातें आ जायें, हम तय करें कि उस योजना को पूरा किया जायगा और उस क्षेत्र को साफ़ किया जायगा, चाहे कैसा भी दबाव आये । उस क्षेत्र को साफ़ किया जाये और साफ़ करने के बाद वहां के रहने वालों को राहत पहुंचाई जाये ।

जो पुरानी बस्तियां हैं, जिनको हम गन्दी बस्तियों के नाम से पुकार रहे हैं, वहां न तो कोई स्कूल हैं और न कोई पार्क हैं । नागरिक जीवन की कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है । आप पुरानी दिल्ली में चले जाइये । कार्पोरेशन का जो दफ्तर है, उस के सामने जो बाग़ है, वही नाम-मात्र का बाग़ है । बाकी सारे बाज़ार में आप घूम लीजिये, कहीं छकोई छोटा मोटा पार्क भी देखने को नसीब नहीं होगा । इस अवस्था में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इस तरह का प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि वहां पर जिन लोगों को हम बसाते हैं, बिठाते हैं, उनके लिए पार्क हों । वहां पर स्कूल के लिए, अगर जगह नहीं है, तो स्कूल के लिए भी हम जगह का प्रबन्ध करें । इसके अतिरिक्त डिस्पेंसरी आदि का भी हम प्रबन्ध करें और जितनी भी नागरिक सुविधायें हैं, वे वहां पर उपलब्ध की जायें ।

मैं चाहता हूं कि यह जो इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के लिए मेरा प्रस्ताव है, वह स्वीकार किया जाये । इसमें सोलह नाम लोक सभा के सदस्यों के हैं । मैं चाहूंगा कि आठ नाम राज्य सभा के आ जायें और दोनों हाउसेज़ के सदस्य इस पर विचार करें और विचार करने के बाद मैं आशा करता हूं कि जो गरीब आदमी आज इन गन्दी बस्तियों में बैठे हुए हैं, और इस ऐसी अवस्था में बैठे हुए हैं कि जो देखी नहीं जा सकती हैं, उनके सुधार और उद्धार के लिए वास्तव में प्रयत्न किया जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फ़तेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो संशोधन के रूप में इस सदन में लाया गया है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु एक दो बातें मैं बड़े ही दुःख के साथ कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी प्रायः बड़े बड़े शहरों में हज़ारों की तादाद में ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । जाड़ा, गर्मी बरसात सभी मौसमों में वे गन्दी बस्तियों में रह कर आसमान के साये के नीचे रह कर अपना गुज़र करते हैं । यह एक बड़ा गम्भीर विषय है । यह कहा जाता था कि जब हमारा देश स्वतन्त्र हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन की जो अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे, रहने की उचित व्यवस्था, पहनने के लिये उचित वस्त्र और दवा-दारू का उचित प्रबन्ध, वे सभी को प्राप्त होंगी । कहां इन में से कोई भी लोगों को प्राप्त हुई है ।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

जहां तक गन्दी बस्तियों का सम्बन्ध है, दिल्ली में ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी बड़े बड़े शहरों में यह एक गम्भीर विषय बन गया है। इसने व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। यह संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। जिस प्रकार से वे लोग रहते हैं उसको देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वतन्त्र भारत में ऐसे भी नागरिक हैं जो इतनी बुरी तरह से और इतने बुरे वातावरण में रह रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी मौसमों में खुले प्लेटफार्म पर, गन्दी बस्तियों में, बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे, वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस विषय में गम्भीरता के अनुरूप हमारी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जो विधेयक संशोधन के रूप पेश हुआ है इससे किसी तरह का कोई भी रिलीफ उन लोगों को मिलने नहीं जा रहा है।

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उन में अधिकतर संख्या ऐसे लोगों की है जिनके ऊपर एक बड़ा जबर्दस्त आर्थिक संकट है, जो किसी प्रकार से भी ऐसी हैसियत नहीं रखते हैं कि वे किराये के मकान लेकर, उनके अन्दर रह सकें। अब आप यह सुविधा देने जा रहे हैं कि जो मालिक हैं मकानों की के गन्दी बस्तियों के अन्दर, या जो मालिक हैं, ज़मीनों के वे अपनी इच्छा से बिला अधिकार उन लोगों को हटा कर किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह संख्या जो गन्दी बस्तियों में रह रही है अधिकतर ऐसे लोगों की है जिनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वे अदालत में जा करके किसी प्रकार की कानूनी चाराजोई इस विषय में कर सकें ताकि उनकी व्यवस्था रहने की सुरक्षित रहे। इस संशोधन में यह सुविधा तो दी गई है परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कि ऐसे निर्धन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गुरबत के कारण गन्दीबस्तियों में आबाद हो गये हैं, आया वे इस काबिल भी हैं कि कानूनी शरण लेकर मालिकान के मुकाबले में अपने हक में फैसला करा सकेंगे। मुझे बड़ा शुबहा है कि इस बात का ध्यान रखा गया है।

यह जो इतना गम्भीर विषय है गन्दी बस्तियों को साफ़ करने का और उनका पुनर्निर्माण करने का, इसको इस प्रकार से संशोधन के रूप में लाकर हल नहीं किया जा सकता है। मुझे याद है आज से कई वर्ष पूर्व जब हमारे प्रधान मंत्री जी कानपुर पधारे थे और वहां पर उन्होंने गन्दी बस्तियों को देखा था तो उनके ये शब्द थे कि मैं यह चाहता हूं कि इन तमाम गन्दी बस्तियों में तुरन्त आग लगा दी जाए, इन सब को फूंक दिया जाए और कोई साधारण व्यवस्था इस प्रकार की की जाए कि एक स्वतन्त्र देश का मानव, एक स्वतन्त्र देश का नागरिक कम, से कम साधारण जीवन एक मानुष्यका व्यतीत कर सके। उन्होंने भी इस बात को अनुभव किया था कि ठंड में किस तरह से इनमें रहने वाले लोग ठिठुरते हैं, ठंडी हवा से बचने के लिये उनको भी एक शाये की आवश्यकता होती है। जब प्रधान मंत्री ने यह कहा तो इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये। बहुत से लेबर क्वार्टर्ज़ बने, सरकार की ओर से निर्माण कार्य किये गये। परन्तु होता क्या है, इसको आप देखें। मैं जानता हूं उनका जो किराया रखा गया है, वह सस्ता रखा गया है। फिर भी उनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे मैंने निवेदन किया कि गुरबत के कारण निर्धनता के कारण, वे थोड़ा किराया भी नहीं दे सकते हैं जो कि सरकारी भवनों का निर्माण होने के बाद निर्धारित किया गया है। नतीजा इसका यह होता है कि बड़े बड़े आदमी छोटे मजदूरों के नाम पर और गरीब कर्मचारियों के नाम पर उनको अलाट करवा कर उनमें रहने लग जाते हैं और रह रहे हैं। इस बात को हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि गन्दी बस्तियों में रहने वालों की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कमाई के कोई साधन नहीं हैं। देखा जाना चाहिये कि आया उनकी आमदनी कुछ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप आज नए भवनों का निर्माण गन्दी बस्तियों में करा लेंगे और फिर निर्माण में जो लागत लगी है, उसके अनुपात से उसका मासिक किराया निर्धारित कर देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गन्दी बस्तियां एक जगह

से हट कर दूसरी जगह पर खिसक जायेंगी। यह सराहनीय कार्य सरकार का होता अगर कुछ गन्दी बस्तियां जो ये और ये जो लोग रह रहे हैं उन सभों की एक जांच कराई जाती और जांच कराने के बाद देखा जाता कि किस प्रकार से उन लोगों को एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिये सरकार की ओर से रहने का साधन मुहैया किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता है। अशोक सेन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी और जिसकी सिफारिश यह हुई कि प्रत्येक बड़े शहर में कम से कम दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है, वह धन नहीं लगाया गया। फिर भी जो भी चीज़ की जाए स्लम क्लीयरेंस के सिलसिले में, गन्दी बस्तियों को साफ करने के सम्बन्ध में, उस में सब से पहले सरकार इस बात का ध्यान रखे कि अधिकतर ऐसे लोग हैं जो न तो खुद किराया दे सकते हैं और न ही उनकी इतनी हैसियत है कि वे किराया देने का प्रबन्ध कर सकें। जब वे कमाते नहीं हैं तो चाहे आप थोड़े से थोड़ा किराया भी क्यों न रखें, कम से कम मासिक किराया भी क्यों न रखें, उनकी हैसियत किराया देने की नहीं है और न ही हो सकती है जैसे हालात आज हैं, उन में। इस संशोधन का नतीजा कुछ नहीं होने जा रहा है। उनको किसी प्रकार का रिलीफ, किसी प्रकार की राहत आप देने नहीं जा रहे हैं। यह बड़ा ही विचारणीय विर्णय है कि उनको किस प्रकार से राहत दी जाए।

मैं समझता हूं कि अगर सरकार के द्वारा सबसिडी यानी अनुदान देने की बात हो और उसके अन्तर्गत ऐसे भवनों का निर्माण हो जिनमें लागत कम लगे और रहने की सुविधायें ज्यादा हों, तो वाकइ में वह एक ऐसा कदम हो सकता है जो कि गन्दी बस्तियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

एक प्रश्न और है। जहां तक खेती का सम्बन्ध है, कृषक का सम्बन्ध, है हमारी सरकार ने और राज्य सरकारों ने प्रायः इस सिद्धांत को माना है कि जो जोतता है, वह भूमि का मालिक बना दिया जाय, और इसी के आधार पर बहुत से माल के कानून बनाये गये। मैं नहीं समझता कि अगर एक आधार को एक जगह पर लागू किया गया कि जोतने वाला भूमि का मालिक और स्वामी बना दिया जाय, तो वही आधार गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए क्यों नहीं अपनाया जाता है।

†**श्री पी० र० पटेल** : कृपा करके आगे दर्शन शास्त्र के बारे में न कहिये।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : तो मेरा यह निवेदन है कि गन्दी बस्तियों में जो निर्धन लोग रहते हैं, जिनका उस पर कब्जा है, और वे बराबर वहां रहते चले आ रहे हैं, क्या उन के विषय में यह कदम नहीं उठाया जा सकता कि उन को अधिकार दे दिये जायें कि जिस तरह से वे वहां रहते हैं वहां वे मालिक के तौर पर रहें। इस में कुछ कठिनाई होने की बात है, परन्तु अगर एक बार सरकार यह सिद्धांत मान लेती है तो वह इस प्रकार का कानून बना सकती है, और मैं समझता हूं कि कानून के बनाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

होता यह है कि बड़ी बड़ी इमारतों का निर्मण होता है, और इस युग में जब प्रायः निर्माण के काम हो रहे हैं, एक एक ब्लाक में इमारतें जो बनाई जाती हैं उनमें इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप देहाती क्षेत्र में जायें और निर्माण के कार्यों को देखना चाहें कि वहां कितनी उन्नति हुई है तो आप ब्लाकों में बने हुए भवनों को देख लें। उस के आगे और कोई निर्माण का काम आप को नहीं मिलता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ सन्तुलन होना चाहिये और सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि भवनों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

के बनाने में भी कुछ समता हो। ऐसा न हो कि एक इमारत के बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हो जायें और जब निर्धन, गन्दी बस्तियों के रहने वालों का प्रश्न हो तो वहां पर साधारण से साधारण इमारत का भी निर्माण न हो।

इस लिये जो संशोधन सरकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उन में मैं सिर्फ एक चीज जरूर देखता हूं कि अभी तक जो सुविधाएं थीं, मालिक लोग मनमाने ढंग से इमारत के बहाने से जो लोग रहते थे उनको बेदखल कर दिया करते थे उस कुछ प्रतिबन्ध और रुकावट पहुंची है। परन्तु जैसा अभी मैं ने आपसे निवेदन किया, इस प्रकार का प्रतिबन्ध हो जाने के बाद भी वास्तव में आप गन्दी बस्तियों को साफ नहीं कर सकते और गन्दी बस्तियों में रहने वालों को आप किसी प्रकार का आराम नहीं पहुंचा सकते, जब तक कि आप जैसा कि अभी एक संशोधन आया है, एक ज्वायेंट कमेटी बने और इस पूरे मसले पर गौर हो जाये, उन की हैसियतों के आंकड़े ले लिये जायें, और फिर उस आधार पर सरकार की तरफ से गन्दी बस्तियों में भवनों का निर्माण न करें, जिस से उन को सुविधायें मिल जायें। अगर ऐसा कार्य होता है तो वह अवश्य एक हद तक सन्तोषजनक होगा, वर्ना इस तरह के संशोधन विधेयक से यह गन्दी बस्तियों कभी भी हमारे देश से साफ नहीं हो सकती।

†**श्री पी० र० पटेल** (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने की प्रसन्नता है।

नई दिल्ली की अपेक्षा पुरानी दिल्ली में रहने वालों की अवस्था अधिक खेदजनक है। १५ वर्षों से हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। किन्तु अब तक हम इन गन्दी बस्तियों में कोई सुधार नहीं कर सके हैं। इस विधान द्वारा स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यह एक सन्देहास्पद बात है इससे केवल लोगों के दिलों में भ्रमक अशायें ही उत्पन्न होंगी, मैं ने इस विधेयक के अनेक खण्डों का अध्ययन किया है। इसमें माकान नये सिरे से बनाने पर लागत का ७½ प्रतिशत ब्याज देने की बात कही गई है जब कि रुपया बाहर या किसी व्यवसाय में लगाने से अधिक धन कमाया जा सकता है। गन्दी बस्तियों के स्वामी इनकी स्थिति में सुधार करने में कोई दिलजस्पी नहीं लेंगे।

नई दिल्ली में बंगलों के साथ बड़े बड़े स्थान खाली पड़े हुए हैं। सरकार को उन स्थानों को प्राप्त कर किरायेदारों को दे देना चाहिये ताकि वे वहां अपने लिए मकान बना सकें।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी): आप समाजवाद चाहते हैं। लेकिन इनको तो उससे विरोध है।

†**श्री पी० र० पटेल**: साथ ही साथ सरकार को और नगर निकगम को प्रत्येक वर्ष कुछ "चालों" का निर्माण करना चाहए और उन्हें गन्दी बस्तियों में रहने वालों को किराये पर देना चाहिए। दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है इसे साफ रखना आवश्यक है।

गांवों में, जहां अधिकतर कुटुम्ब एक एक कमरे में रहते हैं, आवास सम्बन्धी स्थिति अच्छी नहीं है, कभी कभी उन्हें पशुओं को भी अपने पास रखना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गन्दी बस्तियों को हटाने तथा इनके विकास के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक से अधिक लोग दिल्ली में जमा हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आवास समस्या और भी विकट हो गई है। इन समस्याओं के लिए सरकार स्वयं उत्तरदायी है।

श्री ह० रु० सोय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। कहा गया है, और यह बात सही भी है, कि बड़े शहरों में स्लम्स, झोंपड़ियां, तो पहले से भी हैं। दिल्ली के बारे में भी कहा गया है कि पार्टीशन के पहले भी यहां स्लम थे और बाद में भी बनते जा रहे हैं। अब तक सरकार स्लम्स को क्लियर करने के सम्बन्ध में पूरी सफलता नहीं पा सकी है। मगर स्वाल यह है कि नय शहर जो बन रहे हैं, ख़ास कर मेरा इशारा उन नये औद्योगिक शहरों की ओर है जो कि बनाये जा रहे हैं जैसा कि रूरकेला आदि के बनाने की अभी हाल में योजना बन रही है। वहां तो पहले से स्लम्स नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि नये शहरों को बसाने में ऐसी योजना बना कर उनको बसाती कि वहां स्लम्स पैदा नहीं होते लेकिन दुर्भाग्य-वश वैसा नहीं हो रहा है और वहां भी स्लम्स पैदा होने लग गये हैं।

उदाहरण के लिए रूरकेला को ही ले लीजिये। वहां से जो लोग हटाये गये हैं उन्हें वहां से ५० मील दूर बाहर ले जाय गया है। अब हो यह रहा है कि जिन मज़दूर और गरीब लोगों को जोकि पहले से रूरकेला में थे और जिनको अब सरकार ने वहां से ५० मील दूर ले जाकर डाल दिया, वे फिर रोज़ी के कारण वहीं लौट जाते हैं और झोंपड़ियां बना कर रहने लगते हैं। उचित तो यह था कि सरकार ने जो पैसा उन्हें वहां से हटाने के लिए मुआविज़े की शक्ल में दिया था, प्रोजैक्ट ऐथारिटीज़ को चाहिए था कि उन्हें वहीं कोई जगह देते। इससे उन्हें सुविधा भी होती और वह स्लम्स् भी पैदा नहीं होते। जो गल्ती रूरकेला में सरकार ने की वही गलती रांची में भी की गई और जमशेदपुर में भी वही गलती की हुई पाते हैं। इहलिए मेरा अपना सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि सरकार अभी भी इससे सबक़ ले और नये शहरों को जो बसाया जा रहा है बहां तो कम से कम उन पुरानी ग़लतियों को न दुहराये।

एक बात यह है कि पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी योजना के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि हाउसिंग स्कीम्स् को पूरा करने में सिर्फ रुपये की ही कमी नहीं है बल्कि जो मकान बनाने वाले हैं, विभिन्न एजेंसियां हैं उनमें ज़रूरी समन्वय और कोआरडिनेशन भी नहीं है। सरकार द्वारा हाउसिंग प्रोग्राम को कई हिस्सों में किया जा सकता है। कुछ तो स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग की हैं जिनको कि इंडस्ट्रियल ऐम्पलायर्स करते हैं और कुछ हाउसिंग की स्कीम्स कोआपरेटिव बिल्डिंग हाउस सोसाइटीज़ के द्वारा की जाती हैं। देखा यह गया है कि इंडस्ट्रियल को ७५ सैकड़ा सबसिडी मिलने पर भी वह हाउसेज़ बनते नहीं हैं। इंडस्ट्रियल मजदूरों के लिए जो मकान बनने होते हैं वे बनते नहीं हैं। इस सम्मन्ध में जो कानून हैं, मैं चाहता हूं कि उन का कड़ाई से पालन हो।

एक चीज़ यह भी देखने की है कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, यहां पुराने किले से लोगों को हटाते हैं, वहां से उनको हटाते इसलिये हैं कि स्लम्स को साफ किया जाय और इसलिये भी ऐसा करते हैं कि उस इलाक़े में मज़दूरों के लिए जो नये मकानात बनने चाहियें, उनके लिए जगह काफ़ी नहीं है लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रख कर यह सरकार सोचे कि जो वर्त्तमान ज़मीन हमारे पास में है उसका उपयोग क्या हम ठीक तरीक़े से कर रहे हैं? उसका उपयोग आज किस तरीक़े से किया जा रहा है? आज क्या यह हक़ीक़त नहीं है कि हर एक बड़े मंत्री या सेक्रेटरीज़ के जो सरकारी बंगले होते हैं उन में २० से २५ एकड़ ज़मीन यूं ही फ़ालतू पड़ी हुई है? मिनिस्टरों के बंगलों

[श्री ह० र० सोय]

को देखा जाय उनमें ५०--६० एकड़ ज़मीन यूं ही बेकार पड़ी हुई है। क्या एक समाजवादी शासन व्यवस्था में इसी तरीक़े से इन्तज़ाम होगा ? मैं तो चाहता हूं कि इस तरह से जो काफी ज़मीन एवेलेबुल है, और फालतू पड़ी है उसका इस तरीक़े से दुरुपयोग न हो। इस फालतू ज़मीन का उपयोग मज़दूरों के लिए मकानात बनाने के लिए किया जाय। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में जहां कि बड़े बड़े महल नज़र आते हैं, दरअसल वह स्लम्स् ही हैं। मैं तो चाहता हू कि सारी ज़िम्मेदारी को हम लोग ले लें। जिस तरह से हमने ज़मींदारी और जागीरदार को ले लिया उसी तरह से मैं चाहता हूं कि सरकार लिविंग स्पेस को नेशनलाइज़ करे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में ज़रा गम्भीरतापूर्वक सोचे और इस का कंट्रोल किया जाय कि एक व्यक्ति कितनी लिविंग स्पेस ले सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों को रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी से पास किया जाय और कार्य रूप में लाया जाय।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : इस विधेयक का उद्देश्य गन्दी बस्तियों को शीघ्रातिशीघ्र साफ करने का है। इस सम्बन्ध में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये गन्दी बस्तियां केवल नगरों तक ही सीमित नहीं। ऐसे क्षेत्र है जहां कि लोग अत्यन्त नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। हावड़ा के पास के औद्योगिक क्षेत्र में तो स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। वहां पर बहुत से लोगों को सियालदह, हावड़ा तथा अन्य स्थानों पर पटरियों पर रहना पड़ रहा है। इस कार्य को करने के लिए खनन कल्याण संस्थाओं को ४ से ५ लाख रुपया भी दिया गया है। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि इसे यहीं पर ही छोड़ा नहीं जा सकता। इसे तो सुलझाना ही होगा।

दिल्ली में ऐसे छः लाख लोग हैं जो कि इन्हीं गन्दी बस्तियों में रहते हैं। इस मामले पर विचार किया गया और यह समस्या सजीव में सामने आई। इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की समस्या "पोखों" में रहने की। वहां ये लोग बिल्कुल भेड़ बकरियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि समस्या का समाधान केवल दिल्ली में ही करने की आवश्यकता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा अन्य नगर भी इस बीमारी से अछूते नहीं है। यहां भी दशा बहुत खराब है। उससे भी हम बच नहीं सकत। उसका भी किसी न किसी रूप में तो हल करना ही होगा। यदि दिल्ली में एसे लोग २२००० हैं तो कलकत्ता में इससे संख्या अधिक ही होगी १०० रुपय मासिक से कम आय वाल लोग इसी तरह ही रह रहे हैं। मुझे आशा है कि प्रवर समिति के सदस्य इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपोज़ीशन का मतलब यह नहीं है कि जो भी कहा जाय, उस को अपोज़ किया जाये। अगर कोई बात सुधार और अक्ल की आये, तो उस का समर्थन भी करना चाहिए। जब तक हमारी गन्दी बस्तियों का सुधार नहीं होगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। हमारे लाखों भाई उन में बसे हुए हैं, जो मजबूर हैं और जिन का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरता जाता है। इस लिए सरकार ने यह बिल ला कर उन के सुधार के लिए पूरी कोशिश की है और इस लिए मैं इस का समर्थन करता हूं। गरीब लोगों का तभी सुधार हो सकेगा, जब इन बस्तियों को मिटाया जायगा। अगर इन बस्तियों को न हटाया गया, तो उन के बच्चे भी बीमार होंगे और वे खेद भी बीमार होंगे।

---

†नूल अंग्रेज़ी में

इस बारे में कुछ दिक्कत ऐसी आ रही है, जिस को एक दूसरी लाइट में लिया जा रहा है । मान लीजिए कि कीमतें बढ़ गई हैं । तो जिस की कीमत बढ़ी हैं, उसे कोई तो क्रैडिट देना पड़ेगा । आज से बीस साल पहले मैं जिस बैल को पचास रुपये में ख़रीद कर लाया था, आज उस को आठ सौ रुपये में खरीद कर लाता हूं । हर एक चीज़ की कीमत बढ़ी है । यह किसी के बस की बात नहीं है । हां, गवर्नमेंट को एसा कंट्रोल रखना चाहिए कि कोई बेजा मुनाफ़ा न कमा सके । हम लोग पहले जेलखाने की मुसीबतों उठा रहे थे । और आज पार्लियामेंट के मेम्बर बन गए हैं । तो यह कोई दलील नहीं है कि हमें दोबारा जेलखाने की मुसीबतों में डाला जाय, हम को फिर सीखचों में बन्द किया जाये । जिस इंडिविडअल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी के लिए हम लोग यहां पर बैठ हुए हैं, यह पार्लियामेंट जिस की गार्डियन है, जिस की कुर्सिएं-सदारत पर आप रौनक़-अफ़रोज़ हैं, उस में इस बात की इजाज़त नहीं है, हमारे किसी ला में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम किसी की कीमत को कम कर सकें । हां, ग़रीब आदमियों को फ़ेसिलिटी मिलनी चाहिए । ऐसा न हो कि ग़रीब आदमी को उजाड़ा जाय और बड़े आदमियों के लिए अच्छा सामान तैयार कर लिया जाये ।

नौशेरवां बादशाह को अपने महल के लिए जगह की ज़रूरत थी । उस ने एक बुढ़िया से कहा कि तुम अपनी झौंपड़ी ख़ाली कर दो । बुढ़िया रज़ामंद नहीं हुई । बुढ़िया को कहा गया कि हजार लो, लाख लो, लेकिन उस बुढ़िया ने इन्कार कर दिया कि जिस तरह से बादशाह को अपना महल प्यारा है, उसी तरह मुझे अपनी झौपड़ी प्यारी है । नौशेरवां ने वह जगह ऐसे ही छोड़ दी और वह महल आज तक उस जगह से टेढ़ा बना हुआ है । इसी लिए आज तक उस की कीर्ति और यश है । किसी भी ग़रीब आदमी को परेशान कर के अमीर आदमियों के लिए कोई अच्छे सामान पैदा करना हमारे राष्ट्र को शोभा नहीं देता ।

इस लिए ज़रूरत इस बात की है कि इस काम को आहिस्ता-आहिस्ता किया जाये । ऐसा न हो कि पहले तो सरकार लाखों को उजाड़ दे और फिर उन की बसाने का काम शरू करे । जो दो सौ, पांच सौ, एक हजार की तादाद में लोग विस्थापित किये जायें, पहले उन को वसाया जाये और फिर दूसरा बैच लिया जाये । इस तरह से अलग अलग हिस्सों और टुकड़ियों में ले कर उन लोगों को बसाया जाये ।

मुख़ालिफ़ में जो गुण हों, उन को मानना चाहिए । हम भगवान् राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इस लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन के गुणों को भी माना था । जब रावण मर रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण को यह कहा कि रावण दुनिया का सब से बड़ा विद्वान है, वह चारों वेदों का पण्डित है, उस के पास जा कर उस के पैर छुओ और उस के कदमों में बैठ कर कुछ विद्या प्राप्त करो । उस वक्त रावण ने लक्ष्मण को यह विद्या दी थी "शुभस्य शीघ्रम्", अर्थात् जो काम करना है उसे तुरन्त करो, कल पर न छोड़ो । मुख़ालिफ़ से भी कुछ सीखना चाहिए । मिस्टर जिन्ना ने यह कहा था कि पहले चेंज आफ़ पापुलेशन हो जाये, उस के बाद पाकिस्तान डिक्लेयर हो । उस वक्त यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज आ रही है ।

मेरी अर्ज़ यह है कि पहले एक, दो हज़ार को ले कर डिस्प्लेस किया जाये और फिर उन को बसा कर दूसरी टुकड़ी ली जाये । यह बात सब से ज़रूरी है । हां बढ़ते हुए किराये बहुत ग़रीब आदमी नहीं दे सकता । जिस को कुल साठ रुपये तन्ख़्वाह मिलती है, वह साढ़े पच्चीस रुपया किराया नहीं दे सकता । यह ज़रूरी है कि इस के लिए इन्तज़ाम किया जाये और ग़रीब के बसाने के लिए सामान मुहैया किया जाये ।

[श्री यशपाल सिंह]

इस के साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर गुणों की कद्र नहीं की जायेगी, अगर दुनिया में काम की, परिश्रम की, उद्योग की इज्जत नहीं की जायगी, तो समाज नहीं उठ सकता। राजपूतों का राज्य इसी लिए खत्म हो गया कि पन्ना धाय के नाम से वे एक मन्दिर नहीं बनवा सके। जिस पन्ना धाय ने अपना बेटा कटवा कर राजपूत सन्तान को जिन्दा रखा, वे उस के नाम का कोई शहर नहीं बसा सके, उस के नाम का कोई दरवाजा नहीं कायम कर सके। गुणों की कद्र होनी चाहिए।

माननीय पुनर्वास मंत्री, श्री मेहरचन्द खन्ना, ने जो काम किया है, वह इतना बड़ा काम है कि उन के सिवाये दूसरा आदमी नहीं कर सकता था। एक करोड़ इन्सानों को बसा देना खुद अपनी बीमारी में, जब कि डाक्टरों ने मना किया हुआ था कि रात को मत जागो, फिर भी रात को दो दो बजे तक जाग कर एक करोड़ इन्सानों को बसा देना—कोई मामूली काम नहीं है। देश भक्ति के जरिये से ही यह काम हो सका। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कोई मिलिटरी जनरल नहीं थे। वह आई० सी० एस० थे। आई० सी० एस० को इतना भी पता नहीं होता है कि बूट पट्टी कैसे बांधी जा सकती है। लेकिन उन्होंने देशभक्ति के सहारे, सारे संसार को एक बेमिसाल आर्मी खड़ी करके दिखा दी। अगर माननीय मेहर चन्द जी खन्ना यह सोचते कि पहले मैं खुद ही तनदुरुस्त हो लूं और खुद बस लूं तब दूसरा काम करूं तो हर्गिज़ हर्गिज़ वह इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। मैंने एक किताब में यों पढ़ा था :

धीमी न हो चरागे मुहब्बत में रोशनी।
दिल को जला जला करके उजाला करेंगे॥

यह चीज़ अगर किसी पर चरितार्थ होती है तो हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर के ऊपर सच्चे अर्थों में चरितार्थ होती है जिन्होंने खुद बीमारी की हालत में और खुद डिसप्लेस्ड होते हुए भी एक करोड़ इंसानों का इंतज़ाम किया अगर भारत रत्न का कोई मुस्तहिक है तो वह माननीय मेहरचन्द खन्ना जी हैं। हमें आशा है कि उनके हाथ से कोई काम ऐसा नहीं होगा जिससे गरीब के हितों का नुक्सान हो, जिससे विस्थापित लोगों के हितों को ठेस पहुंचे, झुग्गी झौपड़ी वालों को नुक्सान पहुंचे। जिस खूबी के साथ उन्होंने एक करोड़ इंसानों को बसाया उसी खूबी के साथ वह इन झुग्गी और झौंपड़ी वालों का मसला भी हल करेंगे, ऐसी हमें उन से आशा है।

मैं समझता हूं कि जब तक छोटे आदमी को किराये में रियायत नहीं दी जाएगी, राहत नहीं दी जाएगी जब तक गरीब आदमी को बसने के लिये जगह नहीं दी जाएगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। यह कमी जरूर रही है इस एमेंडमेंट में कि इस में देहात का नाम नहीं है। जो देहात के लोग हैं उनको बसाने का इंतजाम नहीं हुआ है। हमारे माननीय पटेल साहब ने कहा कि लाखों आदमी ऐसे हैं देहातों के अन्दर जो आ भी गाय के साथ सोते हैं, भैंस के साथ, बैल के साथ सोते हैं, बारिश में सोते हैं सर्दी में बाहर सोते हैं। उनको बसाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। उस एमेंडिंग बिल में रह प्राविज़न होना चाहिये कि यह सारे देश पर लागू होगा और जो देहात की पब्लिक है, खास तौर से किसान हैं, मजदूर हैं, उनको बसाने का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। गांधी जी कहा करते थे कि गांव इस देश की आत्मा है। वह कहा करते थे कि इस देश की रूह जब तक नहीं जागेगी इस देश की सिविलिट नहीं जगेगी, तब तक देश नहीं बस सकता है। अस्सी प्रतिशत जो लोग देहातों में रहते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम किया जाना चाहिये, उनको बसाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गरीब आदमी से ज्यादा किराया नहीं लिया जाएगा और बेजा तरीके से उसको उजाड़ा नहीं जाएगा ।

†**श्री मा० स० जाधव** (मालेगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरा निवेदन है कि देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने का एक मात्र ढंग यही है कि आवास कार्यक्रमों को तेज किया जाय । सरकार को अपने समस्त कर्मचारियों को मकान देना चाहिए । उद्योगों के मालिकों को भी कहा जाय कि वे अपने श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करे । गन्दी बस्तियों की समस्या केवल आवास की ही समस्या नहीं, यह स्वास्थ्य की भी समस्या है ।

इस समस्या को हल करने के मार्ग में तीन समस्यायें हैं । भूमि का अर्जन, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं का उपबन्ध और मकानों का निर्माण । इस बारे में एक बात बड़े स्पष्ट रूप में समझ लेनी चाहिए कि जब तक सरकार के समस्या सम्बन्धित विभाग एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का सन्तोषजनक हल नहीं निकाला जा सकता । सरकार को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि गैर सरकारी निर्माण कर्ताओं को ईंटों और सीमेन्ट जैसी सामग्री साज ही उपलब्ध होनी चाहिए ।

गन्दी बस्तियों को साफ करने की समस्या बहुत व्यापक हैं । हमारी जन संख्या बढ़ रही है । स्वतन्त्रता से पहिले ३३ करोड़ थी अब ४५ करोड़ हो गयी है । इस गति से आवास का कार्य नहीं बड़ा हैं । जन संख्या की वृद्धि के साथ साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास कार्यक्रमों में वृद्धि होनी चाहिए । सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इस विधेयक को जिसके उपबन्ध ठीक है, कानून बन जाने पर ठीक प्रकार से कार्यान्वित करे । आशा करनी चाहिए कि प्रवर समिति इन सब समस्याओं पर विचार करेगी और समुचित हल सुझायेगी ।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार का विधेयक सदन के सामने आता है तो मुझे जैसा आदमी धर्म संकट में पड़ जाता है कि इसका समर्थन करे या विरोध करे । क्यों कि रूप तो सुन्दर होता है और मन भी बहक जाता है लेकिन जब आत्मा के अन्दर घुसने की कोशिश की जाती है तो लगत है कि वही साधु रूप धारण करके रावण कहीं सीता को तो ठगने नहीं आया है ? मुझे तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है और मैं चाहता हूं कि मैं उसे माननीय मंत्री महोदय को आपके द्वारा सुना दूं :

मुख मलिन तन सुन्दर कैसे ।
विष रख भरा कनक घट जैसे ।।

जब गन्दी बस्तियों के सुधार और सफाई का यह कानून पेश है तो मुझे डर लगता है और मैं आपको अपना भय बता दूं कि कहीं उनके अन्दर रहने वाले गरीबों की सफाई न हो जाए । जो मूल समस्या है जिस को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि बड़े शहरों में जो गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उन को अच्छी जगह बसाया जाय । गन्दी बस्तियों में रहना कौन लोग पसन्द करेंगे । जो गरीब होंगे, जिन के पास ज्यादा किराया देने के लिये पैसा नहीं होगा, वही ऐसी जगहों में जायेंगे । यह समस्या केवल दिल्ली या जो पांच, छः शहर बतलाये जाते हैं, वहां ही नहीं, बल्कि सारे देश के दूसरे शहरों में और देहातों में भी हैं । उन लोगों को बसाने की बहुत बड़ी समस्या है, और यदि हम को इस समस्या को हल करना है तो हमें इस दिशा में ठीक से चलना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि दिल्ली में किसानों से या और लोगों से जो जमीनें अर्जित की जाती हैं वह कम पैसे से, लेकिन अर्जित करने के बाद वह ज्यादा पैसे में बेची जाती हैं, जिस का फायदा केवल पैसे वाले लोगों को मिलता है, जो गन्दी बस्तियों में रहन वाल लोग हैं, जो बिना जमीन के हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, इस से उन का फायदा नहीं होगा । एक सवाल ऐसा भी उठा कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उन्हें इस का फादा पहुंचेगा । यह बात देखने में बड़ी सुन्दर है, लेकिन जब जमीन की नीलाम की बात आती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो अधिक पैसा देगा उसी को वह भूमि मिलेगी । इसी तरह से कुछ ऐसे लोगों को भी बड़े लोगों ने पाल रक्खा है जो उन के लिये दलाली करते हैं और उस जमीन को नीलाम में लेते हैं । इस का भी फायदा बड़े लोगों को ही पहुंचता है । जब तक इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जायेगा और उन सब का समावेश विधेयक में नहीं किया जायेगा तब तक इस विधेयक का लक्ष्य पूरा नहीं होगा :

गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग सुधार के नाम पर, सफाई के नाम पर, पानी की व्यवस्था करने के नाम पर, रोशनी की व्यवस्था करने के नाम पर, बेदखल किये जायेंगे । इस के लिये यह शर्त है कि अगर वे चाहें तो उन्हें फिर वहीं बसाया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि जब तक उन को कहीं और भी तत्काल बसाने की व्यवस्था न हो जाय तब तक उन को वहां से न उजाड़ा जाय । क्योंकि अगर इस तरह की शर्तें इस के साथ नहीं आ जाती है तो उस का नतीजा यह होगा कि सफाई के नाम पर, उन के सुधार के नाम पर, उन को बेदखल कर दिया जायेगा । वे कहीं न कहीं जाकर रहेंगे जरूर । जब वे रहने की व्यवस्था कर लेंगे तो उन के लिये सुधार कितने दिनों में होगा, सफाई कितने दिनों में होगी, वे मकान कब तक तैयार होंगे, इस तरह की कोई चीज विधेयक के अन्दर नहीं, इस के लिये कोई तिथि नहीं, कोई अवधि नहीं । उन लोगों के कहीं और बस जाने के बाद मान लीजिये कि मकान बन भी जायें, उन का सुधार भी हो जाये, तो यह जिम्मेदारी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या शासन में जो लोग हैं उन के ऊपर नहीं है कि वे स्वयम् कोई तिथि निर्धारित करें कि मालिक हो या सरकार वे उस के अन्दर मकान बनायें और खुद बना कर तत्काल उन में उन को बसायें, बल्कि यह जिम्मेदारी हटाये हुए लोगों पर डाली गई है कि वे खुद मुकद्दमे करें, इस बात के लिये दरख्वास्त दें कि हम को उस मकान के अन्दर रक्खा जाय फिर से । इन सब चीजों का एक ही नतीजा निकलेगा कि वे लोग वहां से हट जायेंगे और हट जाने के बाद फिर कहीं कोई गन्दी बस्ती आबाद करेंगे, कहीं चल जायेंगे, उन को यह जमीन वापस मिलने वाली नहीं है, न उन को वह स्थान मिलेगा ।

इसी तरह से इस में एक और भयंकर चीज है । प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या कुछ लोग यह समझें कि वह स्थान रहाइश के लायक नहीं है, किसी और चीज के लिये उपयुक्त है, तो वह जमीन आदमी को नहीं मिलेंगी । इतना जबर्दस्त एक हथियार दे दिया जाता है, जिस के सहारे वह जमीन लौट कर उन को मिलने वाली नहीं है । तीसरी चीज इस में यह है कि इस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन का सुधार से सम्बन्ध है गन्दी बस्तियों में जैसे पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, पाखाने की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था जितने कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटि हैं, उन के ऊपर एक जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर होती है, और वह यह कि मोहल्लों में रोशनी का इन्तज़ाम करें, पीने के पानी का इन्तज़ाम करें, नहाने का इन्तज़ाम करें, पाखानों का इन्तज़ाम करें या नालियों की व्यवस्था करें ।

एक माननीय सदस्य : पार्कों का भी ।

श्री रामसेवक यादव : पार्कों का भी। लेकिन इस के लिये कभी कोई मोहल्ला नहीं उजाड़ा गया, कोई और बात नहीं हुई। मगर यहां पर इस के लिये क्या व्यवस्था है। यह जो सारी चीजें दी गई हैं अगर उन को सुधारा नहीं जाता और यह व्यवस्थायें नहीं की जातीं तो उन जमीनों को जहां पर लोग रह रहे हैं हासिल किया जायेगा। अगर वह खुद उन की जमीन है तो कोई सवाल नहीं है हासिल करने का, और अगर किसी दूसरे की जमीन है तो सरकार उसे हासिल कर लेगी।

इसमें जो मुआवजा देने की बात कही गई है, उस के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि संविधान संशोधन विधेयक के लिये एक संयुक्त समिति बैठ रही है, जिस में गांवों की जमीन हासिल करनेके लिये कानून में व्यवस्था हो रही है कि मुआवजे के बारे में कोई आदमी अदालत में उसे चैलेन्ज नहीं कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था शहरों की जमीनों के लिये क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर इस तरह से मुआवजे दिये जायेंगे, जो कि बाजार भाव हो, तो उसका सीधा नतीजा यह होगा कि गरीबों का सफाया हो जायेगा। अव्वल तो मकान बनने ही नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाय तो उनका किराया बढ़ जायेगा और बढ़े हुए किराये में जो गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वे आना पसन्द नहीं करेंगे। नतीजा यह होगा कि गन्दी बस्तियों को सुधारने के नाम पर गरीबों का ही वहां से सफाया हो जायेगा। मुझे ऐसा भय है, और मैं चाहूंगा कि संयुक्त समिति इन सब चीजों पर विचार करे।

इसी तरह से जैसा मैंने निवेदन किया, जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर दी जाती कहीं पर, तब तक उनको न उठाया जाय। जो सरकार खुद अव्यवस्थित हो, वह व्यवस्था क्या करेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं ध्यान दिलाऊं कि मुझे मालूम हुआ है कि दिल्ली के अन्तर्गत कोई भरत नगर जैसी जगह है। वहां पर ६०८ क्वार्टर तैयार हैं, और दो वर्ष से बने हुए तैयार हैं। वहां पर केवल रोशनी की व्यवस्था नहीं, लेकिन आज तक उसमें कोई बसा नहीं। अगर कम आमदनी वाले लोग जाते हैं और कारपोरेशन के अधिकारियों से निवेदन करते हैं तो वे कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, मंत्रालय के पास जाओ, और जब मंत्रालय के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, कारपोरेशन के पास जाओ। वे तैयार हैं कि भले ही रोशनी की व्यवस्था न हो, लेकिन वे किराया दे कर रहेंगे, मगर वे खाली पड़े हुए हैं। मेरे साथी श्री किशन पटनायक गये और उनको देख कर आये। उन मकानों की हालत यह है कि दरवाजे टूट रहे हैं, आगे की छत गिर रही है, लेकिन आज तक उन में किसी को बसाने की व्यवस्था नहीं है। इस लिये जब आप लोगों को हटाने की बात करते हैं तो उनको इस तरह की जगहों में बसायें और वे क्वार्टर उनको दे दें, यह आपसे मेरा निवेदन है।

इसी तरह से झुग्गी झोपड़ी की समस्या है। हम सब लोग इस काम में जुटे हुए हैं, सारी बातें होती हैं, परन्तु कौन जिम्मेदार है कि यह झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे चलते हैं. क्योंकि जो जमीन वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं वे कम पैसा खर्च कर झुग्गी झोपड़ियों को तैयार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा किराया लोगों से अर्जित करते हैं। जो इन सारी चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है वह इसी कारण से मिल रहा है। इसलिये मैं सरकार से, मंत्री महोदय से, निवेदन करूंगा कि वह इन सारी चीजों पर ध्यान दें और बड़े सरकारी अफसर और बड़ लोग मिल कर जो भ्रष्टाचार चला रहे हैं, एक तरह से झुग्गी झोपड़ी और गन्दी बस्तियों को उजाड़ने का डर दिखा कर के भ्रष्टाचार चलाया करते हैं, पैसा वसूल करते हैं, मैं चाहूंगा कि इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाय।

अन्त में जो भय मैंने मंत्री महोदय के सामने रखा, उसको दूर किया जा सकता है, शर्त यह है कि जिनको वहां से हटाया जाय उन के लिये तत्काल रहने का बन्दोबस्त किया जाये। दूसरी बात

[श्री रामसेवक यादव]

यह कि एक निश्चित समय छः महीने का या आठ महीने का रक्खा जाय, जसमें औसत दर्जे के मकान, जहां वह रह रहे थे वहां बन कर तैयार हो जायेंगे, और यह उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वे दरख्वास्त दें कि हमें उन मकानों में रक्खो। यह शासन या प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की जिम्मेदारी होगी कि एक अवधि के अन्दर उनको मकान दे। जो किराया था उससे एक रुपया, दो रुपया या तीन रुपया बढ़ भी जाये तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनको वहीं पर मकान दिया जाय।

तीसरी चीज शहरी जमीनों की है, जिन्हें सरकार अब तक कम पैसा देकर अर्जित करती थी और ज्यादा मुनाफे में नीलाम के जरिये बेचती थी। इस तरीके को बन्द किया जाये और जिस हिसाब से वह जमीन खरीदती है उसी के अनुपात में कम आमदनी वाले लोगों के लिये, उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिये, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये सस्ते दामों पर जमीन दी जाय और उनको मकान बनाने के लिये सहायता दी जाये। वे मकान बना लें, तब आसान किस्तों के आधार पर उनको मकान दिये जायें, एक यही इस समस्या का हल हो सकता है।

इसी तरह से मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी हमारे प्रधान मंत्री जी किसी बड़े शहर में जाते हैं, कानपुर में जायें, कलकत्ता जायें, तो शुरू से ही इन गन्दी बस्तियों को हर साल जला दिया करते हैं। लेकिन गन्दी बस्तियों को जलाने का एक ढोंग मात्र ही रह जाता है, इसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। तो उस नतीजे को अगर हमको निकालना है, और हम वाके में सफ़ाई चाहते हैं, तो इस आधार पर, जैसे मैंने सुझाव दिये हैं, सरकार इस चीज को करे, ताकि जो इसका मंशा है उसके अन्दर सही आत्मा भी बिठायी जा सके, नहीं तो जो मैंने शुरू में अपना भय व्यक्त किया था वह बना रहेगा, और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति न होगी, और इन गरीबों को रहने का कोई ठिकाना मिलेगा, और ये गन्दी बस्तियां फिर कहीं न कहीं बस जायेंगी।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : मैं संयुक्त समिति को विधेयक के सौंपे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार में इस विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए। यह आशा की जा सकती है कि संयुक्त समिति उन सभी सुझावों पर विचार करेगी जो कि प्रस्तुत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में दो बातों की ओर ध्यान देना होगा एक यह कि गन्दी बस्तियों को साफ किया जाय और दूसरा यह कि इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाय कि इस तरह के गन्दे क्षेत्र और न विकसित होने पायें। इस उद्देश्य का उपबन्ध इस विधेयक में सम्मिलित कर लेना चाहिए।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि गन्दी बस्तियां बसाने वालों में समाज विरोधी तत्वों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इन स्थानों पर छोटी छोटी झोपड़ियां बसा कर बेघर लोगों से अनुचित रूप से लाभ उठाया। इस संदर्भ में एक यह भी महत्वपूर्ण बात है कि देहातों से लोगों का शहरों में आना रोका जाय। इससे गन्दी बस्तियों की बहुत-सी समस्या हल होगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन बढ़ाये जाने चाहिए ताकि वहां से नगरों में आने वाले लोगों का तांता रुक जाये और नई गन्दी बस्तियां न बसें। इसके लिए यह जरूरी है कि उद्योगपतियों से आग्रह किया जाय कि वे अपने श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था करें इन शब्दों में मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : इस प्रकार के विधेयक की तुरन्त आवश्यकता थी और इसे प्रस्तुत करने के लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकवाद देता हूं। यह भी अच्छा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है। आशा करनी चाहिए कि इस के सभी उपबन्धों पर विचार करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि देश के सभी नागरिकों को मकान मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वे लोग सम्मानित मनुष्यों जैसा सभ्य जीवन व्यतीत कर सकें। संस्कृत में कहा है :—

रोगी चिर प्रवासी परान्नभोजी परावस भशायी,
यज्जीवतितन्मरणम् यन्मरणं सोस्य विश्रामः।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब इस कार्य को भारत सरकार कर रही है, और इसका प्रारम्भ दिल्ली से किया जायेगा। यह ठीक है कि आधुनिक औद्योगिक विकास ही गन्दी बस्तियों का जन्मदाता हैं। गन्दी बस्तियों में रहने वालों को अच्छे मकान दिये जाने चाहिए। मकान ऐसे होने चाहिए जिनमें पूरी आधुनिक सुविधायें भी हो। यदि ऐसा न किया गया तो वे स्थान पुनः गन्दी बस्तियों का रूप धारण कर लेंगे। इन बस्तियों में रहने वालों को स्वस्थ रहने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे बहुत अच्छे नागरिक बन सकें। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाय।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गन्दी बस्तियों पर भी सरकार की नज़र पड़ी है।

हमारे मित्र, श्री यशपाल सिंह, ने तो मिनिस्टर साहब की ऐसे तारीफ कर दी है, जैसे गन्दी बस्तियों की सफाई हो हीं गई हो। उन्होंने मिनिस्टर साहब को धन्यवाद भी दे दिया और न मालूम क्या क्या पदवियां भी उन को दे दीं। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विषय में कितनी कायट्टवाही की गई है। इस तरह के बिल आते रहते हैं। वे कागजों पर ही रहते हैं और उन पर अमल नहीं किया जाता है। मैं आप के जरिये से मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वह स्वयं जा कर देखें, तो उन-मालूम होगा कि गन्दी बस्ती वालोंकी क्या हालत है। वहां पर हमारा मजदूर वर्ग ऐसी जगहों पर रहता है, जहां रहना और निकलना दुश्वार है। उन के सामने ऐसी एसी नालियां हैं, जिन में हम समय मच्छरों की भिनभिनाहट रहती है—बिना सुर के सितार बजता है। अगर आप वहां पर जायें, तो एक मिनट भी वहां पर नहीं ठहर सकते हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, अन्य नगरों में ऐसो ऐसी गन्दी बस्तियां हैं, जहां मिनिस्टर साहब या कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकते हैं।

मैं तो उन गरीब लोगों की प्रशंसा करता हूं और उन को धन्यवाद देता हूं, जो ऐसी जगह पर रह कर अपना गुजर-बसर करते हैं। उन के बच्चे बीमार रहते हैं, लेकिन उन को दवा-दारू नहीं मिलता है। अगर उस गन्दी बस्ती की सफाई की जाती है या किसी और तरीके से उन को वहां से हटाया जाता है, तो उन लोगों को किसी दूसरी जगह ठीक प्रकार से बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। यहां पर अक्सर दस दस, पंद्रह पंद्रह हजार झौंपड़ियां गिराई गई, लेकिन उन में रहने वाले लोगों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। वे बेचारे कई दिन तक पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रदर्शन कर के वापस चले गए, लेकिन उन की कोई सुनवाई नहीं हुई।

जब से हम ने स्वतन्त्रता पाई है, तब से आज तक मिनिस्टर साहब गन्दी बस्तियों को हटाने और साफ़ करने के लिए कोई बीस, बाइस हज़ार ही क्वार्टर बना पाये हैं, जब कि यहां पर अस्सी हज़ार या एक लाख आदमी ऐसे रहते हैं, जिन के घरों में सफ़ाई नहीं है, पानी का इन्तज़ाम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

नहीं है, लाइट नहीं है, किसी तरह की नागरिक सुविधा नहीं है। हमारे मंत्री साहब हमेशा इसी तरह टाल-मटोल करते रहे। कभी उन्होंने दो लाख मंजूर कर दिया, कभी चार करोड़ मंजूर कर दिया, कभी कहा कि इस तरह से लोन दिया जायगा, कभी मास्टर प्लान की बात कही। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि गन्दी बस्तियों में रहने वालों को बसाया नहीं गया। हमेशा देखा जाता है कि साठ साठ लाख रुपये के होटल बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी से पूछे हुए, बना दिये जाते हैं, लेकिन कई समितियां बनाने और कई आश्वासन देने के बावजूद गन्दी बस्तियों में रहने वालों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आप के ज़रिये से मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन की तरफ़ ध्यान दिया गया होता, तो आज तक यह समस्या सुलझ गई होती। हम देखते यह हैं कि ज्यों ज्यों सरकार इस बारे में देर करती है, त्यों त्यों गन्दी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं।

अगर गन्दी बस्तियों को साफ़ कर के वहां के लोगों को बसाया जाता है, तो ऐसी जगह बसाया जाता है, जो कि शहर से आठ दस मील दूर हो, जहां से वे मेहनत-मज़दूरी करने के लिए शहर में नहीं आ सकते। इस प्रकार मजबूर हो कर उन को फिर शहर में कहीं झोंपड़ी बनानी पड़ जाती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन गन्दी बस्तियों में ऐसे आदमी भी रहते हैं, जिन की आमदनी दो तीन सौ रुपये होती है। चूंकि ज़मीन का अभाव है, इस लिए वे भी गन्दी बस्तियों में पहने वाले मजदूरों के साथ रहने लगते हैं।

जब कि एक मिनिस्टर की कोठी में बाग़ीचा लगाने के लिए पांच सात एकड़ ज़मीन घेर ली जाती है, उन मज़दूरों के लिए बीस फ़ीट ज़मीन भी नहीं दी जाती है। उन के लिए स्केल ही बनते रहते हैं कि चालीस बाई चालीस दी जाये, साठ बाई साठ दी जाये। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह स्केल इतना लम्बा-चौड़ा है कि वह तय नहीं हो पाता है।

इस बिल में काम्पीटेंट एथारिटी का ज़िक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि काम्पीटेंट एथारिटी ऐसा होना चाहिए, जो कि निष्पक्ष हो। ऐसा काम्पीटेंट एथारिटी नहीं होना चाहिए, जो हटा तो दे, लकिन बसाने के लिए उस के आफ़िस के चक्कर काटने पड़े और जब तक उस की मुट्ठी गरम न हो, लोगों को बाहर ही पड़ा रहना पड़े। ऐसे निष्पक्ष आफ़िसर होने चाहिए, जो जैसे हटायें, वैसे बसायें भी। लोगों को उजाड़ने से पहले उन को बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी उन की झोंपड़ियां तोड़ी जायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा आफ़िसर नियुक्त किया जाये, जो किसी के लालच में न आये, जो उन ग़रीबों की हालत देख कर उन को जल्द से जल्द बसाने की कोशिश करे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों की आमदनी की फिर से जांच की जाये और यह देखा जाये कि उन गन्दी बस्तियों में कितने आदमी ऐसे हैं, जो मज़दूर वर्ग के हैं, कितने ऐसे हैं, जो कार में बैठ कर चलते हैं, कितने ऐसे हैं, जो स्कूटर पर चलते हैं। ये सब बातें देख कर उन को वहां से हटाया जाये और जल्द से जल्द उन को किसी दूसरे स्थान पर बसाने की व्यवस्था की जाये।

जहां तक पार्क का सम्बन्ध है, हमने देखा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो क्वार्टर बना रखे हैं, उन के पार्कों में धल उड़ती है और बच्चों के लिए खेलने का कोई इन्तज़ाम नहीं है। उस तरफ़ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि केवल मिनिस्टरों की कोठियों पर ही ध्यान दिया जाये।

गन्दी बस्ती वालों को अगर बसाना है, तो उन को उजाड़ने से पहले उन को बसाने की व्यवस्था की जाये और फिर गन्दी बस्तियों को हटाया जाये।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफ़सोस है कि जब हम लोग बोलने लगते हैं, तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। इस विधेयक पर जो बहस हो रही है, उस में मिनिस्टरों की कोठियों का प्रश्न कैसे आ गया, यह समझ में नहीं आया।

श्री ओंकार लाल बेरवा : वहां पर सफ़ाई की व्यवस्था के लिए चार चार आदमी हैं, जिन का ख़र्चा सरकार भुगत रही है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कोई भी बात सामने हो, लेकिन मिनिस्टरों का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : एक मिनिस्टर की जगह में हज़ार आदमी रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपना भाषण पूरा नहीं किया है, जो वह उस को जारी रखे हुए हैं?

श्री द्वा० ना० तिवारी : ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोगों को मिनिस्टर-फ़ोबिया या गवर्नमेंट-फ़ोबिया हो गया है। इस तरह की अनर्गल बातें करने से क्या फायदा है?

मैं सर्व-प्रथम मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि स्लम क्लीयरेंस के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया है। मैं स्लम्ज़ के वासियों की दयनीय दशा का वर्णन कर के सदन का समय ज़ाया नहीं करना चाहता। वह सर्वविदित है। वहां क्या क्या होना चाहिए, यह मिनिस्टर साहब को भी मालूम है और लोग भी जानते हैं। मैं एक ही बात आप के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि उन लोगों के लिए जो मकान बनाये जायें, वे ऐसे न हों कि वे एक परिवार के रहने के लायक न हों। इस समय जो वन-रूम टेनेमेंट्स बनते हैं, प्रधान मंत्री जी ने भी उन की भर्त्सना की है कि वन-रूम टेनेमेंट्स नहीं बनने चाहिए, कम से कम दो रूम तो होने चाहिए। सलिए स्लम-क्लीयरेंस के नाम पर ऐसे क्वार्टर हम न बना दें, जो कि बाद में प्रयोग के लायक न रह जायें।

अभी मैं ने देखा कि शाहदरा के नज़दीक बहुत से मकानात बने हैं, लेकिन वे ऐसे मकान हैं, जहां कोई सभ्य आदमी रहने की लालसा नहीं रखेगा। सरकार उस ज़मीन का विकास कर के ऐसे मकान बनाये, जिन में वे लोग बाद में भी, जब उन की ग़रीबी दूर हो, रहना पसन्द कर सकें। साथ ही हमारे मित्र श्री सोनावने साहब ने कहा कि फिर से स्लम्ज़ न हो जायें इस की तरफ भी ध्यान आप का जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फाल्स इकोनोमी नहीं होनी चाहिये। अभी मंत्रालय से गत साल एक परिपत्र निकला था कि कोठियों की मरम्मत इस इमरजेंसी में बन्द की जाये। इस का नतीजा क्या हुआ है? जो पुरानी कोठियां हैं वे दिन-ब दिन खराब होती जा रही हैं और बाद में जब उन की मरम्मत की जायेगी तो उन पर अधिक पैसा लगेगा या उन को तोड़ना पड़ेगा। हम लोग भी जिस मकान में रहते हैं, वह चूता है और उस की एमरजेंसी के कारण मरम्मत नहीं हो रही है। आप सोये हुए हैं। बरसात में पानी चूता है।

श्री पू० शं० भास्कर : हाउस कमेटी का यह मामला है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पावर्ज़ का बटवारा आप कर लें ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने सिर्फ अपनी कोठी की शिकायत की । मैं आप से कहता हूं कि मेरी की भी कर दीजिये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं तो सब लोगों की करता हूं, सब लोगों के बिहाफ पर बोल रहा हूं । जब पसंद इन को होता है तो कभी कभी तो अच्छी कोठी में भी कुछ तोड़ कर उस की मरम्मत कर दी जाती है । बिडसर प्लेस के सामने एक दूसरी कोठी के सिलसिले में यह देखा गया है । उस को उजाड़ कर, प्लस्तर को तोड़ कर उस को नया बनाया गया है । हमारे यहां जो मकान चूता है, उसकी मुरम्मत तक नहीं हुई है । यह इस बिल के सम्बन्ध में कहने की बात नहीं थी, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं, उन की तरफ आप का ध्यान अवश्य जाना चाहिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो भी टेनेमेंट्स आप बनवायें, उन की मुरम्मत पर भी ध्यान दें । अगर ऐसा नहीं होता है तो वे जल्दी ही खराब हो जायेंगे । आज देखा गया है कि वे बनते तो हैं कुछ कच्चे पक्के लेकिन बनते ही खराब हो जाते हैं । आप फाल्स इकानोमी न करें, जब कभी मुरम्मत की जरूरत हो, मुरम्मत जरूर करवायें । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कुछ दिन के बाद वे फिर स्लम्ज़ में परिवर्तित हो जायेंगे ।

साथ ही साथ ऐसा प्रबन्ध भी होना चाहिये जिससे स्लम ड्वैलर्ज़ के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वे खेल कूद सकें । स्लम्ज़ को हटा कर इतने नज़दीक नज़दीक मकान नहीं बना दिये जाने चाहियें कि वहां के लोगों के घूमने फिरने लायक जगह भी न रहे । मकान अच्छे बनें और बनते ही लोगों को मिल जाय और जो सुविधायें हैं, वे उन को न मिलें तो उससे क्या फायदा हो सकता है ।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि बहुत दिनों से मकान खाली पड़े हुए हैं, उन में कोई जाता नहीं है, वहां लाइट नहीं है या दूसरी सुविधायें नहीं हैं । ठीक से प्लानिंग क्यों नहीं किया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है । मकान बनने पर भी और इतनी अधिक संख्या में बनने पर भी लोग वहां रहने की इच्छा क्यों नहीं रखते हैं . . .

श्री मेहरचन्द खन्ना : वे कारपोरेशन के मकान हैं, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आप हाउसिंग मिनिस्टर हैं, कारपोरेशन का ध्यान इस ओर आप दिला सकते हैं ।

मैं आगाह कर रहा था कि इन सब चीज़ों से आप बचें । जो स्लम ड्वैलर्ज़ हैं, जो वहां रहने वाले हैं, वे भी हमारे भाई बन्धु हैं । उन के दिलों में भी तमन्नायें हैं, वे भी चाहते हैं कि उन के लड़के दूसरों के लड़कों की तरह, उन के भी बच्चे दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें । यह सब प्रबन्ध होना चाहिये ।

यह बिल प्रवर समिति में जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि वहां पर इन सब बातों के ऊपर विचार होगा । मैं चाहता हूं कि जब यह बिल पास हो जाये, उस के बाद आप का डिपार्टमेंट इस काम को ठीक से करे, नहीं तो जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है और उसकी जो शोहरत है, जो उसका नाम है, वही चरितार्थ होगा । मैं चाहता हूं कि ज़रा ठीक से काम हो ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह जो विधेयक पेश हुआ है, इस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन-का मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसको पहले ही लाया जाना चाहिये था । अशोक सेन साहब की रिपोर्ट काफी दिन पहले सदन में आई थी और मेरा ख्याल है उस पर बहस भी हुई थी । उस

में कुछ सुझावों दिये गये थे। दो किस्म के सुझाव उसमें थे। कुछ तो लांग टर्म सुझाव थे और कुछ शार्ट-टर्म। जिन छः शहरों का जिक्र उस में किया गया था मैं उन में से एक का रहने वाला हूं। वह कानपुर है। उसके स्लम्ज, उसकी झुग्गी झोंपड़ियां या गन्दी बस्तियां हिन्दुस्तान में काफी मशहूर हैं। जब प्रधान मंत्री जी वहां राज्य बीमा योजना का उद्घाटन करने गए थे तब उनके पास लोग गये थे और उन से प्रार्थना की थी कि वह खुद जा कर गन्दी बस्तियों को देखें और देखें कि हालत क्या है। मेरा ख्याल है कि यह १९५६ की बात है। उस वक्त उन्होने खुद कहा था कि गन्दी बस्तियों के लोग इन स्लम्ज को जला क्यों नहीं देते। जलाने की तो हिम्मत लोगों में नहीं हुई क्योंकि ताजीराते हिन्द उनके सामने था लेकिन उसके बाद से कोशिश की गई जनता का हित करने की। उसका नतीजा इतना जरूर हुआ कि आज कानपुर शहर में कम से कम तीस हजार क्वार्टर बन चुके हैं और शायद हिन्दुस्तान में सब से अधिक वहीं बने हैं। ये वन रूम टेनेमेंट्स और टू रूम टेनेमेंट्स हैं। लेकिन जिन के लिये वे मकान बने, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वे बेचारे वहां सुख से रह न सके। उसका एक कारण है कि किराया इतना अधिक है दस रुपये वन रूम टेनेमेंट का कि वे बेचारे दे नहीं सकते थे। हमारे हिन्दुस्तान में कोई फैमिली की परिभाषा तो हुई नहीं है जैसे दूसरे देशों में हुई है कि वाइफ और लैजीटिमेट चिल्डरन। हमारे यहां तो बूढ़ी मां भी रहती है, बेवा बहन भी रहती है, भाई भी रहता है और एक आम परिवार जो है वह सब मिलकर रहता है। एक कमरे में कम अज कम पांच या सात आदमी तो रहते ही हैं। अकसर खा गया है कि बहुत से लोग बाहर सोते हैं और बरसात में उनके लिये एक मसला सा यह बन कर खड़ा हो जाता है। आजकल तो किराया दस से भी बढ़ा दिया गया है कुछ जगहों पर इस वजह से कि जमीन के दाम बढ़ ज गये हैं या मैटीरियल के दाम बढ़ गये हैं। इस आधार पर उनका किराया उन्नीस रुपये कर दिया गया है। मैंने पिछली बार कहा था कि जहां तक वन रूप टेनेमेंट्स का सवाल है उनका दस रुपये किराया जो रखा गया है वह तो गनीमत है हालांकि वह भी कम होना चाहिये, लेकिन वह इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये। पांच रुपये या सात रुपये कर दिया जाना चाहिये। ऐसा कुछ एरियाज में है। सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं और जिन को किराये मिलता है दस रुपये या पन्द्रह रुपये वे तो दस रुपये दे सकते हैं लेकिन जिसे एक पैसा भी मकान के किराये के तौर पर नहीं मिलता है और जिस की तनख्वाह भी कम है, और जिस के लिये गन्दी बस्तियों को उजाड़ कर हवादार मकान बनाये जा रहे हैं मेरा निवेदन है कि उन से तो किराया कम से कम लिया जाये और उस में तो सरकार को, चाहे राज्य सरकार को या केन्द्रीय सरकार को या कारपोरेशन को मुनाफा नहीं करना चाहिये।

मैं जानता हूं मंत्री महोदय यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो तीस हजार क्वार्टर बने हैं और जिस के लिये मैंने उनको बधाई दी थी और राज्य सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, काफी रुपया चन्द करोड़ रुपया राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक केन्द्र का नहीं दिया है। यह बिल्कुल सही है कि उसने अदा नहीं किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस वजह से किराया बढ़ा दिया जाये, दस से पन्द्रह या सत्तरह कर दिया जाये, यह तो उचित नहीं है। इस तरह के कदम का नतीजा तो यही हो सकता है कि जिस के लिये मकान बने हैं वे तो नहीं रह सकेंगे उनके नाम से हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति रहें।

इस लिये मैं कहना हूं कि दो चीजों की तरफ आप का ध्यान खास तौर पर जाये। चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, अहमदाबाद हो, मद्रास हो, बम्बई हो या कलकत्ता हो या इन शहरों के अलावा कोई दूसरा शहर हो जहां पर गन्दी बस्तियां बन गई हों, आपको ध्यान देना चाहिये कि गन्दी बस्तियां आखिर बनती क्यों हैं। कुछ लोग तो अपने आप रहने लग जाते हैं। दिल्ली शहर आपको मालूम ही है कि साठ हजार या सत्तर हजार या एक लाख श्रमजीवी जो लोग हैं वे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। उनको आप स्लम्ज कहें या कुछ भी कहें, वे वहां रहते हैं। झंडेवाला की तरफ अगर हम जायें तो क्या

[श्री स० मो० बनर्जी]

देखते हैं ? आज भी वहां वही नजारा है जो १९४८ या १९४९ में था । अभी तक भी उनको बसाने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं हुआ है । मैं नहीं कहता हूं कि बसाने का कोई प्रबन्ध हुआ ही नहीं । लोग आज बेघर हैं, बेवस हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता । लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जिस तरीके से प्रबन्ध होना चाहिये था, एक सही तरीके से जिससे लोग बस जायें, वह अभी नहीं हुआ है । दो चीजें हमारे सामने हैं । एक तो गन्दी बस्तियों को जब तोड़ा जाए, चाहे सरकार अपने हाथ में लैंड को एक्वायर करके रख ले और खुद वन रूम टेनेमेंट्स या टू रूम्स बनाने की कोशिश करे या सरमायेदार या कालोनाइजर जो हैं, या एम्प्लायर जो हैं, वे सरकार से लेकर बनाना चाहें .....

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : उनको यह रुपया कर्ज के रूप में दिया जाये, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : इसको मैं कंसिडर करूंगा ।

कालोनाइजर की शक्ल में हो और कालोनाइजर अपनी कालोनी बनाना चाहता हो और अगर उसे भी दिया जाये तो यह सोचा जाये कि अगर आज से तीस महीने पहले किसी मामूली मजदूर ने या गरीब आदमी ने किसी हालत से आठ आने गज ऐसी जमीन खरीदी या सौ रुपये में एक अच्छा खासा प्लाट बीस या तीस गज का उसने खरीद लिया था तो आज उसकी कीमत जो है, वह उसको किसी हालत में भी मिल नहीं सकती है । उस के घर को ले लिया जाय, जमीन को ले लिया जाय, और मुआवजा बहुत कम दिया जाय तो उस के लिये नामुमकिन हो जायेगा कि वह आज छोटी सी झोंपड़ी में रह सके । इस लिये स्लमक्लिअरेंस स्कीम में जब स्लम्स को क्लिअर किया जाय तो हमें लोगों को दो विश्वास देने पड़ेंगे, स्लमड्वेलर से, चाहे छोटा मकान हो चाहे झोंपड़ी हो, चाहे खुद ही मालिक हो मकान का, उस से कहना पड़ेगा कि मकान हम तुम्हारा ले रहे हैं ताकि साफ सुथरी जगहों में तुम रह सको, हवादार मकान तुम को मिल सके । तुम्हारी जमीन अगर ली जाती है तो इस लिये कि जो कमरा बनेगा वह तुम्हारा होगा, वह तुमको मिलेगा और दाम उस के ऐसे रक्खे जायेंगे कि तुम उसे खरीद सको । दूसरी चीज यह कि जो मालिक मकान नहीं है, किराये दार है, उस से कहा जाय कि इस किराये पर अगर उस इलाके में मकान उठाये जायेंगे तो वह तुम को ही मिलेंगे ।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कानपुर कारपोरेशन ने, जिसे सेंटर ने काफी मदद की है, स्लम क्लिअरेंस के आधार पर उसे २१ लाख या ३७ लाख रुपया दिया गया है, जब उस ने गन्दी बस्तियों को उजाड़ा तो लोगों से यह कह कर उजाड़ा कि तुम गन्दी बस्तियों में नहीं रह सकते हो, स्वास्थ्य का सवाल है, लेकिन जब बसाने का सवाल आया तो बदकिस्मती की बात यह है कि उन को सही तरीके से बसाया नहीं गया हुआ क्या । लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर अगर सारे कुनबे का सर्वनाश हो जाय तो ऐसा विकास हम नहीं चाहते हैं । यह सही बात मैं कह रहा हूं, जिस की वजह से लोग स्लम क्लिअरेंस स्कीम के खिलाफ हैं, वर्ना कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अलाहदा कमरे में रहें, रोशनी में रहें, उन को साफ हवा मिल सके, उन को तालीम अच्छी मिले, उन के जहनों को हम अच्छी तरह से साफ रह सकें । मैं समझता हूं कि खुशगवार जगह वह सभी रहना चाहेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जो भी मकान बनायें, टेनेमेंट बनायें, वे टू रूम्ड टेनेमेंट्स होने चाहिये । मुझे खुशी है कि पंडित जी ने कहा कि दो कमरों से कम नहीं होने चाहिये । एक अजीब चीज इस देश में है । मान लीजिये कि मैं शादी शुदा हूं तो एक रूम के टेनेमेंट्स में जिस को कंजुगल लाइफ कहते हैं वह मैं व्यतीत नहीं कर सकता अगर बूढ़ी मां मेरे साथ हैं, या बूढा बाप मेरे साथ रहता है । अगर आज हमारी जहनियत गिरती जा रही है, हमारा चरित्र गिरता जा रहा है तो वह सिर्फ एक वजह से

कि हम अपने परिवार को ले कर एक घर में नहीं रह सकते। यह हालत होती जा रही है। इंडस्ट्रियल सिटीज में आजकल जिस तरह से डिजीज होती जा रही हैं वह इसी लिये होती हैं कि वहां के रहने की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि स्लम एरियाज से जो उतार कर लाये गये हैं उन को एक कमरे में रहने से मालूम होता है कि वे फैमिली बैसिस पर रह हीं नहीं सकते हैं।

इस लिये मेरे तीन सुझाव हैं। जिन लोगों को उजाड़ा जाय, जिन बस्तियों को गिराया जाय, उन को सस्ते दामों पर प्लाट दिया जाय और उन्हीं प्लाटों में उन्हें बसाया जाय। अगर सरकार किसी आदमी को उजाड़ती है तो इस लिये कि उसे बसाया जाय। अगर आदमी के अन्दर यह विश्वास रहे कि उजड़ने के बाद वह फिर बसाया जायेगा, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई विरोध इस का हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन के अन्दर यह विचार आ गया कि हमें उजाड़ा जा रहा है और हम सारे देश में खानाबदोश की तरह घूमते रहेंगे या शहर में घूमते रहेंगे और सर पर हमारे माकान नहीं होगा।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह किराये के बारे में हैं। किराया कम से कम होना चाहिये। मैं मंत्री मन्त्रोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कानपुर गये हैं, उहोंने रिफ्यूजियों के लिये बहुत से मकान बनाये हैं, बाजार बनवाये हैं, क्वार्टर्स भी बनवाये हैं। वहां पर ३०,००० क्वार्टर बने, लेकिन उन का किराया इतना ज्यादा है कि जिस से लोगों को परेशानी होती है। मैं आशा करता हूं कि इन तमाम सुझावों पर संयुक्त समिति विचार करेगी, और पांच छः शहरों को छोड़ कर भी, कलकत्ते में और दूसरी जगहों में जहां नये तरीके से लोग बरबाद होते जा रहे हैं, उन को बरबादी से बचा कर फिर से बसाने की कोशिश करेंगे।

पंडित जी कहते हैं कि गन्दी बस्तियों को जला दिया जाय। कानपुर में लोगों ने उन से पूछा कि अगर उन को जला दिया जाय तो हम रहेंगे कहां? क्या मैदान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैदान अच्छा है, कम से कम हवा तो मिलेगी। यह देश ऐसा नहीं है कि आदमी मैदान में रह सकें। यहां बरसात भी है, ठंड भी है। अगर ऐसे बलवान होते तो बीमार न होते। इस लिये यह चीज ठीक नहीं है हम को रिऐलिटी की तरफ आना चाहिये। कम से कम टू रूम्ड टेनेमेन्टस होने चाहिये और उजड़े हुए लोगों को फौरन बसाया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री रामेश्वरानन्द: ओं नतं विदाथ या इमा जजान
अन्यद् युष्माकमन्तरं बभूव ॥

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास बहुत से काम हैं, देश की सुरक्षा आदि का बहुत भार है, अन्दर और बाहर। सरकारों को इन कामों से कोई अवकाश नहीं होता और हमारी सरकार इस प्रकार के मकानों को बनाने के चक्कर में लगी हुई है। यदि उन के सामने इस के लिये अनुकूल स्थितियां हों, कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाय, तब सरकारों को ऐसे काम करने चाहियें। आज तो हम बड़ी भयंकर स्थति में से निकल रहे हैं। और हमारी सरकार इस तरह के सिरदर्द ले रही है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार वस्तुतः गन्दी बस्तियों को हटाना चाहती है तो जितना व्यय वह इस पर करती है वह स्वयम् न कर के वहां रहने वालों को नक्शे दे दे कि तुम्हारे मकानों का ऐसा नक्शा हम चाहते हैं, जो व्यक्ति वहां रहें उन्हें सहयोग के रूप में हम सहायता दें तो अच्छा है। यदि इस तरह से नहीं दे सकते तो आप अल्प ब्याज पर उन को ऋण के रूप में धन दें, जिस से थोड़ा थोड़ा कर के वह धन उन से निकलता रहे। अगर आप इस तरह से करें तो मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माकन की जितनी लागत आप द्वारा लगेगी उस से आधी कीमत में मकान बन जायेंगे और

[श्री स० मो० बनर्जी]

बहुत जल्दी बन जायेंगे, साथ ही आप के नक्शे के बन जायेंगे और आप का सिरदर्द हल्का हो जायेगा। लेकिन इधर उधर ध्यान नहीं दिया जाता। इस में एक मनोवैज्ञानिक वस्तु है। आप जिस को लेंगे, उस को आप किसी को ठेके पर देंगे, ठेकेदार आप से पर्याप्त पैसा लेगा, वह दूसरे को देगा और दूसरा तीसरे को देगा। इस तरह से जो मकान आधे पैसे में बन सकता है वह दूने पैसे में बनायेंगे। मैं तो सुझाव देना चाहता हूं कि आप को यह सिरदर्द अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। मैं पूछना हूं कि वह लोग शीतकाल में कहां जायेंगे, वर्षा में कहां जायेंगे। अगर उन के पास रहने के लिये मकान होता तो वे गन्दी बस्तियों में रहने के लिये क्यों आते। वे रहते इसी लिये हैं कि वे असमर्थ हैं। अगर अभी आप उन से ज़मीन छीन लेंगे तो आप के पास इतने मकान नहीं हैं कि आप जिन में उन को रख दें। आप अपनी पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा, बलप्रयोग कर के उन को निकाल देंगे तो मारे मारे फिरेंगे और अनायास इस सरकार को कोसते रहेंगे और नेहरू जी को रोज गालियां मिलेंगी कि ऐसी सरकार आई। इस लिये सरकार को इस तरह के काम नहीं करने चाहियें जिस में कि सरकार व्यर्थ में बदनाम हो। मगर करे क्यों नहीं सरकार। इस में बड़ी आमदनी होती है, रिश्वेदारों को, मित्रों को, यार दोस्तों को ठेके दिये जायेंगे। कितने की चीज कितने में बिकती है इस लिये वह आमदनी के लिये सौदा करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि मेरा नाम न रहते हुए भी समय दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह व्यापार का बाजार नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: श्री ज्योतिषी। ..... नहीं हैं। आनरेबल मिनिस्टर।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): अध्यक्ष महोदय, इस तरमीमी बिल के मुताल्लिक जो बहस हुई, मुझे खुशी होती है और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। तमाम मेम्बर साहबान का, चाहे उन का किसी भी पार्टी से ताल्लुक रहा हो, क्योंकि उन्होंने बिल का समर्थन किया है। किसी ने इस बिल के बखिलाफ आवाज नहीं उठाई। हां, यह बात है कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये। सुझावों की तफसीलों में तो मैं जाना नहीं चाता, क्योंकि मेरे सामने एक सुझाव आया है, दिल्ली के मेम्बर, श्री नवल प्रभाकर की तरफ से, कि इस बिल को ज्वायेंट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं उस सुझाव को मंजूर करता हूं। इस लिये मैं उस को मंजूर करता हूं कि जो नेक काम है, जो अच्छा काम है, हो सकता है कि उस में गल्तियां रह गई हों, कुछ त्रुटियां रह गई हों। हम सब लोगों का मुद्दआ एक है, हम सब यह चाहते हैं कि जो गन्दगी बस्तियों में लोग रहते हैं वे बहुत जल्दी आबादी हों, उन की तकलीफ कम हों, उन का किराया कम हो। तो इसलिए मैं ने वह मंजूर किया ताकि अगर कोई कमजोरियां रह गयी हैं तो वह दूर हो जाएं। ख्वाहिश तो मेरी यह है कि यह कानून इसी सेशन में पास हो जाए। मुझे कुछ जल्दी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्वाइंट कमेटी का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हम इस बिल को इस सेशन में ही पास कर सकेंगे, और मैं इसे दूसरे हाउस में भी ले जा सकूंगा।

अभी कुछ मेम्बरों ने कहा, और दुरुस्त ही कहा, कि स्लम पैदा क्यों होते हैं। मुझे उसकी दो वजूहात नजर आती हैं। एक तो यह है कि हम जो मकान बनाते हैं या जो हमारे मकान पुराने हो जाते हैं उनकी जो मरम्मत करनी चाहिए वह नहीं हो रही है। मैं बतौर मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग के यह कहना चाहता हूं कि जितने रुपए की हमें जरूरत है उतना रुपया हमें नहीं मिला या हमारे पास नहीं है। पहले प्लान में जो रुपया दिया गया मकानों के लिए वह उस प्लान का १६ परसेंट था। दूसरे प्लान में ८ परसेंट हो गया और तीसरे प्लान में वह ७ परसेंट ही रह गया। और आबादी बढ़ती गयी और बड़े जोर से बढ़ती गयी।

मेरे ख्याल में सब मानेंगे कि जब देश का बटवारा हुआ उस वक्त बटवारे से पहले के हिन्दुस्तान की आबादी ४० करोड़ थी । तकरीबन ९ करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए और यहां की आबादी ३१ करोड़ रह गयी, आज वह ४४ करोड़ है । तो एक तरफ तो आबादी बढ़ी और दूसरी तरफ मकानों के लिए जो रुपया मिलना चाहिए था वह कम होता गया ।

एक बात और हुई, जो कि आप जानते हैं, और उसका बाज मैम्बर साहिबान ने जिक्र भी किया है, कि देहातों की तरफ से शहरों की तरफ आबादी का बड़ा जबरदस्त रुख है । बहुत लोग काम के लिए आते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि रुपया कम मिला और आबादी बढ़ी, लोग देहातों से शहर की तरफ आए । और जब जनता होती है तो कहीं तो उसे सिर छिपाना होता है और उस सिर छिपाने के लिए, जैसा कि अभी बनर्जी साहब ने कहा, और भाइयों ने भी कहा, बाज बहिनों और भाइयों को बहुत बुरे हालात में रहना पड़ता है । एक भाई ने तो यहां तक भी कह दिया कि जहां शहरों में इन्सान इन्सान के साथ रहते हैं, वहां देहातों में हैवान और इनसान साथ साथ रहते हैं । तो यह स्थिति पैदा हुई ।

अब अगर उसके लिए मैं यह कह दूं कि साहब बहुत जल्द ये तमाम चीजें साफ हो जायेंगी तो मुश्किल है, क्योंकि सवाल है रुपए का । चाहे आप किराया कम करें तब भी रुपए की जरूरत होगी, चाहे आप सबसिडी दें तब भी रुपए की जरूरत होगी, और चाहे आप लोन दें तब भी रुपए की जरूरत होगी । उसके लिए हमें रुपए की जरूरत है और काफी जरूरत है ।

अब अगर यह कहा जाये कि कुछ भी काम नहीं हुआ, तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं । जहां तक मेरी इत्तला है, मैं ग़लती कर सकता हूं, कि जब से हम ने यह स्लम क्लियरेंस का कानून लागू किया है तब से हम ने २५ करोड़ रुपये की स्कीमें सैंक्शन की हैं तमाम देश में । यह कुछ ज्यादा नहीं है । हमारी जरूरियात के लिए यह बहुत कम है । लेकिन फिर भी २५ करोड़ की स्कीमें सेंक्शन हुई हैं और एक लाख मकान बनाने की स्कीमें सेंक्शन हुई हैं । जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, हमने ६ करोड़ रुपये कीस्कीमें सेंक्शन की हैं और दिल्ली में जो मकानात सेंक्शन हुए हैं वे २७ हजार के करीब हैं, जिन में से १८ हजार जितने मकान बन चुके हैं । इस के अलावा जो पुराने कटरे हैं शहरों में उन को भी काफी इम्प्रूव किया गया है जो कि बुरी हालत में थे । भारत सेवक समाज ने इस में काम किया है और उन में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है । लेकिन मैं खुद मानने के लिए तैयार हूं कि यह नाकाफी है । अगर हमने असली मानों में इस प्राबलम को टैकिल करना है और हमारी यह ख्वाहिश है कि हमारे गरीब भाई जो कि अच्छी जिन्दगी बसर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुरी जिन्दगी बसर कर रहे हैं, तो हम को बहुत कुछ करना होगा, और अगर कोई भाई यह कहे कि उनके लिए काफी नहीं किया गया है तो मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं । कोई सरकार यह नहीं मान सकती कि उस के जो आदमी हैं, उस के जो कर्मचारी हैं या उस के जो नागरिक हैं, इन हालात में गन्दी बस्तियों में रहें, चांदनी चौक में पड़े रहें या झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े रहें । मैं खुद इस चीज को तसलीम करता हूं कि यह ठीक नहीं है ।

तो दो तीन चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं करूं । पहली बात तो मैं यह करना चाहता हूं कि अगर कोई कानूनी रुकावटें हमारे रास्ते में हैं, तो उन को दूर किया जाये, और उस के लिए हम यह बिल ले कर आये हैं । इस बिल में हमने यह भी रखा है कि अगर एक मालिक इम्प्रूवमेंट नहीं करता या इम्प्रूवमेंट में देरी करता है तो हमने ये अख्तियार ले लिये हैं कि वह काम्पीटेंट आथारिटी इस चीज़ को कर सकता है । इस में हमने मालिक को किराये के मामले में, इंसेंटिव देने के खयाल से, थोड़ी छूट भी दी है । अगर कोई मालिक गरीब आदमी का हाथ पकड़ता है और उन की मदद करता है, तो हमने इस में यह रखा है कि वह दूसरे से ज्यादा भी

[मेहर चन्द खन्ना]

वसूल कर सकता है । जहां तक गरीब किरायेदार का ताल्लुक है उस के लिए पुरानी जगह रहेगी और उस को वहां लाया जायेगा अगर वह आना चाहे । उस के लिए हमने किराये का फारमूला इस में दे दिया है । लेकिन जहां तक दूसरे आदमियों का सवाल है उन के लिए हमने कहा है कि जहां गरीब के लिए उसे लेना पड़ेगा एक्वीजीशन कास्ट, वहां दूसरे आदमियों के लिए वह मारकेट वैल्यू भी ले सकता है ताकि उस को कुछ इंसेंटिव हो । यह चीज़ हमारे सामने दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने, जो कि अब हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गये हैं, अपने तजरबे से रखी थी । हमने इसे स्वीकार भी कर लिया है । हमने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मालिक नीचे के हिस्से में दुकानें बना सकता है या दफ्तर बना सकता है लेकिन ऊपर के हिस्से में वह स्लम के भाइयों के रहने के लिए जगह बना दे । और इन दोनों का किराया मुख्तलिफ होगा । तो कोशिश यह की गयी है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आये कि जो स्लम में रहने वाले हैं उन की तकलीफ जितनी कम हो सकती है हो और मकान मालिक के लिए भी जायज फायदा उठाने का रास्ता निकल आये । तो जब यह कानून बन जायेगा और सिलेक्ट कमेटी भी तरमीमात कर चुकेगी तो हमें उम्मीद है और हाउस को भी यह उम्मीद है कि हम अपने गरीब भाइयों की मदद कर सकेंगे ।

अभी एक भाई ने जिक्र किया—वह अभी हाउस से उठ कर चले गये हैं—कि आप का चेहरा तो बहुत सुन्दर है लेकिन तुम्हारे अन्दर की आत्मा मैं नहीं जानता कि अच्छी है या नहीं । तो अभी झुग्गी झोंपड़ियों में जो भाई रह रहे हैं उन की तादाद साठ हज़ार है । हमारे भाई बनर्जी ने उस तादाद को एक लाख तक पहुंचा दिया । परमात्मा करे कि वे गलत हों वरना इन ६० हज़ार का भी कोई बन्दोबस्त न हो सकेगा । आखिर दिल्ली ज्याग्राफीकली महदूद है, एक तरफ जमुना है, दिल्ली फैल नहीं सकती और लोगों की तादाद बढ़ रही है । तो मैं चाहता हूं कि इस प्राबलम को एक हद में महदूद करके उसे हल किया जाये । उस के लिए मैंने स्कीम निकाली है । यह सही है कि जब भी किसी को हटाया जाता है तो वह अच्छा नहीं मानता । अभी मेरे एक दोस्त ने जो रुड़की से आते हैं मेरी सराहना की कि किस तरह से मैं ने शरणार्थियों को बसाया । तो हम ने जो शरणार्थियों के लिए काम किया तो बतौर सरजन के किया, बतौर फिजीशियन के नहीं किया । जिस तरह से सरजन को बीमार आदमी का आपरेशन करना पड़ता है, वही हम ने किया । हर जगह शरणार्थी बसाये गये हैं, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में और दूसरी जगहों में जैसे बिहार में, बंगाल में । तो हम ने इस में मुस्तैदी से काम किया । हमने जमीनें लीं, प्लान बनाये, और बस्तियां बना कर लोगों को ले जाकर उन में बसाया । इसी तरह से हम यहां भी काम करना चाहते हैं । हो सकता है कि कुछ लोग हम को बुरा कहें, लेकिन जो आदमी काम करता है उस को इस का खयाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बरा कहते ही हैं । अगर वह समझता है कि वह दयानतदारी से काम कर रहा है तो उसे वह काम करते रहना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने एक सुझाव आप को दिया है कि आप उस से बुरे भी नहीं बनेंगे और काम भी बहुत अच्छे तरीक़े से हो जायगा और वह यह है कि जो लोग जहां बसे हुए हैं उन को आप अपना नक़शा दे दें और नक्शे के साथ साथ जो कुछ भी देना चाहते हैं, दान के रूप में दें, ऐसा संभव न हो तो उन को बिना ब्याज के ऋण दें या बहुत थोड़े ब्याज पर दें । साथ में मकान का नक़शा भी बना दें । इस से दोनों चीजें हो जायेंगी । आप की बदनामी भी नहीं होगी और मकान भी जल्दी बन जायेंगे ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं आप के सुझाव की क़द्र करता हूं, मैं आप की इस राय की बहुत क़द्र करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी आप के इस सुझाव पर अवश्य गौर करेगी। वहां पर इन सब चीज़ों पर डिटेल में गौर कर लिया जायेगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ जनरल बातों की तरफ़ जा रहा था और यह अर्ज कर रहा था कि हम इस प्राबलम को हल करना चाहते हैं।

अभी एक, आध भाई ने जिक्र किया। पटेल साहब मौजूद हैं। ठीक है याद आ गया उन्होंने कहा कि भाई यह जो बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, बड़े बड़े कम्पाउंड्स हैं और जो कि फालतू से पड़े हुए हैं उन का जायज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मैं उन की इस बात को मानता हूं और तसलीम करता हूं कि उस में वजन है। जब से मैं ने यह विभाग लिया है मेरा यह विश्वास है और मैं समझता हूं कि मुझे सब सारे हाउस की सहायता होगी, साथ होगा और बाहर की भी मुझे इस में सहायता होगी और वह यह है कि हम ने कोशिश यह करनी है कि जो गरीब आदमी हैं और झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, अगर असल मायने में सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी क़ायम करना चाहते हैं तो इस भारी फर्क को जोकि आज मौजूद है उस को किसी हद तक कम करना होगा। अब सोशलिस्टिक सोसाइटी में यह तो नहीं होगा कि अमीर तो सैंट्रल ऐरियाज़ में आलीशान बंगलों में बने रहें, जैसा कि वज़ीरों को इस के लिए ताना दिया भी जाता है, और गरीब लोग सेंट्रल ऐरियाज़ से बहुत दूर हो जांय।

मैं हाउस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो बड़े बड़े कम्पांउड्स पड़े हैं उन की मुझे सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानात बनाने की ज़रूरत है। मेरे पास दिल्ली में करीब ५०,००० कर्मचारी हैं जिनके कि लिए आज मकान नहीं हैं। ३५,००० के पास तो हैं लेकिन ५०,००० के पास नहीं हैं। अब आप खुद जानते होंगे कि उन बेचारों का क्या हाल हीता होगा? आज के ज़माने में १००, १५० या २०० रुपये माहवार कोई तनख्वाह पाता हो, बाल बच्चे हों, आप हो, दफ्तर में तमाम दिन काम करता हो और मकान के लिए उस को १००–१५० रुपया माहवार किराया इस दिल्ली में देना पड़े, जोकि आम बात है, तो उस बेचारे का क्या हाल होता होगा? इसलिए बतौर हाउसिंग मिनिस्टर के जहां मुझे इस झुग्गी झोंपड़ी वालों को बस ना है, स्लम्स को साफ़ करना है वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं, खास कर निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारी, मैं ऊपर की तरफ़ नहीं जा रहा, मैं निचले दर्जे की तरफ़ जा रहा हूं, उन छोटे सरकारी कर्मचारियों के लिए मुझे मकानों का बंदोबस्त करना है। मेरा इरादा यह है कि सैंट्रल एरियाज़ में जहां छोटे छोटे मकानात बने हुए हैं उन की जगह हम मल्टीस्टोरीड कंस्ट्रक्शन कर दें। यह मल्टीस्टोरिड कंस्ट्रक्शन का काम हम ने पंचकुई रोड में शुरू कर दिया है और मिंटो रोड पर भी यह काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप यह कहें कि तमाम बड़े बड़े कम्पाउंड्स ख़त्म हो जायं तो वह हो नहीं सकता क्योंकि मास्टर प्लान के नीचे हर एक एरिया का ले आउट प्लान वगैरह मुकर्रर है। गर मैं आठ मंजिली इमारत ले जाऊंगा तो ज़रूरी बात है कि यह देखना होगा कि ऐसा उसका ले आउट न हो जिस से बाद में स्लम्स पैदा हो जांय। दस वर्ष के बाद यह न कहा जाय कि मैं यह नये स्लम्स बना गया हूं। आगे स्लम्स न बनने पायें, इस की हमें खास होशयारी रखनी पड़ेगी। हम दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक़ इस चीज़ को कर रहे है। वह जो ज़माना था, वह जो दिल्ली आपने कही, अंग्रेज़ों के वक्त की दिल्ली में वह ठीक थी, लेकिन आज जो हमारी दिल्ली है वह आज़ाद हिन्दुस्तान की राजधानी है और मैं चाहता हूं कि इस देश की राजधानी की इमेज ख़राब न हो लेकिन यह ज़रूर करना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े कम्पाउंड्स बेकार पड़े हुए हैं उन को हमें जायज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन जगहों पर हमें मल्टीस्टोरीड कंसट्रक्शन करना पड़ेगा।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

मैं ने अभी जिक्र किया था कि रुपये की कमी है। मैं आज हाउस के सामने एक चीज रखना चाहता हूं। मालूम नहीं कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि उसको मैं कह ही डालूं। अभी श्री कृष्णमाचारी जब मंत्रिमंडल में आये है तो उन का फाइनैंस से उस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं था' उन्होंने उन दिनों में भी कहा था कि तुम ऐसा करो कि जो सैंट्रल ऐरियाज़ हैं उनको गिरा दो और गिराने के बाद वहां मल्टीस्टोरीड कंस्ट्रक्शंस कर दो। अभी जब वह पांच मिनट पहले यहां पर आये थे तो मैं ने उनसे कहा था कि जो चीज़ आपने उस वक्त मुझे करने के लिए कही थी, उसे मैं आज करने चला हूं और क्या मैं आज हाउस में यह कह दूं कि जहां तक ग़रीबों का ताल्लुक है, झुग्गी झोंपड़ी वालों का ताल्लुक़ है, स्लम्सडुएलर्स का ताल्लुक है, लोइनकमग्रुप का ताल्लुक़ है, और जहां तक छोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक़ है, उनके लिए मकान बनाने के वास्ते अगर मैं आपके पास रुपये के लिए आऊंगा तो आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो नहीं तो उन्होंने मुझे कह दिया कि हाउस में तुम इसको कह दो कि इन छोटी चीजों के लिए जिने रुपये की भी मेरे मंत्रालय को जरूरत होगी, वह उसे मुझे दे देंगे। मैं इसलिए उनका निहायत मशकूर हूं क्योंकि प्लान में इसके लिए जो रुपया रक्खा था वह २५ का ३५ करोड़ हो गया लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। प्लान के पहले वर्ष में २५ करोड़ था और प्लान के मिडटर्म में उसको बढ़ा कर २५ या ३५ करोड़ कर दिया गया और जितना बढ़ सकता था वह बढ़ा दिया गया और उधर सीलिंग भी ख़त्म हो गयी। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय का इसके लिए शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने मुझे इस काम को पूरा करने के लिए मजीद रुपये की मदद का वचन दिया है।

मैं समझता हूं कि यह बिल सैलेक्ट कमेटी से जब बाहर आयेगा तो जो भी आपके सुझाव हैं उन पर अच्छी तौर से और जो मंजूर किये जाने चाहिएं, उनको मंजूर करके एक माकूल शक्ल में यह बिल इस हाउस में आयेगा। गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि जो भी सुझाव आप देंगे उन पर पूरा गौर करेगी और उनको अगर वे मुनासिब मालूम हुए तो मंजूर करेगी। मैं समझता हूं कि अगर आपका मेरे साथ कोआपरेशन हो जैसा कि आपने इस बिल के ऊपर दिखाया है और रुपया मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिल जाय तो जिस तरह से आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने शरणार्थियों को बसा दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं स्लम क्लियरेंस स्कीम और इस हाउसिंग के काम को मुस्तैदी से कर सकूंगा और कोशिश यह करूंगा कि इन ग़रीब लोगों का भी कुछ सहारा बन जाय और उनका इंतजाम हो जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : अभी किराये जो ज्यादा लिये जाते हैं उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

श्री मेहरचन्द खन्ना : सेलेक्ट कमेटी को यह बिल जा रहा है वहां इस पर और दूसरी सब बातों पर डिटेल में विचार किया जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफ़ाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के २४ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के १६ सदस्य अर्थात् :—

श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री ब्रह्म प्रकाश, श्री युद्धबीर सिंह, श्री गणपतिराम, श्रीमती गायत्री देवी, श्री शिवचरण गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्री नारायण सदोबा कजरोलकर, श्री मेहर चन्द खन्ना, श्री मोहन स्वरूप, श्री पू० शें० नास्कर, श्री काशी नाथ पाण्डे, श्री तिरुमल राव, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, डा० श्रीनिवासन, और श्री नवल प्रभाकर

और राज्य सभा के ८ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ; कि समिति इस सभा को ९ दिसम्बर, १९६३ तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले ८ सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :—

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

इस विधेयक पर ४ दिसम्बर, १९६२ को राज्य सभा में चर्चा की गई थी। जो अधिनियम १९४९ में पारित हुआ था उस मूल अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत वैद्यों तथा हकीमों के पंजीयन के लिये समय सीमा बढ़ाये जाने का इस विधेयक का उद्देश्य है। बात यह है कि उस धारा के अन्तर्गत अर्ह वैद्य तथा हकीम तथा वे वैद्य तथा हकीम आते हैं जो अनर्ह हैं। परन्तु ये सब लोग वे हैं जो कि गत दस वर्षों से चिकित्सा का कार्य करते रहे हैं। उन वैद्यों तथा हकीमों के पंजीयन के लिए एक विशेष धारा ३४(२) विधेयक में जोड़ी जा रही है, जो कि धारा १६ के अन्तर्गत नहीं आते। विधेयक का उद्देश्य यही है कि समय सीमा बढ़ा दी जाये। मेरे विचार में इस विधेयक को बिना किसी कठिनाई के पारित कर दिया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : यह विधेयक लाया जा रहा है, यह अच्छी बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक देश के सभी राज्यों में लागू नहीं किया जायेगा ? मेरा कहना है कि स्वास्थ्य के राज्यों का विषय होने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार के पास राज्यों पर नियंत्रण रखने और उन्हें परामर्श देने सम्बन्धी कुछ अधिकार होने चाहिएं कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा को प्रोत्साहन मिल सके ।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । इसके द्वारा उन हकीमों और वैद्यों को पंजीयन के लिये एक और अवसर प्राप्त हो जायेगा, कई कारणों से जो इससे पूर्व पंजीयन में रह गये । मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि यदि संभव हो तो चोपड़ा समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जाय कि वैद्यों और हकीमों को ३ वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे सही अर्थों में वैद्य तथा हकीम बन सके ।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी हुई इस बिल को पढ़कर और अभी यह मौका है कि यूनानी के साथ और वैद्यक के साथ जो आज तक बेइंसाफी हुई है, उस बेइंसाफी को दूर किया जाए ....

श्री स० मो० बनर्जी : कल करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कल करेंगे । कल ही सही ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २२ नवम्बर, १९६३/१ अग्रहायण १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २१ नवम्बर, १९६३

३० कार्तिक, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४०१—२२
तारांकित प्रश्न संख्या	
९१ दिल्ली में 'सी' बिजली घर (पावर स्टेशन)	४०१—०३
९२ पटना में राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्था तथा राजेन्द्र संस्थान	४०३–०४
९३ ग्रामीण जल संभरण	४०५
९७ ग्रामीण जल संभरण	४०५—०९
९४ सिंचाई क्षमता	४०९—१३
९५ स्वर्ण नियंत्रण आदेश	४१४—२१
९६ विभिन्न राज्यों में विद्युत प्रणालियों का मिलाया जाना	४२१–२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४२२—३५
तारांकित प्रश्न संख्या	
९८ लोदी हाउस होस्टल	४२२–२३
९९ रूस से उपकरण	४२३
१०० रक्त बैंक और अनुसन्धान संस्था	४२३–२४
१०१ राष्ट्रीय रक्षा कोष	४२४
१०२ दिल्ली में जल संभरण	४२४—२५
१०३ मूल्यों को बढ़ने न दिया जाना	४२५
१०४ दिल्ली बृहद् योजना	४२६
१०५ आवास योजनायें	४२६–२७
१०६ एक समान चिकित्सा पाठ्यक्रम	४२७
१०७ मद्रास में स्वर्ण शोधक कारखाना	४२७–२८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
१०८	मद्रास नगर को ऊंची श्रेणी में रखना	४२८
१०९	पूर्व-निर्मित गृह निर्माण कारखाना	४२८
११०	गैर-सरकारी वित्त समवाय	४२९
१११	विदेशों से भेजा गया धन	४२९–३०
११२	कानपुर में विद्युत संकट	४३०–३१
११३	फ्लैट स्वामित्व योजना	४३१
११४	ग्राम्य जल संभरण योजना	४३१–३२
११५	कोसी और गण्डक परियोजनायें	४३२
११६	विदेशी सहायता का उपयोग	४३३
११७	परिवार नियोजन	४३३
११८	योग अनुसंधान मंत्रणा समिति	४३३–३४
११९	दिल्ली में जल संभरण	४३४
१२०	पंजाब-दिल्ली-उत्तर प्रदेश विद्युत प्रणाली	४३५
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
२५२	दामोदर घाटी निगम	४३५—७६
२५३	दामोदर घाटी निगम	४३५–३६
२५४	फिल्म वित्त निगम	४३६
२५५	आयात जोखिम बीमा	४३६
२५७	मद्रास राज्य में हैजा	४३६–३७
२५८	मद्रास के लिये कावेरी का जल	४३७–३८
२५९	मुसन्दपुर शरणार्थी बस्ती	४३८
२६०	उड़ीसा में स्वर्णकारों का पुनर्वास	४३८
२६१	राजस्थान में करों का निर्धारण	४३८–३९
२६२	देशी चिकित्सा प्रणाली	४३९
२६३	उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत योजनायें	४३९
२६४	कटक नगर का विकास	४४०

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६५ मेडिकल कालिज . ४४०
२६६ अनिवार्य जमा योजना ४४१
२६७ बल्लेमेला परियोजना . ४४१
२६८ स्कूल दन्त औषधालय . . . ४४२
२६९ जापानी टी० वी० दल का सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रोका जाना ४४२
२७० तस्कर व्यापार के लिये गिरफ्तारी . ४४३
२७१ केरल में सुनारों को पुनः रोजगार . ४४३
२७२ मद्रास में सुनारों को पुनः रोजगार देना ४४३–४४
२७३ कुष्ठ तथा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ४४४–४५
२७४ विदेश यात्रा . ४४४५–४६
२७५ दिल्ली में बाढ़ . . ४४४६–४७
२७६ ब्रिटेन में पत्रकारों को विदेशी मुद्रा ४४७
२७७ बांधों का टूटना . . . ४४७
२७८ गैस्ट्रो एन्टराइटिस के मामले ४४८
२७९ चेचक निरोधी औषधि . . ४४८–४९
२८० कांस्टिट्यूशन हाउस, नई दिल्ली ४४९
२८१ बैंक आफ चाइना . ४४९
२८२ आवास सम्बन्धी समिति ४५०
२८३ कुष्ठ रोगी ४५०–५१
२८६ आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियां ४५१
२८८ आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली ४५१
२८९ सिन्धु आयोग . . ४५२
२९० अनिवार्य जमा योजना की जमा की वापसी ४५२
२९१ अनिवार्य जमा योजना के लिये प्रशासनिक कार्यप्रणाली ४५३
२९२ स्वर्ण नियंत्रण आदेश . ४५३
२९३ झुग्गी-झौंपड़ी योजना . ४५४
२९४ विदेशी बैंकों में खाते . ४५४–५५
२९५ दिल्ली में चिट फण्ड . ४५५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
२९६	कुट्टियाडी पन बिजली परियोजना	४५५
२९७	परिवार नियोजन	४५६
२९८	लन्दन स्थित भारत के रिज़र्व बैंक का कार्यालय .	४५६
२९९	विद्युत परियोजनायें . .	४५६–५७
३००	जम्मू और काश्मीर में रोहे का रोग . .	४५७–५८
३०१	नेत्र विज्ञान .	४५८
३०२	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	४५८–५९
३०३	कोराही में मुद्रणालय .	४५९
३०४	केरल में विद्युत की कमी .	४५९–६०
३०५	परिवार नियोजन . .	४६०
३०६	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेके	४६०
३०७	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	४६१
३०८	ग्रामीण जल सम्भरण	४६१
३०९	अशोक रोड पर होटल	४६१–६२
३१०	राजस्थान नहर .	४६२
३११	खाद्य नकासी सम्बन्धी निदेश	४६२
३१२	विद्युत क्षमता	४६२
३१३	मद्रास में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग का प्रादेशिक कक्ष	४६३
३१४	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	४६३
३१५	बन्ध्यीकरण	४६४
३१६	विश्व बैंक की बैठक .	४६४
३१७	भारत की जनसंख्या में वृद्धि . . .	४६४–६५
३१८	नई दिल्ली में लोक स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था	४६५
३१९	नर्मदा परियोजना	४६५
३२०	तपेदिक की रोकथाम के लिये एक्सरे का कार्यक्रम .	४६५
३२१	व्यास परियोजना	४६५–६६
३२२	परिवार नियोजन	४६६
३२३	औषधियों के मूल्य . . .	४६६
३२४	'नौवहन' में जीवन बीमा निगम के विनियोजन	४६६–६७

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३२५ कनाट सर्कस, नई दिल्ली में सुपर मार्केट . ४६७
३२६ नागपुर के व्यापारी का मामला ४६७
३२७ अफीम को चोरी छिपे लाया ले जाया जाना ४६७
३२८ राजस्थान के लिये ऋण . ४६८
३२९ परिवार नियोजन ४६८–६९
३३० नागार्जुन सागर परियोजन ४६९
३३१ ग्वालियर रेयन . . ४६९
३३२ बाढ़ नियन्त्रण के उपाय ४७०
३३३ पुनर्वास वित्त प्रशासन . . ४७०
३३४ उड़ीसा में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव . ४७०–७१
३३५ कोच बांध . ४७१
३३६ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद् ४७१
३३७ पंजाब में आयुर्वेद का विकास . ४७१–७२
३३८ पंजाब में यॉज, तपेदिक और कुष्ठ रोग . ४७२
३३९ प्रदर्शनी मैदान का किराया . . ४७२–७३
३४० संसद्-सदस्यों के फ्लैटों में नौकरों के क्वार्टर ४७३–७४
३४१ संसद् सदस्यों के फ्लैटों में सेवा शुल्क ४७४
३४३ चिकित्सा शिक्षा . . . ४७५
३४४ पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के ऋण की छूट ४७५–७६
३४५ खड़कवासला और पानशेट बांध . ४७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७६—७९

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७३३ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक २३ सितम्बर

विषय पृष्ठ

१९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७३४ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

(तीन) कंपनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६२०–क की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १६८१ ।

(चार) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, ३० जून, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन निगम की आस्तियों तथा दायित्वों और लाभ-हानि का लेखा बताने वाले विवरण सहित ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ७ से २२ मई, १९६३ तक जेनेवा में हुई सोलहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन ।

(दो) १० से १६ सितम्बर, १९६३ तक बैंकाक में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया संबंधी क्षेत्रीय समिति के सोलहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन ।

(३) (क) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा वसूली) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९९ की एक प्रति ।

(ख) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५५९ ।

(दो) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५६० ।

(तीन) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० १५९२ ।

(ग) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १४ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १४७५ ।

(दो) दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५०० ।

विषय पृष्ठ

(तीन) दिनांक २१ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५०१।

(चार) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५५७।

(पांच) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० १५५८।

(छै) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ की जी०एस० आर० १५६९।

(सात) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० १५९१।

(आठ) दिनांक १२ अक्तूबर, १९६३ की जी० एस० आर० १६३३।

(ध) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बाईसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) दिनांक १ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६१५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तेईसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(तीन) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (इक्कीसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(चार) दिनांक २ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०९ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौबीसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(४) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत वर्ष १९६२-६३ के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश— ४७९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा १८ नवम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २ सितम्बर, १९६३ को पारित किये गये सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९६३, से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा २० नवम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ अगस्त, १९६३ को पास किये गये वस्त्र समिति

विषय पृष्ठ

विधेयक १९६३ से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विधयक पुरस्थापित

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९६३ ४७९—८४

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . ४८४–८५

बीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . . . . ४८५—९५

२० नवम्बर, १९६३ को प्रस्तुत आय-कर संशोधन विधेयक १९६३ पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४९५—५२५

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) ने प्रस्ताव किया कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । श्री नंवल प्रद्राकर द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया गया । कुछ चर्चा के बाद संशोधन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक विचाराधीन ५२५–५२६

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० द० स० राजू) ने प्रस्ताव किया कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २२ नवम्बर, १९६३/१ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि

पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर चर्चा तथा इसका पारित किया जाना तथा गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

GIPND—LS III—1569(Ai)LS—23-12-63—160.

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पू० शे० नास्कर ४९७–९८

श्री वासुदेवन नायर ४९८–९९

श्री नवल प्रभाकर ४९९–५०१

श्री गौरी शंकर कक्कड़ ५०१–५०३

श्री पु० र० पटेल ५०४–५०५

श्री ह० च० सोय ५०५–५०६

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ५०६

श्री यशपाल सिंह ५०६–५०९

श्री मा० ल० जाधव ५०९

श्री राम सेवक यादव ५०९–१२

श्री सोनावने ५१२

डा० मा० श्री० अणे ५१३

श्री ओंकार लाल बेरवा ५१३–१४

श्री द्वा० ना० तिवारी ५१५–१८

श्री स० मो० बनर्जी ५१८–१९

श्री रामेश्वरानन्द ५१९–२०

श्री मेहर चन्द खन्ना ५२०–२५

पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५२५

डा० द० स० राजू ५२५

श्री स० चं० सामन्त ५२६

श्री ब० कु० दास ५२६

श्री यशपाल सिंह ५२६

दैनिक संक्षेपिका ५२७–३४

P.L.S. 41. XXII. 4. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लाक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।